के वि वि आयोग
CERC

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

के वि वि आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029
दूरभाष : +91 11 26189709
https://www.cercind.gov.in

अध्यक्षीय वक्तव्य

वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाते हुए विनियामक ढांचे को मजबूत करने, नवीकरणीय ऊर्जा और बाजार में पारदर्शिता पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष के दौरान किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों ने न केवल बाजार प्रचालन को सुचारू बनाया है, बल्कि भविष्य के लिए ऐसा मंच भी तैयार किया है जो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों का समर्थन करता है।

वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निंबधन और शर्तें) विनियम, 2024 की अधिसूचना थी। वर्ष 2024–29 की अवधि के लिए लागू टैरिफ विनियम, 2024, विनियामक निश्चितता और प्रचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्रस्तुत करते हैं। मौजूदा परियोजनाओं के लिए इक्विटी पर रिटर्न की दर अपरिवर्तित बनी हुई है, जबकि नई परियोजनाओं को पारेषण के लिए 15%, थर्मल और रन–ऑफ–रिवर (आरओआर) हाइड्रो के लिए 15.50% और पीएसपी सहित स्टोरेज–आधारित हाइड्रो के लिए 17% प्राप्त हुआ है। अतिरिक्त पूंजीकरण के उपबंधों में अब बायोमास को–फायरिंग, लचीले प्रचालन और ईंधन प्रबंधन के लिए रेलवे बुनियादी ढाँचा शामिल है। विनियामक बोझ को कम करने के लिए, छोटे पूंजीगत व्यय अब ओएंडएम लागतों में शामिल हैं। गैस–आधारित स्टेशनों ने कार्यशील पूंजीगत मानदंडों को संशोधित किया है, और एनई प्रदेश और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को 1.5x गुणक के साथ अलग–अलग ओएंडएम मानदंड सौंपे गए हैं। कोयला आधारित संयंत्रों में कैप्टिव कोयला खदानों के लिए जीसीवी हानि कैप प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त, थर्मल विद्युत संयंत्रों और आरओआर हाइड्रो स्टेशनों दोनों के लिए पीक विद्युत उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है, तथा हाइड्रो परियोजनाएं भी बढ़े हुए प्रोत्साहन से लाभान्वित हो रही हैं।

एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) 2023 की अधिसूचना है, जो वर्तमान और विकसित बाजार गतिशीलता के साथ संरेखित है, जिसमें ग्रिड सुरक्षा और प्रचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए उपबंधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आईईजीसी ने विद्युत क्षेत्र के नियोजन, प्रचालन और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख विशेषताएं प्रस्तुत की हैं। नियोजन कोड का नाम बदलकर संसाधन नियोजन कोड कर दिया गया है, जिसमें मांग पूर्वानुमान और संसाधन पर्याप्तता आकलन सहित नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से संयोजकता अब सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए) विनियमों का पालन करेगी, जिसमें विद्युत प्रणाली घटकों के प्रथम–बार ऊर्जीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ स्थापित की गई हैं। नया सुरक्षा कोड विद्युत प्रणालियों के लिए प्रोटोकॉल और संपरीक्षा की रूपरेखा तैयार करता है, जबकि कमीशनिंग और वाणिज्यिक प्रचालन कोड नवीकरणीय ऊर्जा स्टेशनों के लिए दस्तावेजीकरण और परीक्षण चालन को अनिवार्य करता है। प्रचालन कोड में विभिन्न रिजर्व रूपरेखाओं के उपबंध शामिल हैं और उत्पादन स्टेशनों के लिए रिएक्टिव विद्युत क्षतिपूर्ति प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त, शेड्यूलिंग और डिस्पैच कोड जीएनए विनियमों के साथ क्रियाविधियों को संरेखित करता है और सुरक्षा बाध्य इकाई प्रतिबद्धता (एससीयूसी) को शामिल करता है। साइबर सुरक्षा कोड को शामिल किया गया है, जिसमें सीईए दिशानिर्देशों के अनुसार संपरीक्षा की आवश्यकता है, और निगरानी और अनुपालन कोड स्व–संपरीक्षा और अनुपालन संपरीक्षा पद्धतियों की स्थापना करता है, जिसमें नामित एजेंसियां विभिन्न विनियामक निकायों में अनुपालन की देखरेख करती हैं।

पारेषण के क्षेत्र में, केविविआ ने पारेषण क्षमता के उचित आबंटन और ग्रिड तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए) विनियमों में संशोधन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सामने आने वाली संयोजकता समस्याओं का समाधान करता है, जिससे परियोजना कार्यान्वयन में विलंब को रोकने में मदद मिलती है। इसने नवीकरणीय उत्पादन स्टेशनों के लिए विभिन्न मील के पत्थर प्रस्तुत किए हैं ताकि उत्पादन स्टेशनों द्वारा संयोजकता की स्कवॉटिंग की समस्या का समाधान किया जा सके। पारेषण कॉरिडोर आबंटन की विस्तृत प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पारेषण क्षमता का उचित और कुशलतापूर्वक आबंटन हुआ है। केविविआ अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग विनियमों में संशोधन पारेषण प्रणालियों के बीच बेमेल जैसे मुद्दों को हल करने

और विपरीत विद्युत प्रवाह को वहन करने की क्षमता के आधार पर राष्ट्रीय घटक के अधीन अंतर–प्रादेशिक एचवीडीसी पारेषण प्रणाली के पारेषण प्रभारों पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे।

केविविआ विभिन्न स्टाफ पेपर्स, आदेशों और विद्युत बाजार में विकास के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के भीतर विनियामक और बाजार सुधारों में सक्रिय रूप से जुटा रहा है। ध्यान–केन्द्रण के प्रमुख क्षेत्रों में आयातित कोयले के लिए वृद्धि दर को पुनरीक्षित करना और बाजार कप्लिंग पर चर्चा आरंभ करना शामिल है, जिसका उद्देश्य स्टीम कोयला आयात कीमत अवधारण जैसे मुद्दों को हल करना है। आयोग ने ग्रिड सुरक्षा और रिजर्व पर्याप्तता सुनिश्चित करने के उपायों की भी खोज की है, जिसका उदाहरण ''ग्रिड सुरक्षा प्रभार'' के संबंध में अध्ययन पेपर है, जो सहायक सेवाओं के लिए विश्वसनीयता और लागत वसूली तंत्र पर जोर देता है।

वर्ष 2023–24 में, विशेष रूप से कीमत सीमा और बाजार कप्लिंग के संबंध में पावर एक्सचेंजों में महत्वपूर्ण विनियामक हस्तक्षेप देखे गए। केविविआ ने पावर एक्सचेंज बोली के लिए कीमत सीमा की शुरुआत की, जिससे अधिकांश खंडों में कीमतें अधिकतम 10 रुपये/किलोवाट घंटा और उच्च कीमत वाले खंडों में 20 रुपये/किलोवाट घंटा तक सीमित हो गईं। इसने बाजार कप्लिंग के लिए एक शैडो पायलट भी शुरू किया, जहां अप्रयुक्त उत्पादन और अपूरित मांग को अनुकूलित करने के लिए वास्तविक समय के बाजारों (आरटीएम) को सुरक्षा बाध्य आर्थिक प्रेषण (एससीईडी) के साथ शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केविविआ ने मैन्युअल बोली प्रविष्टियों को समाप्त करके और बोली लगाने की समयसीमा को कड़ा करके बाजार प्रचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए।

बाजार विकास के संदर्भ में, केविविआ ने उच्च कीमत डे अहेड बाजार (एचपी–डीएएम) और उच्च कीमत टर्म अहेड बाजार (एचपी–टीएएम) की शुरुआत की, जिससे उच्च लागत उत्पादकों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हुए। ग्रिड सुरक्षा का समर्थन करने के लिए तृतीयक सहायक सेवा (टीआरएएस) भी शुरू की गई, और बाजार पहुंच में सुधार के लिए दूसरा ओवर–द–काउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म, जीएनए एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत किया गया। वर्ष 2023–24 में 12 नए अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तियाँ भी जारी की गईं, जो भारत के विद्युत व्यापार परिदृश्य में बढ़ती गतिशीलता को दर्शाता है।

अपनी विनियामक पहलों का समर्थन करने के लिए, केविविआ ने आईआईटी कानपुर और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) सहित अग्रणी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन साझेदारियों का उद्देश्य विनियामक अनुसंधान, क्षमता–निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना और विनियामक प्रथाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन स्थापित निकाय फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर) की गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है, जिसकी अध्यक्षता केविविआ के अध्यक्ष करते हैं, तथा एसईआरसी/जेईआरसी के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स (एफओआईआर) तथा साउथ एशिया फोरम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन (साफिर) को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है, जिससे इन महत्वपूर्ण विनियामक निकायों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है।

ऊर्जा क्षेत्र में, हमारे प्रयास नियमित प्रचालन से परे हैं – वे सार्थक परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि हम पिछले वर्ष की उपलब्धियों पर हार्दिक आभार के साथ विचार करते हैं, केविविआ इस क्षेत्र में प्रगति को आगे बढ़ाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऊर्जा अस्मान् सर्वान् अस्माकं सामर्थ्यं पूरयितुं सशक्तं करोतु
(ऊर्जा हम सभी को अपनी क्षमता पूर्ण करने के लिए सशक्त बनाए)

अध्यक्ष

विषय सूची

आयोग **13**

मिशन विवरण **17**

अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण **21**

पूर्व वर्ष : एक अवलोकन **31**

विनियामक क्रियाविधि और प्रक्रिया **39**

वर्ष 2023–24 के दौरान गतिविधियाँ 43

- विधिक कार्यवाहियाँ 43
- वर्ष 2023–24 में जारी प्रमुख निर्णय/विनियम 43
- पावर एक्सचेज 56
- थर्मल उत्पादन 60
- हाइड्रो उत्पादन 61
- पारेषण टैरिफ 61

वर्ष 2023–24 के दौरान केविविआ द्वारा अधिसूचित किए गए विनियम/विस्तृत क्रियाविधि **61**

नवीकरणीय ऊर्जा **65**

वर्ष 2023–24 के दौरान अन्य गतिविधियाँ **66**

उपभोक्ताओं के हितों तथा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष **73**

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं **77**

वर्ष 2024–25 के लिए कार्यसूची **81**

लेखा का वार्षिक विवरण **85**

आयोग का मानव संसाधन **89**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 **93**

अनुबंध **97**

- अनुबंध-I 97
- अनुबंध-II 118
- अनुबंध-III 120
- अनुबंध-IV 121
- अनुबंध-V 121
- अनुबंध-VI 122
- अनुबंध-VII 125
- अनुबंध-VIII 128
- अनुबंध IX 130
- अनुबंध X 135
- अनुबंध XI 136
- अनुबंध XII 139
- अनुबंध XIII 145

संक्षेप अक्षरों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एबीटी	उपलब्धता आधारित टैरिफ
एसीपी	क्षेत्रीय क्लीयरिंग कीमत
एडीएमएस	स्वचालित मांग प्रबंधन योजना
एईआरए	एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक अधिकरण
एजीसी	स्वतः उत्पादन नियंत्रण
एपीपीसी	औसत पूल क्रय लागत
एपीटीईएल/एटीई	विद्युत का अपीलीय न्यायाधीकरण
एटीएस	संबद्ध पारेषण प्रणाली
एयूएफआर	फ्रीक्वेंसी रिले
बीसीडी	बिलिंग, वसूली और संवितरण (प्रक्रिया)
बीईई	ऊर्जा कुशलता ब्यूरों
बीपीटीए	बल्क विद्युत पारेषण करार
ब्रिक्स	बाज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
बीयू	बिलियन यूनिट
सीएसी	केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति
सीबीटीई	विद्युत का सीमा–पार व्यापार
सीसीजीटी	समन्वित साईकिल गैस टर्बाइन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईएम	मंत्री स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा (शिखर सम्मेलन)
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीए	महालेखा नियंत्रक
सीजीपी	केप्टिव उत्पादन संयंत्र
सीआईजीआरई	बड़ी विद्युत प्रणालियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिषद्
सीआईएल	कोयला इंडिया लि.
सीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
सीपीआरआई	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सीपीएसयू	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीटीयू	केन्द्रीय पारेषण कंपनी
डीएएम	डे अहेड मार्केट
डीईईपी	कुशल विद्युत कीमत डिस्कवरी
डीआईसी	पदनामित आईएसटीएस ग्राहक
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
डीएसएम	विचलन व्यवस्थापन तंत्र या मांग पक्ष प्रबंधन
डीवीसी	दामोदर घाटी निगम

ईए	विद्युत अधिनियम
ईआर	पूर्वी क्षेत्र
ईआरसी	विद्युत विनियामक आयोग
ईआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ईआरपीसी	पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एफजीएमओ	फ्री गवर्नर मोड प्रचालन
एफआई	वित्तीय संस्था
एफओआईआर	भारतीय विनियामक फोरम
एफओआर	विनियामक फोरम
एफएसए	ईंधन आपूर्ति करार
जीसीवी	सकल क्लोरिफिक मूल्य
जीएफए	सकल नियत आस्तियां
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	गैस विद्युत केन्द्र
जीएसईएस	ग्रिड सुरक्षा विशेषज्ञ प्रणाली
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
एचपीएस	हाइड्रो विद्युत केन्द्र
एचवीडीसी	उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष करंट
आईसी	स्थापित क्षमता
आईडीसी	निर्माण के दौरान हित
आईईजीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड
आईईएक्स	भारतीय ऊर्जा विनिमय
आईपीपी	स्वतंत्र क्रय उत्पादक
आईएसजीएस	अंतर–राज्यिक उत्पादन प्रणाली
आईएसटीएस	अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
जेएनएनएसएम	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन
जेवी	संयुक्त उद्यम
केवी	किलो वॉल्ट
केडब्ल्यू	किलोवाट
केडब्ल्यूएच	किलावोट घंटा
एलसी / एलओसी	साख–पत्र
एलडीसी	भार प्रेषण केन्द्र
लीलो	लूप इन लूप आउट

एलटीए	दीर्घकालिक पहुंच
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमबीईडी	बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण
एमसीपी	बाजार समाशोधन कीमत
एमएमसी	बाजार मॉनिटरिंग कक्ष
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमटीओए	मध्यकालिक निर्बाध पहुँच
एमयू	मिलियन यूनिट
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमवाईटी	बहुवर्ष टैरिफ
एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
नीपको	उत्तर–पूर्वी विद्युत ऊर्जा कंपनी
एनईपी	राष्ट्रीय विद्युत योजना या राष्ट्रीय विद्युत नीति
एनईआर	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र
एनईआरएलडीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनईआरपीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एनएचपीसी	राष्ट्रीय हाईड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा निगम
एनएलसी	नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन
एनएलडीसी	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनपीसी	राष्ट्रीय विद्युत समिति
एनआर	उत्तर क्षेत्र
एनआरएलडीसी	उत्तर क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एनआरपीसी	उत्तर क्षेत्र विद्युत समिति
एनटीपी	राष्ट्रीय टैरिफ नीति
एनटीपीसी	राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन
एनवीवीएन	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.
ओएंडएम	प्रचालन तथा रखरखाव
ओसीसी	प्रचालन समन्वय समिति
ओसीजीटी	निर्बाध चक्र गैस टर्बाइन
ओपेक्स	प्रचालन व्यय
ओटीसी	ओवर दि काउंटर
पीएएफ	संयंत्र उपलब्धता घटक
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि
पीएलएफ	संयंत्र भार घटक
पीएमआर	विद्युत बाजार विनियम

पीएमयू	फेजर परिमापन यूनिट
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
पीओसी	प्वाइंट ऑफ कनैक्शन
पोसोको	विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम लि.
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएसडीएफ	विद्युत प्रणाली विकास निधि
पीएक्सआईएल	भारतीय विद्युत विनिमय लि.
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईए	क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा
आरईसी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीएमओ	नियंत्रित गवर्नर मोड प्रचालन
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
आरएलएनजी	पुनर्गैसीकृत लिक्वीफाईड प्राकृतिक गैस
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर रिटर्न
आरओई	इक्विटी पर रिटर्न
आरओआर	रन ऑफ दी रिवर
आरपीसी	क्षेत्रीय विद्युत समिति
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता
आरआरआई	विनियामक अनुसंधान संस्थान
आरटीएम	वास्तविक समय बाजार
साफिर	दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम
स्काडा	पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एससीईडी	सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण
एससीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
एसईसीआई	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएचआर	स्टेशन हीट दर
एसजेवीएनएल	सतलुज जल विद्युत निगम लि.
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
एसआर	दक्षिणी क्षेत्र
एसआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एसआरपीसी	दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति
एसएसयू	राज्य क्षेत्र कंपनियां
एसटीओए	अल्पकालिक निर्बाध पहुँच

एसटीपीएस	सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीयू	राज्य पारेषण कंपनी
टीएएम	टर्म एहेड बाजार
टीएएमपी	बड़े पत्तनों की टैरिफ अधिकरण
टीबीसीबी	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली
टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो विकास निगम
टीओआर	संदर्भ की शर्तें
टीपीएस	थर्मल विद्युत केन्द्र
टीएसए	पारेषण सेवा करार
उदय	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
यूएचवीएसी	अल्ट्रा उच्च वोल्टेज वैकल्पिक करंट
यूआई	अननुसूचित अंतर्विनिमय
यूएमपीपी	अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना
वीएटी	मूल्य वर्द्धित कर
वाईटीसी	वार्षिक पारेषण प्रभार

1.
आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब वर्ष 1994 में संस्तुत विद्युत के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्ड' का गठन करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यावसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि 'राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।'

इस प्रकार, विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 ने केंद्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों के निर्माण हेतु रास्ता बनाया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफों की तर्कसंगतता आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केंद्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने केविविआ के दायित्वों के दायरे में काफी विस्तार किया है। ईआरसी अधिनियम, 1998 के अधीन केविविआ में केवल टैरिफ अवधारण करने की शक्तियां निहित थीं। विद्युत अधिनियम, 2003 ने केविविआ को टैरिफ अवधारण करने की शक्तियों के अतिरिक्त कई अन्य दायित्व सौंपे हैं। इनमें अंतर–राज्यिक पारेषण, अंतर–राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने और परिणामतः अनुज्ञप्तियों को संशोधित, निलंबित और रद्द करने की शक्ति, प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करके और उनका अनुपालन सुनिश्चित करके अनुज्ञप्तिधारियों को विनियमित करने की शक्तियां आदि शामिल हैं।

आयोग अर्ध–न्यायिक हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल है। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विद्याओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

अधिदेश

जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी हैः

क. केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;

ख. खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;

ग. विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;

घ. विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

ङ. किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर–राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;

च. उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

छ. अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उदगृहीत करना;

ज. ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

झ. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;

ञ विद्युत के अंतर–राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;

ट. ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

केंद्रीय सरकार को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर सलाह देनाः

(i.) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;

(ii.) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता का संवर्धन करना;

(iii.) विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन;

(iv.) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

2.
मिशन विवरण

मिशन विवरण

आयोग की थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अंतर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह दने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्य–

क. भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी), उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना।

ख. एक कारगर टैरिफ अवधारण तंत्र तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।

ग. अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना।

घ. अंतर–राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।

ङ विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।

च. सभी पणधारियों के लिए जानकारी देने में सुधार लाना।

छ. थोक ऊर्जा तथा पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तनों को सुकर बनाना।

ज. प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के सृजन के प्रथम उपाय के रूप में, पर्यावरणीय, सुरक्षा तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमा के भीतर पूंजी तथा प्रबंधन के लिए प्रवेश तथा निकासी की बाधाओं के संबंध में सलाह देना।

मार्गदर्शक सिद्धांत

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता है:

क. सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण।

ख. पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना।

ग. एक ओर विचारों में संगत रहते हुए, विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना।

घ. यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासंभव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों।

ङ विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना।

च. विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।

3.

अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

श्री जिश्नु बरूआ
अध्यक्ष
(2 मार्च 2023 से कार्यरत)

श्री जिश्नु बरूआ पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जो वर्ष 1988 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए और इन्हें असम–मेघालय संवर्ग, आबंटित किया गया। असम राज्य सरकार में अपने सेवा करियर में, श्री बरूआ ने जिलों के उपायुक्त (1994–1997), 1997–2001 में असम औद्योगिक विकास निगम (एआईडीसी) के प्रबंध निदेशक, आयुक्त एवं सचिव, कार्मिक, गृह एवं राजनीतिक विभाग (2007–2012) आदि जैसे क्षेत्र में कई पदों पर कार्य किया। वे वर्ष 2001–2006 से पूर्व केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी रहे उस अवधि के दौरान, वाणिज्यिक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन आदि के संघ राज्य मंत्री को निजी सचिव के रूप में सेवाएं दी और बाद में गृह मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक (पुलिस) के रूप में कार्य किया।

वर्ष 2014 से 2017 तक वे पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के संयुक्त सचिव के रूप में तैनात होकर सतर्कता, प्रशिक्षण और सेवाएं मामलों की देख–रेख की।

असम में लौटने पर, श्री बरूआ असम सरकार के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हुए जिस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के अधीन वितरण, उत्पादन और पारेषण कंपनियों के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी। तत्पश्चात, वे अपर प्रमुख सचिव, गृह एवं राजस्व विभाग के रूप में नियुक्त हुए। श्री बरूआ को 31 अक्तूबर, 2020 को असम सरकार के प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने असम विद्युत वितरण कंपनी लि. (एपीडीसीएल) के अध्यक्ष के रूप में का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। श्री बरूआ 31 अगस्त, 2022 को प्रमुख सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और तत्पश्चात् अध्यक्ष, असम विद्युत वितरण कंपनी के रूप में पुनःनियुक्त हुए। उन्होंने 2 मार्च, 2023 को अध्यक्ष, केविविआ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री बरूआ ने असम में विद्युत क्षेत्र में दो कार्यकाल, अर्थात् वर्ष 2017–2018 में और जून 2021 से फरवरी, 2023 तक सेवाएं दी। वे वर्ष 2017–18 में प्रधान सचिव, विद्युत और अध्यक्ष, एपीडीसीएल थे जब एपीडीसीएल ने प्रथम बार 100% से अधिक में संग्रह दक्षता को दर्ज कर इतिहास बनाया। उस वर्ष में, रु. 4759.45 करोड़ के राजस्व मांग के विपरीत, 102.61% की संग्रह दक्षता के साथ रु. 4883.90 करोड़ वसूल किए गए। बेहतर संग्रह दक्षता के साथ, वित्त वर्ष 2017–18 के लिए उस वर्ष के एटीएंडसी हानियां, 17.75% के यूडीएवाई लक्ष्य के विपरीत, 15.71% तक कम हुई।

वित्त वर्ष 2021–22 में अध्यक्ष, एपीडीसीएल के रूप में उनके द्वितीय कार्यकाल में, कंपनी के इतिहास में संग्रह दक्षता दूसरी बार 100% से अधिक रही। वित्त वर्ष 2021–22 में, वर्ष के दौरान रु. 6083.55 करोड़ की मांग के विपरीत 103. 47% की संग्रह दक्षता के साथ रु. 6294.81 करोड़ का संग्रह हुआ और एटीएंडसी हानियां 16.95% रही। राजस्व संग्रह में सुधार, राजस्व संग्रह पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने, समुचित वितरण ट्रांसफार्मरों को उपभोक्ताओं के उचित सूचीकरण, मीटर रीडिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, राजस्व संग्रह के लिए समर्पित व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से आक्रामक निगरानी, संग्रह और बिलिंग डाटा के निरंतर सूक्ष्म और विस्तृत विश्लेषण, शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटरों के संस्थापन, दूरदराज के क्षेत्रों में राजस्व संग्रह एजेंटो की तैनाती (ईजी पे एजेंट के रूप में भी ज्ञात) आदि के कारण संभव हुआ।

सेंट स्टीफन्स कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर श्री बरूआ, वर्ष 2006 में नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) में स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज पर 46वें कोर्स में भी उपस्थित हुए। उन्हें एनडीसी में उनकी थीसिस के लिए मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा एम. फिल डिग्री भी प्रदान की गई।

श्री आई.एस. झा

सदस्य

(21 जनवरी 2019 से 20 जनवरी, 2024)

श्री आई. एस. झा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में जनवरी, 2019 से सदस्य हैं। अपने मौजूदा कार्य से पूर्व, उन्होंने वर्ष 2015 से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., राज्य–चलित पारेषण प्रयोज्यता, के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

श्री आई.एस. झा, विद्युत क्षेत्र के सभी पक्षों, जैसे कि, उत्पादन, पारेषण, प्रणाली प्रचालन, वितरण सहित ग्राहकों को अंतिम मील संयोजकता तथा विनियामक पहलुओं में 38 वर्षों से अधिक का प्रचुर तथा विविध कार्य अनुभव रखने वाले एनआईटी जमशेदपुर से इलेक्ट्रीकल अभियंता हैं। उन्होंने वर्ष 1981 में एनटीपीसी में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया तथा वर्ष 1991 में पावरग्रिड में कार्यभार संभाला। एनटीपीसी तथा पावरग्रिड में अपने कार्यकाल के दौरान, वे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के अवधारणीकरण, योजना, डिजाइन, अभियांत्रिकी, मॉनिटरिंग तथा कार्यान्वयन से जुड़े रहे। तदुपरांत जनवरी, 2019 में उन्होंने केविविआ में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।

उन्होंने देश में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के साथ समेकित सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड के विकास का आरंभ किया। पारेषण क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ, श्री झा ने राष्ट्रीय ग्रिड के अवधारणीकरण तथा कार्यान्वयन, पड़ोसी देशों के साथ क्रॉस–बार्डर अंतःसंबंधों, नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर, लंबी दूरी के मल्टी–टर्मिनल एचवीडीसी पारेषण प्रणाली 1200 किलोवाट यूएचवीएसी प्रणाली इत्यादि की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

वे प्रौद्योगिक कौशल एवं जन–केन्द्रित नेतृत्व के लिए सुविख्यात हैं। वे वृहत इलैक्ट्रिक प्रणालियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिषद् (सीआईजीआरई) – भारत के अध्यक्ष हैं, शीर्ष गवर्निंग बॉडी अर्थात् सीआईजीआरई की संचालन समिति – पेरिस और अन्य व्यवसायिक निकायों के सदस्य हैं। उनहोंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल/सम्मेलनों में विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में 50 से अधिक तकनीकी पेपर, बड़ी मात्रा में लेख प्रकाशित/प्रस्तुत किए गए हैं। वे "रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी" तथा "स्मार्ट ग्रिड फंडामेंटल एंड एप्लीकेशंस" नामक दो पुस्तकों में सहयोगी लेखक रहे हैं। श्री झा विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में तकनीकी नवोन्मेषों के लिए पेटेंट्स हेतु भी प्रयासरत हैं।

श्री अरूण गोयल
सदस्य
(7 अप्रैल 2020 से कार्यरत)

श्री अरुण गोयल, अप्रैल, 2020 से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हैं। वे केंद्र शासित प्रदेश कैडर के वर्ष 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और अगस्त, 2019 में भारत सरकार के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनका अंतिम कार्य, कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) था। सेवानिवृत्ति के बाद सितंबर, 2019 से मार्च, 2020 तक उन्हें 'जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आस्तियों और देनदारियों के विभाजन पर सलाहकार समिति' के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री अरुण गोयल को भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष रूप से विद्युत, वित्त, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्रों में 34 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। वे सुधारों, संस्था निर्माण और संगठनों में प्रणालीगत परिवर्तन लाने के जिज्ञासु हैं। वे वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने और उसके बाद के कार्यान्वयनय वित्तीय आसूचना इकाई और एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था की स्थापना और भारत के जीएटीटी से विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तन सहित भारत में प्रमुख सुधारों और परिवर्तनों का हिस्सा रहे हैं।

दिल्ली के विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के विभिन्न चरणों के दौरान तीन कार्यकालों के साथ उन्हें विद्युत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त है और उन्होंने प्रधान सचिव (विद्युत); सीएमडी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, सीएमडी, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड; अध्यक्ष, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड; अध्यक्ष, प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तत्कालीन दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के अतिरिक्त महाप्रबंधक (प्रशासन) सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक विद्युत सुधारों को आगे बढ़ाने और स्थिर करने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली विद्युत बोर्ड का विभाजन हुआ और वितरण का निजीकरण हुआ। उन्होंने 30 मई 2014 को विनाशकारी आंधी से उत्पन्न दिल्ली में बड़े विद्युत संकट को प्रभावी ढंग से संभाला और दिल्ली की विद्युत पारेषण प्रणाली के उन्नयन के लिए व्यापक निवेश योजना तैयार की। प्रधान सचिव (विद्युत), गोवा सरकार के रूप में, उन्होंने भारत सरकार और गोवा सरकार के बीच 24x7 पावर फॉर ऑल' एमओयू को अंतिम रूप दिया और हस्ताक्षर किए।

उन्होंने कैबिनेट सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय में साढ़े तीन साल से अधिक समय तक परियोजना मॉनिटरिंग समूह के प्रमुख के रूप में कई विद्युत पारेषण और उत्पादन परियोजनाओं सहित कई मेगा और रुकी हुई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्हें भारत सरकार में वित्त और वाणिज्य के विभिन्न पहलुओं में 13 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वे विशेष सचिव, जीएसटी कांउसिलय मंत्री (आर्थिक और वाणिज्यिक), भारतीय दूतावास, टोक्यो; निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई–भारत; और उप सचिव, वाणिज्य मंत्रालय के पदों पर कार्यरत रहे। वे लगभग दो वर्षों तक सचिव (वित्त) और अंडमान और निकोबार प्रशासन के उपराज्यपाल के सचिव भी रहे।

उनके द्वारा 'दिल्ली पावर सेक्टर रिफॉर्म्स' पर तैयार किए गए व्यष्टि अध्ययन ने मुंबई में इंडिया टेक फाउंडेशन इवेंट (2004) में प्रथम पुरस्कार जीता और एलबीएसएनएए, मसूरी (2014) में आईएएस अधिकारियों के लिए फेस–V प्रशिक्षण के दौरान 'इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन' पर पॉलिसी पेपर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें डीसीई–डीटीयू एलुमनी एसोसिएशन (2018) द्वारा विशिष्ट एलुमनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

श्री अरुण गोयल को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त है; वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से एमबीए (पीजीडीएम); एचपी विश्वविद्यालय से एमए (अर्थशास्त्र) और ग्लासगो कैलेडोनियन विश्वविद्यालय, यूके से एमएससी (विकास प्रबंधन) हैं।

श्री प्रवास कुमार सिंह
सदस्य
(22 फरवरी 2020 से कार्यरत)

श्री प्रवास कुमार सिंह, 22 फरवरी, 2021 को शपथ लेने के बाद से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (विधि) हैं। वे प्रधान जिला न्यायाधीश के पद पर झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी थे और 32 वर्ष से अधिक समय तक बिहार और झारखंड की जिला न्यायपालिका में सेवा की। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली में तैनाती के साथ राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था, परंतु उन्होंने प्रासंगिक समय पर कुछ व्यक्तिगत कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उक्त पद के लिए श्री सिंह की उम्मीदवारी की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के दो मौजूदा न्यायाधीशों और अन्य ने की थी।

इस कार्य में शामिल होने से पूर्व, वे जून 2019 से फरवरी, 2021 की अवधि में झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य (विधि) के रूप में कार्यरत थे। एच. डी. जैन कॉलेज आरा से अर्थशास्त्र ऑनर्स में स्नातक करने के बाद, उन्होंने बिहार के प्रतिष्ठित पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है।

सिविल कोर्ट पटना में प्रारंभिक अभ्यास के बाद – उन्होंने वर्ष 1986 में बिहार सिविल (न्यायिक शाखा) सेवा में प्रवेश किया और छपरा, भागलपुर, मधुबनी, नालंदा और जमशेदपुर में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची और लोहरदगा के रूप में तैनात किया गया था। रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के रूप में श्री सिंह की नियुक्ति उल्लेखनीय थी, विशेष न्यायाधीश सीबीआई के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, विभिन्न दीवानी, आपराधिक और अन्य मामलों के अलावा, उनके द्वारा ऐतिहासिक निर्णय आरसी 20 (ए)/96 पारित किया गया था – संसद के दो माननीय सदस्यों और विधान सभा के कई माननीय सदस्यों ने निर्णय की शक्ति से अपनी सदस्यता खोई, यह देश में पहला निर्णय था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के ऐसे माननीय सदस्यों ने अपनी सदस्यता खोई। इस मामले में दो भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, कई एमएलए, कुछ आईएएस अधिकारियों, मुख्य आयकर आयुक्त और अन्य उच्चाधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया था। शीघ्र निस्तारण के प्रयासों की सभी ने सराहना की। "इंडिया टुडे", एक प्रमुख पत्रिका ने अपने अंग्रेजी/हिंदी दोनों संस्करणों में "जजेस ऑफ कैरेक्टर" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया।

विभिन्न जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कई लोक सेवा कार्यों का नेतृत्व किया गया। पीड़ित मुआवजे के संबंध में श्री सिंह द्वारा अपनाए गए एक नवोन्मेषी विचार की झारखंड उच्च न्यायालय ने न्यायिक आदेश में सराहना की।

श्री सिंह ने कुछ समय के लिए झारखंड उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में भी कार्य किया। कई स्थानों पर प्रधान जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद – उन्हें झारखंड सरकार के प्रधान सचिव (विधि)–सह–एल.आर. के रूप में तैनात किया गया। इस कार्यकाल के दौरान, कई अधिनियम, नियम, विनियम पुनरीक्षण हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए और वे सदा राज्य में विधि निर्माण का हिस्सा रहे।

श्री सिंह का झारखंड न्यायिक सेवा संगठन के सचिव के रूप में एकमत से निर्वाचन हुआ और वर्तमान में वे अखिल भारतीय न्यायाधीश संगठन के कार्यकारी सदस्य हैं।

4.
पूर्व वर्ष
एक अवलोकन

पूर्व वर्ष एक अवलोकन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा उसे सौपे गए उत्तरदायित्वों से अवगत होकर, विद्युत क्षेत्र में और अधिक सुधारों के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलें कीं।

वर्ष 2023–24 के दौरान, 502 याचिकाएं पंजीकृत हुईं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष 2023–24 से 701 याचिकाएं आगे बढ़ाई गईं जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 1203 हुई। इनमें से, 584 याचिकाएं वर्ष 2023–24 के दौरान निपटाई गईं। निपटाई गईं याचिकाओं का विस्तृत विवरण अनुबंध–I में दर्ज है।

आदेशों के अलावा, आयोग ने क्षेत्र के लिए दूरगामी प्रभावों वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर विनियम जारी किए। आयोग के स्टाफ ने चर्चा करने और भविष्य के लिए बाजार सुधारों पर हितधारकों से याचना करने हेतु विचार–विमर्श कागजात भी प्रकाशित किए।

वर्ष के दौरान आयोग द्वारा अधिसूचित महत्वपूर्ण विनियम और जारी स्टाफ पेपर नीचे उल्लिखित किए गए हैं:

क. विनियम:

1. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 178 और उसके साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के बाद, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 15 मार्च, 2024 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 अधिसूचित किया। ये विनियम दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुए और दिनांक 31 मार्च, 2029 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

टैरिफ विनियम 2024 की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) की दर – विनियामक निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं हेतु कोई परिवर्तन नहीं। नई परियोजनाओं के लिए दरें निम्नानुसार हैं:
- o पारेषण – 15%
- o थर्मल और रन ऑफ रिवर (आरओआर) हाइड्रो – 15.50%,
- o भंडारण–आधारित हाइड्रो उत्पादन स्टेशन (पीएसपी एवं पॉन्डेज के साथ आरओआर उत्पादन स्टेशन सहित) – 17%

ii. बायोमास सह–ज्वालन, लचीले प्रचालन, और ईंधन प्रबंधन के लिए रेलवे अवसंरचना हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए उपबंध प्रस्तुत किए गए।

iii. घटा हुआ विनियामक बोझ – उत्पादन स्टेशनों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए रु. 10 लाख तक पूंजीगत स्पेयर्स और रु. 20 लाख से कम के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय अब ओ एंड एम व्यय का हिस्सा हैं।

iv. गैस आधारित स्टेशनों के लिए घटा हुआ टैरिफ – कार्यशील पूंजीगत पर ब्याज में पुनरीक्षण, ईंधन लागत को घटाकर 30 दिनों से 15 दिन किया गया। ब्याज दर को 1–वर्ष एसबीआई एमसीएलआर. 325 बेसिस प्वाइंट्स पर निर्धारित किया गया।

v. सिक्किम, और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों सहित उत्तर पूर्व प्रदेश में पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों का मानकीय ओ एंड एम व्यय पर 1.5X गुणांक के साथ पृथक ओ एंड एम मानदंड हैं।

vi. कोयले की तृतीय–पक्ष सैंप्लिंग – तृतीय–पक्ष सैंप्लिंग की अनुपस्थिति में, ऊर्जा प्रभार आकलन के लिए, ईंधन जीसीवी को "यथा बिल किया गया" आधार पर आधारित किया जाएगा। कोयला कैप्टिव खदानों के लिए जीसीवी हानि को 300 किलोकैलोरी/किलोग्राम पर कैप किया गया है।

vii. पीक घंटों के दौरान उत्पादन को प्रोत्साहित करना – थर्मल उत्पादन स्टेशनों के लिए पीएलएफ से अधिक के लिए प्रोत्साहन को पीक घंटों हेतु 75 पैसे/किलोवाट घंटा और ऑफ–पीक घंटों के लिए 55 पैसे/किलोवाट घंटा पर निर्धारित किया गया है। पीक घंटा ऊर्जा उत्पादन के लिए आरओआर हाइड्रो स्टेशन हेतु 50 पैसा/किलोवाट घंटा निर्धारित किया गया है।

viii. हाइड्रो के लिए प्रोत्साहन– थर्मल के लिए एएफसी के 1% तक और हाइड्रो के लिए क्षमता प्रभारों के 3% तक का प्रोत्साहन, प्राथमिक फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया (30% सीमा से अधिक) के लिए प्रदान किया जाता है। हाइड्रो परियोजनाओं में द्वितीयक ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार दर बढ़ाकर 130 पैसे/किलोवाट घंटा कर दी गई है।

2. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 की उप–धारा (1) और धारा 2 के खंड (47), धारा 38 की उप–धारा (2) के खंड (घ), धारा 40 के खंड (ग) और धारा 79 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 178 की उप–धारा (2) के खंड (यङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का को प्रयोग करते हुए केविविआ ने 1 अप्रैल, 2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित किया।

इस संशोधन के माध्यम से, मूल केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 के विभिन्न विनियमों में संशोधन करने के अतिरिक्त आयोग ने सामान्य नेटवर्क पहुंच–नवीकरणीय ऊर्जा, होस्ट राज्य, और अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच–नवीकरणीय ऊर्जा की परिभाषा को समाविष्ट किया। आयोग ने संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा पूरी की जाने वाली उत्तरवर्ती शर्तों, शर्तों को पूरा न करने के परिणामों, और संयोजकता के प्रतिसंहरण को भी उपबंधित किया। इसके अतिरिक्त, एक नए अनुबंध–II में प्रादेशिक इकाई उत्पादन स्टेशन से राज्य द्वारा 'प्रत्यक्ष आहरण' निर्धारित करने के लिए पद्धति उपबंधित है।

यद्यपि दिनांक 06.04.2023 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से 23.1, 24.2, 24.3, 34.2, 34.3 और 34.4 के अलावा संशोधन के सभी उपबंध और जीएनए विनियमों के नए विनियम 26.4, 26.5 और 26.6 दिनांक 05.04.2023 को अस्तित्व में आए, परंतु वे उपबंध जिन्हें दिनांक 05.04.2023 को कार्यान्वयन से स्थगित किया गया था, वे दिनांक 3 अगस्त, 2023 के राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 01.10.2023 को अस्तित्व में आए।

3. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उप–धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 79 की उप–धारा (1) के खंड (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों, तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 29 मई, 2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 अधिसूचित किया। ग्रिड कोड में, अन्य बातों के अलावा, संसाधन नियोजन कोड, संयोजन कोड, संरक्षण कोड, कमीशनिंग और वाणिज्यिक प्रचालन कोड, प्रचालन कोड, शेड्यूलिंग और प्रेषण कोड, साइबर सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग और अनुपालन कोड, और विविध शामिल हैं। ग्रिड कोड के विनियम दिनांक 01.10.2023 को अस्तित्व में आए।

इसके अतिरिक्त, विनियम 30(11)(ट), विनियम 30(11)(क), विनियम 30(11)(थ), और विनियम 30(12)(घ) के अधीन आवश्यकता के अनुसार, एनएलडीसी ने आयोग के अनुमोदन हेतु हितधारकों से परामर्श के बाद दिनांक 20.09.2023 के अपने पत्र द्वारा "सूचना विनिमय और समयसीमाओं के साथ, द्वितीयक एवं तृतीयक रिजर्व क्षमता की मात्रा के मूल्यांकन के लिए विस्तृत क्रियाविधि" प्रस्तुत किया। आयोग ने याचिका सं. एल–1/265/2022/सीईआरसी के अधीन 28 सितम्बर, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से "सूचना विनिमय और समयसीमाओं के साथ, द्वितीयक एवं तृतीयक रिजर्व क्षमता की मात्रा के मूल्यांकन के लिए विस्तृत क्रियाविधि" को अनुमोदन प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने याचिका 14/एसएम/2023 के अधीन दिनांक 30.09.2023 के अपने आदेश के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के कुछ उपबंधों के प्रभावी होने में कठिनाइयों को दूर करने हेतु अपनी शक्तियों का सहारा लिया और सीओडी की घोषणा से 'डी + 2' दिन से उत्पादन यूनिट की शेड्यूलिंग, प्रणोदित आउटेज के मामले में प्रत्याशित पुनःस्थापना के पुनरीक्षण, घोषित क्षमता के पुनरीक्षण, यूनिट बंद होने के मामले में आपूर्ति की बाध्यता, पम्प्ड भंडारण संयंत्र के परीक्षण चालन, डे अहेड बाजार में शेड्यूलिंग के लिए उत्पादक को सहमति, एसटीओए से टी–जीएनए व्यवस्था में संक्रमण, और प्रथम समय ऊर्जीकरण के लिए क्रियाविधि और नवीन और आशोधित विद्युत प्रणाली घटकों के एकीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण/राहत प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने याचिका 18/एसएम/2023 के अधीन दिनांक 18.12.2023 के अपने आदेश के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के कुछ उपबंधों के प्रभावी होने में कठिनाइयों को दूर करने हेतु अपनी शक्तियों का सहारा लिया और न्यूनतम टर्नडाउन शेड्यूल के जारी होने, आंशिक लोडिंग के लिए घोषित क्षमता के पुनरीक्षण, उन यूनिटों पर टीआरएएस और एससीईडी के अधीन शेड्यूल जो शटडाउन के अधीन हैं, और केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों में फ्री पावर शेयर की शेड्यूलिंग सहित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण/राहत प्रदान किया।

4. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, और इस निमित्त समर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केविविआ ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कार्यान्वित किया।

अधिसूचना के माध्यम से आयोग ने शब्दों "डीम्ड सीओडी" को परिभाषित किया और मूल विनियमों के विनियम 11, विनियम 12 और विनियम 13 में संशोधन भी किए। ये संशोधन दिनांक 01.11.2023 को अस्तित्व में आए।

5. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, और इस निमित्त समर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केविविआ ने दिनांक 26.10.2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित किया।

अधिसूचना के माध्यम से आयोग ने मूल विनियमों के विनियम 5 के खंड (3), और विनियम 6 के खंड (1) में संशोधन किए। ये संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए।

6. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उपधारा (2) के खंड (ध) और उसके साथ पठित उसकी धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ्याकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केविविआ ने 15 दिसम्बर, 2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित किया।

अधिसूचना के माध्यम से मूल विनियमों के परिशिष्ट–II "किसी मास के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक के परिकलन हेतु क्रियाविधि" के अधीन खंड (4) और खंड (5) में संशोधन किए गए।

7. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 91(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों, और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए

केविविआ ने 12 मई, 2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित किया।

अधिसूचना के माध्यम से केविविआ ने मूल विनियम के विनियम 6(6) के बाद एक नया विनियम 6क अंतर्वेशित किया जिससे केविविआ को एक वर्ष के लिए परामर्शियों का एक पैनल तैयार करने का अधिकार मिला, जिनसे केवल केविविआ के साथ कार्य करने के लिए बोलियाँ आमंत्रित की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधनों के माध्यम से मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (4) में संशोधन भी लागू किया गया।

8. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। ये विनियम राजपत्र में विनियमों के प्रकाशन के साथ 23 जनवरी, 2023 को अस्तित्व में आए।

ये विनियम आयोग द्वारा किए जा रहे करोबार के संचालन से संबंधित मामलों से संबंधित है।

9. ड्राफ्ट केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2024

केविविआ ने दिनांक 17.02.2024 को ड्राफ्ट केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2024 अधिसूचित किया। इस विनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्रिड इंटरेक्टिव विद्युत परियोजनाओं का टैरिफ अवधारित करने के लिए निबंधनों एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करना है।

10. "डीएसएम विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में पर्याप्त प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिक्रिया के कारणों का विश्लेषण" पर केविविआ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी की गई। इस रिपोर्ट में, समिति ने विश्लेषण किया और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रिजर्वों की पर्याप्त सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपायों को संस्तुत किया और कीमत संरचना में समरूपता के प्रमुख डिजाइन सिद्धांतों के आधार पर, अति–प्रोत्साहित ग्रिड इकाइयों को छोड़ने के लिए, सहायक सेवाओं में शामिल होने को उत्साहित करने और ग्रिड से जुड़ी इकाइयों के लिए अन्य बाजार उपकरण के रूप में डीएसएम को निरुत्साहित करने के लिए ग्रिड से जुड़ी इकाइयों के लिए डीएसएम प्रभारों की पुनरीक्षित रूपरेखा को भी प्रस्तावित किया।

11. याचिका सं. 05/एसएम/2023 में स्व–प्रेरणा आदेशः

आयोग ने छूट देने और डीएसएम विनियम के कार्यान्वयन में कठिनाई दूर करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 के विनियम 11 और विनियम 12 के अधीन अपनी शक्ति के द्वारा याचिका सं. 05/एसएम/2023 में दिनांक 09.04.2023 को स्व–प्रेरणा आदेश जारी किया। यह आदेश पावर एक्सचेंज में उच्च कीमत डे अहेड बाजार (एचपी–डीएएम) के आरंभ और पावर एक्सचेंजों में विभिन्न बाजार खंडों में अधिकतम कीमत में पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था। आयोग ने यह आदेश उन विक्रेताओं के विचलन प्रभारों में सुधार के लिए जारी किया जिसकी बोली (बोलियाँ) एचपी–डीएएम बाजार में क्लियर हैं। एचपी–डीएएम और डीएसएम के बीच किसी संभावित मध्यस्थता को रोकने के उद्देश्य से विचलन के लिए प्रभार की सामान्य दर को एचपी–डीएएम के साथ संरेखित किया गया था।

12. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के अधीन सूचना विनिमय और समयसीमाओं के साथ द्वितीयक एवं तृतीयक रिजर्व क्षमता की मात्रा के मूल्यांकन के लिए विस्तृत क्रियाविधि

आयोग ने एनएलडीसी द्वारा प्रस्तुत "सूचना विनिमय और समयसीमाओं के साथ द्वितीयक एवं तृतीयक रिजर्व क्षमता की मात्रा का मूल्यांकन" के लिए विस्तृत क्रियाविधि को दिनांक 28 सितम्बर, 2023 को अनुमोदित किया। यह क्रियाविधि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के विनियम 30(11) और 30(12) [विनियम 30(11)(k), 30(11)(q), 30(12)(d), 30(12)(1) को कवर करते हुए] के अनुसार तैयार की गई है। यह क्रियाविधि केविविआ (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 के विनियम 6(1) के अनुसार तैयार किए गए रिजर्वों के प्राक्कलन के लिए अंतरिम पद्धति का अधिक्रमण करती है। यह नोडल एजेंसी अर्थात् आरएलडीसी और एसएलडीसी के साथ समन्वय में एनएलडीसी द्वारा पालन किए जाने वाले एसआरएएस और टीआरएएस के लिए रिजर्वों की मात्रा के प्राक्कलन के लिए पद्धति और विभिन्न इकाइयों की भूमिका का उल्लेख करती है।

13. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 के अधीन सामान्य नेटवर्क पहुंच और अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच की शेड्यूलिंग के लिए पारेषण कॉरिडोर के आबंटन हेतु विस्तृत क्रियाविधि

आयोग ने दिनांक 29.09.2023 के आदेश द्वारा एनएलडीसी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत क्रियाविधि की जांच की और समुचित परिवर्तनों को शामिल करने के बाद, जीएनए विनियमों के विनियम 39.2 के परंतुक के संबंध में "सामान्य नेटवर्क पहुंच और अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच के अधीन शेड्यूलिंग के लिए पारेषण कॉरिडोर के आबंटन के लिए विस्तृत क्रियाविधि" को अनुमोदित किया।

14. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017 के अधीन जारी क्रियाविधि और दिशानिर्देश

आयोग ने दिनांक 19.01.2024 के आदेश द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017 के अधीन निम्नलिखित क्रियाविधि/दिशानिर्देश अनुमोदित किए।

i. **"संचार प्रणाली का रखरखाव और जांच" के संबंध में क्रियाविधि**

इस क्रियाविधि का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में परिनियोजित संचार प्रणालियों के प्रभावी रखरखाव और जांच के लिए विभिन्न मानदंडों और क्रियाविधियों को परिभाषित करना है।

ii. **"चूक की त्वरित खोज और पुनःस्थापना के लिए केन्द्रीकृत पर्यवेक्षण" के संबंध में क्रियाविधि**

इस क्रियाविधि का उद्देश्य विभिन्न इकाइयों की भूमिका, संचार प्रणालियों के केन्द्रीकृत पर्यवेक्षण, चूक की त्वरित खोज और उसकी पुनः स्थापना, और अंतरसंयोजित संचार प्रणालियों के संबंधित उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वित प्रचालन हेतु तंत्र को निर्धारित करना है।

iii. **"संचार प्रणाली की उपलब्धता" के संबंध में दिशानिर्देश**

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सीटीयू, एसटीयू के उत्तरदायित्वों और विद्युत क्षेत्र में परिनियोजित संचार प्रणालियों की उपलब्धता के अभिकलन के लिए तंत्र को स्थापित करना है।

iv. **"इंटरफेसिंग आवश्यकताओं" के संबंध में दिशानिर्देश**

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य टर्मिनल उपकरण, आरटीयू, स्काडा, पीएमयू, स्वतः उत्पादन नियंत्रण (एजीसी), स्वतः मीटर रीडिंग (एएमआर), एडवांस मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) आदि के संबंध में और उपयोगकर्ता के बिंदु से संबंधित नियंत्रण केन्द्र (केन्द्रों) तक सीईए द्वारा जारी तकनीकी मानकों पर आधारित डाटा संचार के लिए "इंटरफेसिंग आवश्यकताओं" को निर्धारित करना है। इन दिशानिर्देश मे विभिन्न उपकरण के संबंध में विभिन्न सब–स्टेशनों और उत्पादन स्टेशनों से टेलिमीटर किए जाने वाले मानदंडों की भी व्यवस्था है।

2) स्टाफ पेपर

उपर्युक्त विनियमों के अलावा, आयोग के स्टाफ ने महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में सार्वजनिक मतों को आमंत्रित करने हेतु कई पेपर भी प्रकाशित किए। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान प्रकाशित स्टाफ पेपर नीचे इंगित किए गए हैं:

1. बोली मूल्यांकन और भुगतान के लिए आयातित कोयले के लिए वृद्धि दर के अभिकलन हेतु प्रयुक्त संयुक्त सूचकांक की समीक्षा

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) बोली मूल्यांकन और भुगतान के उद्देश्य से समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 19.1.2005 के "वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु दिशानिर्देश" के संबंध में विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के खंड 5.6 (vi) के अनुसरण में, और दिनांक 3.11.2020 के संशोधन के साथ पठित दिनांक के "थर्मल विद्युत परियोजनाओं पर आधारित कोयले से विद्युत के साथ पूरक, ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से राउंड–द–क्लॉक विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश" के संबंध में विद्युत मंत्रालय के संकल्प के पैराग्राफ 5.4 और पैराग्राफ 5.5 के अनुसरण में आयातित कोयले के लिए वृद्धि दर सहित, विभिन्न वृद्धि दर अधिसूचित कर रहा है।

तदनुसार, आयोग ने 2006 में बोली मूल्यांकन और भुगतान के लिए आयातित कोयले के लिए वृद्धि दर सहित, विभिन्न मानदंडों के लिए वृद्धि दर के परिकलन और संयुक्त सूचकांक विकसित करने के लिए पद्धति तैयार की। संयुक्त सूचकांक को भुगतान के उद्देश्य से आयातित कोयले के लिए वृद्धि दर का अभिकलन करने हेतु माना गया।

वर्ष 2006 में विकसित आयातित कोयले के लिए संयुक्त सूचकांक को प्रथम बार वर्ष 2013 में पुनरीक्षित किया गया, और दिनांक 1.4.2014 से इसे भुगतान के उद्देश्य से आयातित कोयले के लिए वृद्धि दर का अभिकलन करने हेतु उपयोग किया जा रहा है। बाद में, आयातित कोयले के लिए संयुक्त सूचकांक के लिए पद्धति को केविविआ द्वारा याचिका सं. 308/एसएम/2013 में दिनांक 23.12.2013 के अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया।

वर्ष 2013 में प्रकाशित सूचकांक के पुनरीक्षण के बाद एक दशक बीत जाने को ध्यान में रखते हुए, और कोविड–19 के कारण वैश्विक मांग और आपूर्ति स्थिति पर प्रभाव, भू–राजनीतिक परिस्थितियों और अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए, सूचकांक को पुनरीक्षित करना समुचित समझा गया। भारत में स्टीम कोयले के आयातों और भारत से संबंधित कीमत/कीमत सूचकांकों पर डाटा के विश्लेषण के आधार पर, कीमत सूचकांकों के लिए पद्धति पेपर में दी गई।

2. दिनांक 1.4.2024 से 31.3.2029 की टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ विनियमों के निबंधन और शर्तें

बहु–वर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क का महत्व न केवल मौजूदा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बल्कि उन संभावित भावी विकासों की प्रत्याशा करते हुए विनियामक निश्चितता को बनाए रखना है जो टैरिफ को प्रभावित कर सकते हैं। तदनुसार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61 के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 अधिसूचित किया गया जो पांच वर्षों अर्थात् दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि के लिए प्रवृत्त हुए।

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त होने वाली वर्तमान नियंत्रण अवधि के साथ, मई 2023 के मास में एक अप्रोच पेपर जारी किया गया था जिसमें टैरिफ अप्रोच का विवरण दिया गया था जिसे दिनांक 01.04.2024 से आरंभ होने वाली पांच साल की नियंत्रण अवधि के लिए अपनाया जा सकता है। इस पेपर में पूर्व टैरिफ विनियमों के विभिन्न उपबंधों और अतीत में विभिन्न हितधारकों के सामने आए मुद्दों और चुनौतियों के आधार पर उनकी प्रभावकारिता का विश्लेषण किया गया है, तथा प्रमुख समष्टि आर्थिक और अन्य संकेतकों के साथ–साथ उन मुद्दों और चुनौतियों का भी विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है जिनका सामना भविष्य में विद्युत क्षेत्र को करना पड़ सकता है, टैरिफ पर ऐसे मुद्दों का प्रभाव और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन परियोजनाओं के लिए टैरिफ अवधारण की

प्रक्रिया का भी विश्लेषण किया गया है। एक अन्य प्रमुख पहलू जिस पर इस पेपर में ध्यान केंद्रित किया गया, वह था संपूर्ण टैरिफ अवधारण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नवीन और कुशल तरीकों की तलाश करना, ताकि टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में विनियामक न्यायशास्त्र से समझौता किए बिना न्यूनतम विनियामक इंटरफेस शामिल हो।

3. बाजार कपलिंग

पावर बाजार विनियम, जो विद्युत बाजार के विकास के लिए सक्षम फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं, को पहली बार दिनांक 21.1.2010 को केविविआ द्वारा अधिसूचित किए गए थे। उसके बाद, आयोग ने पूर्ववर्ती विनियमों को निरस्त करते हुए दिनांक 15.2.2021 को केविविआ (पावर बाजार) विनियम, 2021 (पीएमआर 2021) अधिसूचित किया।

विद्युत क्षेत्र में बहु–एक्सचेज मॉडल का विचार मूल रूप से एक्सचेंजों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और बाजार सहभागियों की बढ़ती और बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था। भारत में पावर एक्सचेंजों में विभिन्न अनुबंधों में सहभागिता के लिए स्वैच्छिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, पावर एक्सचेंजों में संव्यवहारों की मात्रा कई गुना बढ़ गई है, और इसी प्रकार, सभी पावर एक्सचेंजों में उत्पादों की संख्या और बाजार खंडों का विस्तार हुआ है। हाल ही में, विद्युत का क्रॉस–बॉर्डर व्यापार भी आईईएक्स के डे–अहेड बाजार (डीएएम) में आरंभ हुआ है। यद्यपि पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार कुल विद्युत उत्पादन का केवल 7% है, फिर भी संव्यवहारित मात्रा और पावर एक्सचेंजों के साथ पंजीकृत सहभागियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में सामूहिक संव्यवहारों में वृद्धि हुई है, जहां अनेक एक्सचेंज कार्यरत हैं। यह एक तथ्य है कि विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत में 70% से अधिक हिस्सा सामूहिक संव्यवहारों का है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में केवल एक एक्सचेंज की हिस्सेदारी बढ़ रही है और इस प्रकार निम्नतर तरलता वाले पावर एक्सचेंज बाजार कपलिंग की वकालत कर रहे हैं। आयोग ने एकसमान कीमत खोज सक्षम बनाने के लिए पावर एक्सचेंजों के बीच बाजार कपलिंग आरंभ करने हेतु पीएमआर 2021 में सामर्थ्यकारी उपबंध प्रदान किए हैं।

बाजार कपलिंग से संबंधित इन उपबंधों को अभी प्रवृत्त किया जाना है और इस प्रकार ये अगस्त, 2023 में जारी किए जाने वाले स्टाफ पेपर में चर्चा का आधार बनेंगे। ये पेपर यूरोपियन बाजार और जर्मन बाजार में बाजार कपलिंग के परिणामों की जांच करता है, और भारतीय संदर्भ में बाजार कपलिंग के लाभों को रेखांकित करता है और इस प्रश्न पर विचार करता है कि क्या वर्तमान भारतीय विद्युत बाजार परिदृश्य बाजार कपलिंग के लिए एक सम्मोहक मामला बनाता है। इस पेपर में उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का भी प्रयास किया गया है कि बाजार कपलिंग प्रचालक कौन होगा, भारत में कपल्ड बाजार के लिए कौन सी एल्गोरिथम अपनाई जानी चाहिए, और बाजार की कपलिंग के लिए निपटान प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं।

4. ग्रिड सुरक्षा प्रभार

आयोग को एनएलडीसी से संदर्भ प्राप्त हुए, जिसमें आकस्मिकताओं से निपटने के लिए पर्याप्त रिजर्वों की कमी पर प्रकाश डाला गया। एनएलडीसी ने रिजर्वों की अग्रिम खरीद सुनिश्चित करने और ग्रिड सुरक्षा और विश्वसनीयता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा गैस–आधारित उत्पादन का इष्टतम उपयोग करने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए हैं। इस संदर्भ में, रिजर्वों की पर्याप्तता और, बदले में, ग्रिड प्रचालन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा हेतु एक स्टाफ पेपर प्रकाशित किया गया था।

इस पेपर में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कुछ उच्च–लागत उत्पादन, विशेष रूप से गैस–आधारित उत्पादन, ऐसे स्टेशनों के लाभार्थियों से नगण्य या कोई मांग न होने के कारण बंद हैं। इस स्थिति ने ग्रिड संचालन को सुरक्षित करने के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इस प्रकार, ग्रिड सुरक्षा के हित में मौजूदा गैस–आधारित उत्पादन का इष्टतम उपयोग करने के लिए उपायों के साथ–साथ रिजर्वों की अग्रिम खरीद की आवश्यकता थी। इस पेपर में गैस–आधारित उत्पादन के इष्टतम उपयोग के लिए अंतरिम उपायों और रिजर्वों/सहायक सेवाओं के लिए लागत की वसूली के लिए तंत्र पर चर्चा की गई है और एनएलडीसी को निर्देश दिया कि वह पेपर में दिए गए विकल्प I के अनुसार एससीयूसी और सहायक सेवाओं के अधीन गैस–आधारित उत्पादन का उपयोग करे और द्वितीय II की व्यवहार्यता का पता लगाए और आयोग को इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करे।

5.
विनियामक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

1. विनियामक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

केंद्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है:

i. विनियमों को अधिसूचित करता है

ii. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है:

क. टैरिफ का अवधारणा करने

ख. अनुज्ञप्ति जारी करने

ग. प्रकीर्ण मामले

विनियमों के लिए क्रियाविधि

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारीवृंद स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद, परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। आक्षेप और सुझावों की प्राप्ति पर,

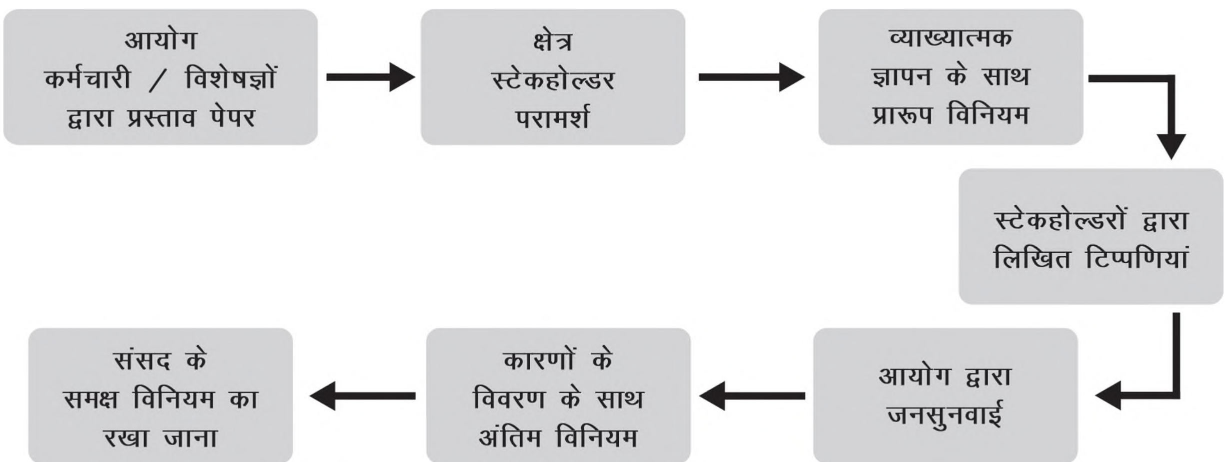

चित्रः विनियम के निर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के प्रवाह का चित्र

मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है।

प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार–विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किए जाते हैं। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रारूप विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्रवाई की जाती है। इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। आक्षेप और सुझाव प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।

याचिकाओं से संबंधित आदेशों के लिए प्रक्रिया

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं:

I. उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;

II. विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण और अंतर–राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं:

I. विविध याचिकाएं

II. पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के प्रति सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदकों से, टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा भी की जाती है। तत्पश्चात, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी को, आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अनुमति है।

टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सृजन के पूर्व, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और नीपको, का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को, अन्य बातों के साथ–साथ, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात आयोग ने टैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों को तीन वर्ष की अवधि, अर्थात 2001–04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम, 2003 (जिससे अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात् आयोग ने 2004–09 की पांच वर्ष की अवधि तथा मार्च, 2009 में 2009–14 की एक और पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों और वर्ष 2014–19 की टैरिफ अवधि के लिए फरवरी, 2014 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में केन्द्र/स्टेशन/राज्य–वार उत्पादन टैरिफ तथा लाइन या प्रणाली–वार पारेषण टैरिफ को निर्धारण करने का उपबंध है। आयोग ने 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 जारी किया जो 1.4.2019 से 31.03.2024 तक प्रभावी है।

टैरिफ समय–समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदंड और तकनीकी मानदंड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आंरभिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक। थर्मल केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं। टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ के लिए, लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधार ईंधन कीमत और सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न–भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये केंद्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और क्रेता केंद्रों से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं।

6.

2023-24
के दौरान गतिविधियां

2023-24 के दौरान गतिविधियां

विधिक कार्यवाहियां

वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल 502 याचिकाएं दाखिल हुईं। इस अतिरिक्त, 701 याचिकाएं पिछले वर्ष 2022–23 से आगे लाई गईं, जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 1203 हुई। इनमें से, 584 याचिकाएं वर्ष 2023–24 के दौरान निपटाई गईं। निपटाई गई याचिकाओं का विस्तृत विवरण अनुबंध–I में दिया गया है।

2023–24 में जारी किये गये मुख्य निर्णय/विनियम

1. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024**

   दिनांक 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त हुआ और यह 31 मार्च, 2029 तक लागू रहेगा।

   टैरिफ विनियम 2024 की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

   i. महत्वपूर्ण उपबंधों, जैसा कि अधिसूचित किया गया है, में विनियामक निश्चितता के लिए मौजूदा परियोजनाओं हेतु इक्विटी पर रिटर्न की मौजूदा दर को बनाए रखना शामिल किया गया है। नई पारेषण परियोजनाओं के लिए, इक्विटी पर रिटर्न की दर में 0.5% की कमी है। नए भंडारण–आधारित हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए, इक्विटी पर रिटर्न में 0.5% की वृद्धि है जबकि थर्मल उत्पादन स्टेशनों के लिए, कोई परिवर्तन नहीं है। तदनुसार, नई परियोजनाओं के लिए, पारेषण परियोजनाओं हेतु इक्विटी पर रिटर्न की दर को 15%, थर्मल उत्पादन स्टेशनों और आरओआर–आधारित हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए के लिए 15.50%, और पीएसपी सहित भंडारण–आधारित हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए 17% के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

   ii. इन विनियमों में पहलुओं जैसे कि बायोमास सह–ज्वालन, लचीले प्रचालन, और ईंधन प्रबंधन के लिए रेलवे अवसंरचना के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु उपबंध निर्धारित करने के साथ–साथ एनसीएलटी कार्यवाहियों के माध्यम से अर्जित परियोजनाओं के लिए पूंजीगत लागत हेतु उपबंधों को लाया गया है।

   iii. विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, रु. 10 लाख तक पूंजीगत स्पेयर्स और रु. 20 लाख से कम लागत वाली व्यक्तिगत आस्ति के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को उत्पादन स्टेशनों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए ओ एंड एम व्यय में शामिल किया गया है।

   iv. गैस–आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज के अभिकलन हेतु, ईंधन लागतों को 30 दिनों से 15 दिनों तक घटाया गया है। ब्याज की दर को पुनरीक्षित किया गया है और 1–वर्ष एसबीआई एमसीएलआर. 325 बेसिस प्वाइंट्स के रूप में सेट किया गया है।

   v. इन विनियमों में उन पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए ओ एंड एम व्यय हेतु पृथक मानदंड के लिए भी उपबंध है जिनकी पारेषण आस्तियाँ पूर्ण रूप से उत्तर–पूर्व प्रदेश (सिक्किम सहित), उत्तराखंड के राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य प्रदेश, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का जिला में स्थित हैं और इसे विनियमों में निर्धारित मानकीय ओ एंड एम व्यय से 1.50 को गुणा किया जाएगा।

   vi. तृतीय–पक्ष सैम्पलिंग के अनुपस्थिति में, ऊर्जा प्रभारों के अभिकलन के लिए, ईंधन के जीसीवी को ''यथा बिल किया गया'' आधार पर माना जाएगा। एकीकृत कोयला खदान के लिए दूरी से जुड़ी जीसीवी हानि के लिए उपबंध को शामिल किया गया है, जो 300 किलोकैलोरी/किग्रा की सीलिंग के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त, पीक घंटों के दौरान एक्स–बस अनुसूचित ऊर्जा के लिए 75 पैसे/किलोवाट घंटा की दर पर विनिर्दिष्ट मानकीय संयंत्र भार कारक के अधिक के लिए और ऑफ–पीक घंटों के दौरान एक्स–बस अनुसूचित ऊर्जा के लिए 55 पैसे/किलोवाट घंटा की दर पर प्रोत्साहन को उपबंधित किया गया है।

vii. इसके अतिरिक्त, विनियमों थर्मल के लिए वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के 1% तक और 30% सीमा से अधिक प्राथमिक फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया प्रदान करने वाली हाइड्रो परियोजनों के लिए क्षमता प्रभारों के 3% तक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के मामले में, द्वितीयक ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार दर को 120 पैसे प्रति किलोवाट घंटा से 130 पैसे प्रति किलोवाट घंटा में पुनरीक्षित किया गया है, और आरओआर हाइड्रो स्टेशन के लिए 50 पैसे/किलोवाट घंटा का प्रोत्साहन प्रदान किया गया है यदि दिन के पीक घंटों के दौरान बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा दिन (24 घंटे) के दौरान औसत बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा से अधिक है।

2. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023

आयोग ने दिनांक 01.04.2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 संशोधित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित किया। इन विनियमों के कुछ उपबंध दिनांक 05.04.2023 को लागू किए गए और बाकी उपबंध दिनांक 01.10.2023 से लागू किए गए। जीएनए विनियम में प्रथम संशोधन मुख्य रूप से उत्पादन स्टेशनों द्वारा संयोजकता के स्कवॉटिंग के मुद्दे को हल करने और आरई संसाधनों से विद्युत की निकासी के लिए जीएनएआरई और टी–जीएनएआरई के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता के उपबंध उपबंधित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। प्रथम संशोधन के अधीन निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया है:

क) नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं या नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ताओं द्वारा संयोजकता का आवेदन निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ किया जाएगा:

i. नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता: निम्नलिखित में से किसी एक के साथ सौर विद्युत उत्पादकों या पवन विद्युत उत्पादकों की ओर से संयोजकता के लिए व्यवस्था सहित अवसंरचनात्मक गतिविधियां करने के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, यथा लागू, द्वारा प्राधिकरण:

   क. स्वामित्व या लीज अधिकार या उस क्षमता के लिए अपेक्षित भूमि के 50% के लिए भूमि उपयोग के अधिकार के प्रमाण के रूप में पंजीकृत टाइटल डीड, जिसके लिए संयोजकता मांगी गई है

   ख. इन विनियमों के विनियम 11क और 11ख के उपबंधों के अध्यधीन स्वामित्व या लीज अधिकार या उस क्षमता के लिए अपेक्षित भूमि के 50% के लिए भूमि उपयोग के अधिकार के प्रमाण के रूप में पंजीकृत टाइटल डीड, जिसके लिए संयोजकता मांगी गई है, के बदले में रुपए 10 लाख/मेगावाट की बैंक गारंटी

ii. नवीकरणीय विद्युत परियोजना –

(क) टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के परिणामस्वरूप वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से किसी प्राधिकृत एजेंसी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए), या उसके साथ किया गया विद्युत क्रय करार (पीपीए), यथास्थिति; या (ख) क्षमता के लिए अपेक्षित भूमि के 50% के लिए स्वामित्व या लीज अधिकार या भूमि उपयोग अधिकार के प्रमाण के रूप में पंजीकृत टाइटल डीड; या (ग) उस क्षमता के लिए जिसके हेतु संयोजकता मांगी गई है, अपेक्षित भूमि के 50% के लिए भूमि के स्वामित्व या लीज अधिकार या भूमि के उपोयग अधिकार के बदले में रु. 10 लाख/मेगावाट की बैंक गारंटी इन विनियमों के विनियम 11क और 11ख के उपबंधों के अध्यधीन है।

(ख) नवीकरणीय विद्युत परियोजना या नवीकरणीय विद्युत पार्क परियोजना द्वारा मध्यवर्ती माइलस्टोन के दस्तावेजों का निम्नानुसार प्रस्तुतिकरण:

   i. रु. 10 लाख/मेगावट की बैंक गारंटी के आधार पर संयोजकता मांगने वाली इकाइयों के लिए संयोजकता के अंतिम अनुदान के जारी

किए जाने के 180 दिनों के अंदर 50% भूमि के दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण जिसमें विफल होने पर संयोजकता प्रतिसंहृत की जाएगी और बैंक गारंटी का नकदीकरण किया जाएगा।

ii. संयोजकता के अंतिम अनुदान से 12 मास के अंदर इक्विटी के माध्यम से परियोजना लागत के कम से कम 10% की रिलीज।

iii. संयोजकता के अंतिम अनुदान जारी किए जाने की तारीख से 12 मास की अवधि के अंदर, यदि संयोजकता के अंतिम अनुदान जारी किए जाने की तारीख से 2 वर्षों के अंदर संयोजकता के आरंभ की तारीख है या (ख) संयोजकता के आरंभ की तारीख और संयोजकता के अंतिम अनुदान के जारी होने के बीच 50% समयावधि के समतुल्य अवधि, यदि संयोजकता के आरंभ की तारीख संयोजकता के अंतिम अनुदान के जारी होने की तारीख से 2 वर्षों से अधिक है, के अंदर वित्तीय समापन हासिल करना।

iv. एससीओडी (एलओए/पीपीए पर आधारित परियोजनाओं के लिए आरईआईए द्वारा यथा विस्तारित) तक सीओडी हासिल करना या एससीओडी से 6 मास के अंदर (भूमि पर आधारित परियोजनाओं के लिए)।

v. निर्धारित समय–सीमा के अंदर वित्तीय समापन हासिल न करने या सीओडी की गैर–घोषणा के मामले में संयोजकता का प्रतिसंहरण और सीओएनएन बीजी का नकदीकरण यदि

ग) अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली के माध्यम से आईएसजीएस से सीधे आहरण की मात्रा को विनिर्दिष्ट कार्य पद्धति के आधार पर शामिल नहीं किया जाएगा।

घ) आरई संसाधनों से विद्युत के आहरण के लिए जीएनएआरई और टी–जीएनएआरई के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता।

ङ) जीएनएआरई वाली इकाई, जीएनए या टी–जीएनए प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार, टी–जीएनएआरई वाली इकाई जीएनए या टी–जीएनए प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। तथापि, वह अपने जीएनएआरई को जीएनए में या टी–जीएनएआरई को जीएनए, यथास्थिति, में परिवर्तित कर सकती है।

च) वह इकाई जो जीएनए या टी–जीएनए अनुदानग्राही है, जीएनएआरई या टी–जीएनएआरई प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। ऐसी इकाई अतिरिक्त आहरण आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त जीएनए या टी–जीएनए मांग सकती है।

छ) प्रदान की गई जीएनए के त्याग के लिए लागू प्रभारों में संशोधन, जीएनए की शेष अवधि का पुनरीक्षण 24 मास से 18 मास किया गया।

3. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023

आयोग ने दिनांक 29.05.2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 (आईईजीसी 2023) अधिसूचित किया। इसमें 10 अध्याय और 7 अनुबंध शामिल हैं और इसमें संबंधित सांविधिक निकायों, उत्पादन कंपनियों, अनुज्ञप्तिधारियों और अधिनियम में परिकल्पित सांविधिक संरचनाओं के भीतर विद्युत प्रणालियों के प्रचालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति की भूमिकाओं, कृत्यों और दायित्वों और केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियमों और अधिसूचनाओं, सीओडी, ग्रिड की सुरक्षा, रिजर्वों, शेड्यूलिंग, नई घटक आवश्यकताओं का संयोजन, निम्न भार प्रचालन के लिए क्षतिपूर्ति आदि से संबंधित विभिन्न उपबंध शामिल हैं। आईईजीसी 2023 के कोड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) **संसाधन आयोजना कोड:** आयोजना कोड का पुनःनामकरण संसाधन आयोजना कोड के रूप में किया गया है। नीचे से ऊपर की आयोजना दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है जिसमें सुरक्षित ग्रिड प्रचालन के लिए आवश्यक मांग पूर्वानुमान, उत्पादन संसाधन पर्याप्तता आयोजन और पारेषण संसाधन पर्याप्तता मूल्यांकन शामिल होंगे।

(ii) **संयोजन कोड:** संयोजकता अनुदान, जीएनए विनियमों द्वारा शासित होंगे। एनएलडीसी प्रथम बार ऊर्जीकरण और नए

या आशोधित विद्युत प्रणाली घटकों के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेंगे। एनएलडीसी, आरएलडीसी या एसएलडीसी, यथास्थिति, विद्युत प्रणाली घटक के प्रथम बार ऊर्जीकरण से पूर्व संयुक्त प्रणाली अध्ययन करेंगे।

(iii) **संरक्षण कोडः** विद्युतीय प्रणालियों के संरक्षण प्रोटोकॉल, संरक्षण सेटिंग्स और संरक्षण संपरीक्षा आयोजन को कवर करते हुए ग्रिड में एक नया कोड आरंभ किया गया है।

(iv) **कमीशनिंग और वाणिज्यिक प्रचालन कोडः** सीओडी की घोषणा से पूर्व उत्पादन स्टेशनों के साथ–साथ पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों से दस्तावेज और जांच रिपोर्ट मांगी गई हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों और ईएसएस से परीक्षण जांच को ग्रिड कोड में शामिल किया गया है।

(v) **प्रचालन कोडः** प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रिजर्वों, वोल्टता नियंत्रण रिजर्वों और ब्लैक स्टार्ट रिजर्वों वाले रिजर्वों के लिए संरचना को शामिल किया गया है। अदाकर्ता इकाइयों के अतिरिक्त उत्पादन स्टेशनों के लिए भी रिएक्टिव विद्युत क्षतिपूर्ति (प्रोत्साहन एवं निरुत्साहन दोनों) को 0.5 पैसे/केवी एआरएच प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ 5 पैसे/केवी आरएच के रूप में आरंभ किया गया है। ब्लैक स्टार्ट सेवा के लिए क्षतिपूर्ति को, डीएसएम विनियमों के अनुसार उस अंतिम ब्लॉक के लिए, जिसमें ग्रिड उपलब्ध है, विचलन के लिए प्रभारों की साधारण दर के 110% पर वास्तविक अंतःक्षेपण के रूप में आरंभ किया गया है।

(vi) **शेड्यूलिंग और प्रेषण कोडः** शेड्यूलिंग प्रक्रिया को जीएनए विनियमें के साथ संरेखण के लिए आशोधित किया गया है। सुरक्षा बाधित यूनिट कमिटमेंट (एससीयूसी) और सुरक्षा बाधित मितव्ययी प्रेषण (एससीईडी) के लिए तंत्र को ग्रिड कोड में शामिल किया गया है।

(vii) **साइबर सुरक्षा कोडः** एक नया कोड शामिल किया गया है जिसमें सभी उपयोगकर्ता ग्रिड के विश्वसनीय प्रचालन का समर्थन करने हेतु सीईए (विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा) दिशानिर्देश, 2021 और समुचित प्राधिकरण द्वारा जारी ऐसे किसी विनियमों में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार साइबर सुरक्षा संपरीक्षा करेंगे।

(viii) **मॉनिटरिंग और अनुपालन कोडः** अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दो कार्य पद्धितयाँ शामिल की गई हैं: स्व–संपरीक्षा और अनुपालन संपरीक्षा। उपयोगकर्ताओं के लिए मॉनिटरिंग एजेंसी, उनके संबंधित नियंत्रण क्षेत्रों के आधार पर संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी होगा। आरएलडीसी, एनएलडीसी, सीटीयू और आरपीसी के लिए मॉनिटरिंग एजेंसी आयोग होगी, और एसटीयू और एसएलडीसी के लिए संबंधित एसईआरसी होगी।

4. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 20 अक्तूबर, 2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित किया। शेयरिंग विनियमों में द्वितीय संशोधन पारेषण प्रणालियों के बीच बेमेल होने के मामले में पारेषण प्रभारों से व्यवहार करने हेतु अधिसूचित किया गया। संशोधन दिनांक 01.11.2023 से प्रवृत्त हुआ। शेयरिंग विनियमों के द्वितीय संशोधन के अधीन निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गयाः

क) अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को डीम्ड सीओडी की तारीख से छह (6) मास की अवधि के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार (वाईटीसी) का 50% भुगतान किया जाएगा और यदि वास्तविक विद्युत प्रवाह डीम्ड सीओडी की तारीख से 6 मास की अवधि के अंदर आरंभ नहीं होता है, तो उसे आरटीडीए लेखा से सात (7) मास से वाईटीसी का 100% भुगतान किया जाएगा।

ख) चूककर्ता अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी पारेषण प्रणाली के वाईटीसी का 50% या डीम्ड सीओडी प्राप्त कर चुकी पारेषण प्रणाली के वाईटीसी का 50%, जो भी निम्नतर हो, का भुगतान आरटीडीए लेखा को अपनी विलंबित अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के सीओडी प्राप्त करने तक करेगा।

ग) प्रतिस्पर्धात्मक बोली आधारित टैरिफ के अधीन अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के मामले में, प्रथम अनुबंध वर्ष उस तारीख से आरंभ होगा जब ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वाईटीसी का 100% प्राप्त करना आरंभ कर देंगे।

5. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023

आयोग ने विपरीत विद्युत प्रवाह की क्षमता पर आधारित राष्ट्रीय घटक के अधीन अंतर–प्रादेशिक एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणाली के पारेषण प्रभारों पर विचार करने के लिए दिनांक 26.10.2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित किया।

6. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023

आयोग ने दिनांक 15.12.2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित किया। तृतीय संशोधन के अधीन निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया है:

क) एनएचएआई, रेलवे, और सीमा सड़क संगठन की परियोजना (परियोजनाओं) के कारण ऐसी पारेषण लाइन की शिफ्टिंग या आशोधन या अन्यथा के कारण पारेषण लाइन के शट डाउन के मामले में, आउटेज के अधीन ऐसे पारेषण घटक ऐसी अवधि के लिए डीम्ड उपलब्धता के लिए पात्र होंगे जिसके लिए डीआईसी ऐसी पारेषण लाइन के शटडाउन द्वारा प्रभावित नहीं हैं। सदस्य सचिव, आरपीसी शामिल कार्य के लिए उनके द्वारा युक्तियुक्त समझी गई अवधि तक डीम्ड उपलब्धता को सीमित कर सकते हैं।

ख) वह आउटेज अवधि, जिसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे कारणों के लिए उपलब्धता के उद्देश्य हेतु छोड़ा जा सकता है, उसे (i) सदस्य सचिव, आरपीसी द्वारा अधिकतम एक मास तक, (ii) आरपीसी में निर्णय के बाद एक मास से अधिक और तीन मास तक, और (iii) तीन मास से अधिक के लिए आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा।

7. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 91(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों, और इस निमित्त समर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केविविआ ने 12 मई, 2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित किया।

अधिसूचना के माध्यम से केविविआ ने मूल विनियम के विनियम 6(6) के बाद एक नया विनियम 6क अंतर्वेशित किया जिससे केविविआ को एक वर्ष के लिए परामर्शियों का एक पैनल तैयार करने का अधिकार मिला, जिनसे केवल केविविआ के साथ कार्य करने के लिए बोलियाँ आमंत्रित की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधनों के माध्यम से मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (4) में संशोधन भी लागू किया गया।

ये संशोधन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए।

8. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 का अधिक्रमण करते

हुए 19 अक्तूबर, 2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 अधिसूचित किया।

ये विनियम आयोग के कार्यालय, कार्यालय समय, पाली आदि, आयोग के समक्ष दाखिल की जाने वाली याचिकाओं का वर्गीकरण, अभिवचनों के प्रारूप और संरचना, याचिका दाखिल करने हेतु फीस, याचिकाओं की संवीक्षा, अभिवचनों और अन्य दस्तावेजों की प्रस्तुतिकरण, आयोग के समक्ष किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का प्राधिकार, आयोग की कार्यवाहियाँ, समीक्षा याचिकाओं को छोड़कर याचिकाओं और समीक्षा याचिकाओं में आयोग का कोरम, याचिकाओं की स्वीकृति, नोटिसों की तामील, समन, आदेश या दस्तावेज आदि, मामले की सुनवाई, अभिवचनों का संशोधन, आयोग के आदेश, आयोग की कार्यावाहियों का रिकॉर्ड, विवादों की मध्यस्थता, जाँच और पूछताछ, आदेशों की समीक्षा, निर्णय और निर्देश, उपभोक्ता प्रतिनिधित्व, स्व–प्रेरणा कार्यवाहियाँ, विनियम तैयार करने की प्रक्रिया, और अन्य विविध उपबंधों से संबंधित है।

ये विनियम राजपत्र में विनियमों के प्रकाशन के साथ 23 जनवरी, 2024 को अस्तित्व में आए।

9. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के अधीन सूचना विनिमय और समयसीमाओं के साथ द्वितीयक एवं तृतीयक रिजर्व क्षमता की मात्रा के मूल्यांकन के लिए विस्तृत क्रियाविधि

आयोग ने एनएलडीसी द्वारा प्रस्तुत "सूचना विनिमय और समयसीमाओं के साथ द्वितीयक एवं तृतीयक रिजर्व क्षमता की मात्रा का मूल्यांकन" के लिए विस्तृत क्रियाविधि को दिनांक 28 सितम्बर, 2023 को अनुमोदित किया। यह क्रियाविधि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के विनियम 30(11) और 30(12) [विनियम 30(11)(k), 30(11)(q), 30(12)(d), 30(12)(1) को कवर करते हुए, के अनुसार तैयार की गई है। यह क्रियाविधि केविविआ (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 के विनियम 6(1) के अनुसार तैयार किए गए रिजर्वों के प्राक्कलन के लिए अंतरिम पद्धति का अधिक्रमण करती है। यह नोडल एजेंसी अर्थात् आरएलडीसी और एसएलडीसी के साथ समन्वय में एनएलडीसी द्वारा पालन किए जाने वाले एसआरएएस और टीआरएएस के लिए रिजर्वों की मात्रा के प्राक्कलन के लिए पद्धति और विभिन्न इकाइयों की भूमिका निर्धारित करती है।

10. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 के अधीन सामान्य नेटवर्क पहुंच और अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच की शेड्यूलिंग के लिए पारेषण कॉरिडोर के आबंटन हेतु विस्तृत क्रियाविधि

आयोग ने दिनांक 29.09.2023 के आदेश द्वारा एनएलडीसी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत क्रियाविधि की जांच की है और समुचित परिवर्तनों को शामिल करने के बाद, जीएनए विनियमों के विनियम 39.2 के परंतुक के संबंध में "सामान्य नेटवर्क पहुंच और अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच के अधीन शेड्यूलिंग के लिए पारेषण कॉरिडोर के आबंटन के लिए विस्तृत क्रियाविधि" को अनुमोदित किया।

पारेषण कॉरिडोर का आबंटन

क) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या जीएनए और टी–जीएनए अनुदानग्राहियों द्वारा मांगी गई आहरण अनुसूचियों को अनुमति दी जा सकती है, आरएलडीसी अंतः प्रादेशिक और बोली/नियंत्रण क्षेत्र आयात/निर्यात अंतरण क्षमता के साथ–साथ उपलब्ध अंतर–प्रादेशिक आयात/निर्यात अंतरण क्षमता के विरुद्ध प्रत्येक समय ब्लॉक के लिए मार्जिन की उपलब्धता की जांच करेगा।

ख) पारेषण कॉरिडोर आबंटन के उद्देश्य से, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बोली क्षेत्रों के रूप में कॉन्फिगर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त बोली क्षेत्र/बोली क्षेत्रों के समूहों को भी कॉन्फिगर किया जाएगा जब भी आवश्यकता हो।

ग) एनएलडीसी प्रत्याशित संकुलन और प्रचलित ग्रिड दशाओं के आधार पर इन बोली क्षेत्र (क्षेत्रों) की कॉन्फिग्रेशन/रीकॉन्फीग्रेशन के लिए

उत्तरदायी होंगे। पावर एक्सचेंज बोली क्षेत्रों की कॉन्फीग्रेशन के लिए अपनी संबंधित प्रणालियों में प्रावधान रखेंगे जब भी एनएलडीसी द्वारा विधिवत अग्रिम नोटिस के साथ सूचित किया जाएगा।

घ) प्रथमतया जीएनए अनुदानग्राही, संबंधित बोली क्षेत्र (क्षेत्रों)/नियंत्रण क्षेत्र (क्षेत्रों)/नियंत्रण या बोली क्षेत्र के समूह की उपलब्ध आयात और निर्यात अंतरण क्षमता के अध्यधीन उन्हें प्रदान किए गए जीएनए के भीतर विद्युत को अनुसूचित करने के पात्र होंगे।

(ङ) **सीटीयूआईएल के उत्तरदायित्वः** सीटीयूआईएल, जीएनए के किसी भी नए अनुदान दिए जाने के 15 दिनों के अंदर सभी हितधारकों (एनएलडीसी सहित) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरण सूचित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। जीएनए की मूल मात्रा या प्रभावशीलता की तारीख में परिवर्तन के मामले में, जीएनए की प्रभावशीलता की मूल तारीख से कम से 15 दिन अग्रिम में सभी हितधारकों (एनएलडीसी सहित) को सीटीयूआईएल द्वारा सूचित किया जाएगा। सीटीयूआईएल, एनएलडीसी को जीएनए की अनुमोदित मात्रा सूचित करने के लिए एक इंटरफेस (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस – एपीआई आधारित) भी प्रदान करेगा। सीटीयूआईएल, जीएनए विनियमों के विनियम 23 के अधीन अन्य जीएनए अनुदानग्राहियों द्वारा जीएनए के उपयोग के प्राधिकरण के विवरण ऐसे प्राधिकरण की प्रभावी तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व आरएलडीसी और एनएलडीसी को भी सूचित करेगा।

11. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017 के अधीन जारी क्रियाविधि और दिशानिर्देश

i. "संचार प्रणाली का रखरखाव और जांच" के संबंध में क्रियाविधि

आयोग ने दिनांक 19.01.2024 के आदेश द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017 के अधीन "संचार प्रणाली का रखरखाव और जांच के संबंध में क्रियाविधि" को अनुमोदित किया। इस क्रियाविधि का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में परिनियोजित संचार प्रणाली के प्रभावशाली रखरखाव और जांच के लिए विभिन्न मानदंड और क्रियाविधियाँ निर्धारित करना है।

ii. "चूक की त्वरित खोज और पुनःस्थापना के लिए केन्द्रीकृत पर्यवेक्षण" के संबंध में क्रियाविधि

आयोग ने दिनांक 19.01.2024 के आदेश द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017 के अधीन "चूक की त्वरित खोज और पुनःस्थापना के लिए केन्द्रीकृत पर्यवेक्षण के संबंध में क्रियाविधि" को अनुमोदित किया। इस क्रियाविधि का उद्देश्य विभिन्न इकाइयों की भूमिका, संचार प्रणालियों के केन्द्रीकृत पर्यवेक्षण के लिए क्रियाविधियाँ, चूक की त्वरित खोज और उसकी पुनः स्थापना, और अंतरसंयोजित संचार प्रणालियों के संबंधित उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वित प्रचालन हेतु तंत्रों को निर्धारित करना है।

iii. "संचार प्रणाली की उपलब्धता" के संबंध में दिशानिर्देश

आयोग ने दिनांक 19.01.2024 के आदेश द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017 के अधीन "संचार प्रणाली की उपलब्धता के संबंध में दिशानिर्देश" को अनुमोदित किया। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सीटीयू, एसटीयू के उत्तरदायित्वों और विद्युत क्षेत्र में परिनियोजित संचार प्रणालियों की उपलब्धता के अभिकलन के लिए तंत्र को निर्धारित करना है।

iv. "इंटरफेसिंग आवश्यकताओं" के संबंध में दिशानिर्देश

आयोग ने दिनांक 19.01.2024 के आदेश द्वारा

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017 के अधीन "इंटरफेसिंग आवश्यकताओं के संबंध में दिशानिर्देश" को अनुमोदित किया। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य टर्मिनल उपकरण, आरटीयू, स्काडा, पीएमयू, स्वतः उत्पादन नियंत्रण (एजीसी), स्वतः मीटर रीडिंग (एएमआर), एडवांस मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) आदि के संबंध में और उपयोगकर्ता के बिंदु से संबंधित नियंत्रण केन्द्र (केन्द्रों) तक सीईए द्वारा जारी तकनीकी मानकों पर आधारित डाटा संचार के लिए "इंटरफेसिंग आवश्यकताओं" को निर्धारित करना है। इन दिशानिर्देशों मे विभिन्न उपकरण के संबंध में विभिन्न सब–स्टेशनों और उत्पादन स्टेशनों से टेलिमीटर किए जाने वाले मानदंडों की भी व्यवस्था है।

12. केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2024

केविविआ ने दिनांक 17.02.2024 को ड्राफ्ट केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2024 अधिसूचित किया। इस विनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्रिड इंटरेक्टिव विद्युत परियोजनाओं का टैरिफ अवधारित करने के लिए निबंधनों एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करना है। ये विनियम उन सभी मामलों में लागू हैं जहाँ उत्पादन स्टेशन या उसके किसी यूनिट के लिए टैरिफ ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है, और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के खंड (2) के उप–खंडों के साथ पठित धारा 61 के अधीन कवर है।

13. "डीएसएम विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में पर्याप्त प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिक्रिया के कारणों का विश्लेषण" पर केविविआ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

"डीएसएम विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में पर्याप्त प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिक्रिया के कारणों का विश्लेषण" पर केविविआ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी की गई। इस रिपोर्ट में, समिति ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रिजर्वों की पर्याप्त सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपायों को संस्तुत किया और कीमत संरचना में समरूपता के प्रमुख डिजाइन सिद्धांतों के आधार पर, अति–प्रोत्साहित ग्रिड इकाइयों को छोड़ने के लिए, सहायक सेवाओं में शामिल होने को उत्साहित करने और ग्रिड से जुड़ी इकाइयों के लिए अन्य बाजार उपकरण के रूप में डीएसएम को निरुत्साहित करने के लिए ग्रिड से जुड़ी इकाइयों के लिए डीएसएम प्रभारों की पुनरीक्षित रूपरेखा को भी प्रस्तावित किया। विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के अनुसार, सामान्य विक्रेताओं और क्रेताओं के लिए विचलन प्रभारों को प्रचालक फ्रीक्वेंसी बैंड अर्थात्, 49.90 हर्ट्ज से 50.05 हर्ट्ज के बीच श्रेणीकृत किया जा सकता है; तथापि, प्रचालक बैंड से अधिक के लिए, विचलन प्रभारों को फ्रीक्वेंसी की अपेक्षा किए बिना सपाट रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, श्रेणीकृत विचलन प्रभार संबंधित क्रेताओं और विक्रेताओं की उस आरंभिक मात्रा सीमा तक सीमित हैं जिससे परे प्रभारों को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि ग्रिड पर निर्भर रहने के बजाए सहायक सेवा तंत्र में ऐसी इकाइयों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए किसी भी अतिरिक्त विचलन को निरुत्साहित किया जाएगा।

14. याचिका सं. 05/एसएम/2023 में स्वप्रेरणा आदेश

आयोग ने डीएसएम विनियम के कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करने और रियायत के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 के विनियम 11 और 12 के अंतर्गत इसकी शक्तियों के माध्यम से याचिका सं. 05/एसएम/2023 में 9.4.2023 को स्वप्रेरणा आदेश जारी किया। यह आदेश पावर एक्सचेंज में उच्च कीमत डेअहेड मार्केट (एचपी–डैम) की शुरूआत को ध्यान में रखते हुए और पावर एक्सचेंजों में विभिन्न बाजार खण्डों में कीमत सीमा में पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया

और आयोग ने उन विक्रेताओं के विचलन प्रभारों के संव्यवहार के लिए यह आदेश जारी किया जिनकी बोलियां एचपी–डैम बाजार में क्लियर की जाती हैं। विचलन के लिए प्रभार की सामान्य दर एचपी–डैम और डीएसएम के बीच किसी संभावित विवाचन से बचने के उद्देश्य से एचपी–डैम के अनुरूप किया गया।

15. विभिन्न पणधारकों द्वारा की गई चिंताओं पर आधारित जीएनए विनियम के 2009 संयोजकता विनियमों की प्रणाली से सुचारू परिवर्तन से जीएनए विनियम के अंतर्गत स्वप्रेरणा आदेश। इन स्वप्रेरणा आदेशों के अंतर्गत मुख्य निर्देश निम्नानुसार हैं:

i. याचिका सं. 11/एसएम/2023 में 22.9.2023 का प्रथम स्वप्रेरणा आदेश – जारी किए गए मुख्य निर्देश निम्नानुसार हैः

क) 2009 संयोजकता विनियमों के अंतर्गत पहले से प्रस्तुत बीजी के संबंध में और जीएनए विनियम के अंतर्गत अपेक्षित बीजी के संबंध में आयोग ने अनुमति दी है कि 2009 संयोजकता विनियमों के अंतर्गत बैंक गारंटियों का उच्चतर या जीएनए विनियम के यथाअपेक्षित को 2009 संयोजकता विनियमों तथा जीएनए विनियम के अधीन इकाइयों द्वारा अनुपालन के विचारार्थ सीटीयूआईएल द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा, इस प्रकार की सभी बैंक गारंटियों को 1.10.2023 को 2009 संयोजकता विनियमों के जीएनए विनियम निरस्त पश्चात के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

ख) उस मामले के लिए जहां इकाई ने 50 लाख रुपये के लिए कन–बीजी1 प्रस्तुत किया है लेकिन 2009 संयोजकता विनियमों के अधीन कोई सीबीजी प्रस्तुत नहीं किया है वहां कोई कन–बीजी1 जीएनए विनियम के विनियम 37.3 (3) के अधीन प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

ग) जीएनए विनियमों के विनियम 17.1 (vi) के अधीन कवर की गई इकाइयां (अंतःक्षेपण इकाई जिसे अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता प्रदान की गई है और आईएसटीएस में अंतःक्षेपण के लिए जीएनए की मांग की गई है) जहां लक्षित क्षेत्र को एलटीए परिवर्तन की तारीख को प्रभावी था उसे जीएनए विनियमों के विनियम 37.6 (2) के अनुसार माना जाएगा।

घ) विनियम 17.1 (iii) के अंतर्गत कवर की गई इकाइयां जहां 2009 संयोजकता विनियमों के अधीन प्रदान की गई संयोजकता प्रभावी है और एनटीए प्रदान नहीं किया गया है उसे खण्ड 37.6 (1) के अनुसार जीएनए में इस प्रकार की संयोजकता में परिवर्तन की अनुमति होगी।

ङ) एक आहरिति डीआईसी इसकी जीएन मात्रा तक भारत में कहीं से अनुसी के अनुरोध के लिए पात्र हैं जहां इस प्रकार का अंतःक्षेरण प्वाइंट ''क्षेत्र के अंदर'' या ''क्षेत्र के बाहर से'' हो सकता है। ''क्षेत्र के अंदर'' और ''क्षेत्र के बाहर से'' जीएन का विभक्तिकरण निम्नानुसार दबाव के मामले में पारेषण कोरिडोर के आबंटन के लिए प्रयुक्त किया जाएगाः

- ''क्षेत्र के बाहर से'' पारेषण प्रणाली में दबाव के मामले में, पारेषण कोरिडोर इस प्रकार के सभी आहरिती डीआईसी के ''क्षेत्र के बाहर से'' विभक्तिकरण में समानुपात में आबंटित किया जाएगा।
- ''क्षेत्र के अंदर'' पारेषण प्रणाली में दबाव के मामले में, पारेषण कोरिडोर इस प्रकार के सभी आहरिति डीआईसी के लिए (''क्षेत्र के अंदर'' और ''क्षेत्र के बाहर से'' विभक्तिकरण का योग) के लिए कुल जीएनए मात्रा के समानुपात में आबंटित होगा।

च) आयोग ने क्षेत्र के अंदर जीएनए का समायोजन करते हुए उनके वास्तविक कंट्रेक्ट के अनुसार बाहरी जीएनए के लिए केरल और कर्नाटक द्वारा किए गए अनुरोध की अनुमति दी ताकि कुल जीएनए वही बना रह सके।

छ) चूंकि पीटीसी भूटान में तला, चूखा, कुरूची और मन्देचु परियोजनाओं में शामिल व्यापार अनुज्ञप्तिधारी है अतएव इन उत्पादन स्टेशन के लिए 4.4.2023 को विचार किए गए दीर्घकालिक

पहुंच के समतुल्य भारतीय ग्रिड में अंतःक्षेपण के प्रयोजन के लिए जीएनए प्रदान किया जाएगा।

ज) उन इकाइयों के लिए जीएनए जिनका एलटीए 7.6.2022 के बाद प्रचालनगत हुआ और जिन्हें परिवर्तन मामलों को कवर करते हुए जीएनए जीएनए विनियमों के विनियम 37 में कवर नहीं किया गया:

- पूर्वी सेन्ट्रल रेलवे – सीटीयूआईएल ने प्रस्तुत किया कि पूर्वी केन्द्रीय रेलवे के लिए एलटीए का 20 मेगावाट 10.4.2023 से सासाराम (पावरग्रिड एस/एस) से दुर्गोती टीएसएस पर आईएसटी के नए प्रत्याहार प्वाइंट से आरंभ किया गया। तदनुसार एलटीए का इस प्रकार का 20 मेगावाट रेलवे – ईआर – आईएसटीएस – बिहार के रूप में डीम्ड जीएनए में संपरिवर्तित किया जा सकता है: 20 मेगावाट। आयोग ने यह निर्णय दिया कि चूंकि एलटीए 2017 से पहले ही प्रचालनगत रहा है और 20 मेगावाट के लिए सासाराम में इस प्रकार के एलटीए के केवल पुनर्वितरण की मांग की गई है अतएव आयोग ने निर्देश दिया कि 20 मेगावाट पर सासाराम सहित बिहार में आईएसटीएस प्वाइंट पर 20 मेगावाट के प्रत्याहार के प्रयोजन के लिए रेलवे – ईआर – आईएसटीएस – बिहार के रूप में विचार किया जाएगा।
- बांग्लादेश – सीटीयूआईएल के अनुरोध पर आधारित कि बांग्लादेश के लिए एलटीए का अतिरिक्त 200 मेगावाट 1.1.2023 से प्रचालनगत हुआ जो सैमकॉर्प की बिलिंग सहित 31.5.2033 तक लागू है चूंकि वे एलटीए अनुदानग्राही हैं। अतएव आयोग ने 982 मेगावाट के रूप में (782 मेगावाट+200 मेगावाट) के रूप में बांग्लादेश के लिए डीम्ड जीएनए की वृद्धि हुई।

झ) विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ''नवीकरणी ऊर्जा और स्टोरेज पावर सहित बंडलिंग के माध्यम से थर्मल/हाइड्रो पावर स्टेशनों के उत्पादन और अनुसूचीकरण में लोचशीलता'' के लिए योजना पर आधारित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के तदन्तर बीपीसी द्वारा (प्राप्तकर्ता का एक प्राधिकृत प्रतिनिधि) द्वारा जारी किए गए एलओए पर आधारित प्राप्तकर्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए पीपीए का पीपीए जीएनए विनियमों के विनियम 5.8 (xi) के अधीन पात्र दस्तावेज के रूप में उचित रूप से विचार किया जाएगा। आयोग ने जीएनए विनियमों के संशोधन प्रक्रिया के लिए आयोग के स्टाफ को निर्देश दिया ताकि विचार किए गए दृष्टिकोण को इस प्रकार के मार्गनिर्देशों के अधीन कवर की गई परियोजनाओं के लिए किया जाए और इस प्रकार के समय तक आरईजीएस इस प्रकार के मामलों के लिए प्राप्तकर्ता के साथ या अन्य दो विकल्पों में से किसी या बीजी के साथ प्रविष्ट पीपीए के अनुरोध पर संयोजकता के आवेदन के लिए पात्र होगा।

ञ) जीएनए विनियमों के विनियम 11क के अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए टाइमलाइन उस इकाई के लिए जीएनए विनियमों के अधीन ''संयोजकता का अंतिम अनुदान'' की तारीख से गिनी जाएगी जो जीएनए विनियमों के अधीन संयोजकता/जीएनए के 2009 संयोजकता विनियमों के अधीन इसकी संयोजकता का परिवर्तन कर रहे हैं और सीटीयूआईएल जीएनए विनियमों के अधीन प्रदान की गई संयोजकता के रूप में इस प्रकार की संयोजकता प्रदान करेगा।

त) भूमि पार्सल के स्थान में परिवर्तन की आईएसटीएस के साथ संयोजकता के प्वाइंट में किसी परिवर्तन के बिना और संयोजकता की आरंभिक तारीख के बिना अनुमति होगी।

थ) संयोजकता का अंतरण –

- यदि संयोजकता अनुदानग्राही जो आरईजीएस है विनियम 15.2 के अधीन इसकी संयोजकता को विखंडित नहीं करता और पूर्ण संयोजकता में अंतरण की अपेक्षा करता है तो विनियम 15.3 की निबंधन व शर्तों के अध्यधीन पूर्ण संयोजकता क्षमता के लिए विनियम 15.3 के

अधीन संयोजकता के अंतरण की अनुमति होगी।

- एक अनुषंगी जिसने आरईजीएस को विकसित किया है विनियम 15.3 के अधीन इस प्रकार के आरईजीएस के सीओडी के बाद उक्त अनुषंगी के पेरेंट से संयोजकता (इन विनियमों के विनियम 4.1 के अनुसार न्यूनतम क्षमता के अध्यधीन आंशिक या पूर्ण में) के अंतरण के लिए पात्र होंगे।

द) जीएनए विनियमों के अधीन बीबीएमबी उत्पादन स्टेशन और सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का संव्यवहार संयोजकता – सीटीयूआईएल को संस्थापित क्षमता के समतुल्य बीबीएमबी और एसएसएचपी को डीम्ड जीएनए देगा।

ध) सीटीयूआईएल जीएनए विनियमों के विनियम 8.2 के अनुसार कन–बीजी2 और कन–बीजी3 के अनुरोध पर जीएनए विनियमों के विनियम 37.6 (1) (ख) के अधीन ''एटीएस के बिना संवर्धन'' सहित जीएनए विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन कवर की गई इकाइयों को अतिरिक्त जीएनए प्रदान कर सकता है।

न) इस प्रकार के उत्पादन स्टेशन जिन्होंने 1.10.2023 को सीओडी घोषित किया है ग्रिड से संबद्ध है और अल्पकालिक आधार पर अपने विद्युत की निकासी कर रहे हैं, उस समय की उचित प्रोसेसिंग को ध्यान में रखते हुए जिसे सीटीयूआईएल द्वारा लिया जा सकता है, अग्रिम रूप से परिवर्तन के लिए आवेदन करना चाहिए। तथापि विद्युत को रोकने से बचने के लिए उस समय तक सीटीयूआईएल परिवर्तन के अपने अनुरोध को प्रोसेस कर सकता है यदि वे अपनी विद्युत की अनुसूची की मांग करते हैं तो वे अनंतिम रूप से 2 लाख रुपये/मेगावाट के लिए कन–बीजी3 जमा कर सकते हैं। इस प्रकार के कन–बीजी3 की प्राप्ति पर सीटीयूआईएल इस प्रकार की इकाइयों को अनंतिम अनुमति जारी करेगा जिसे जीएनए विनियमों के विनियम 37.6 (1) के अधीन यथाप्रदत्त डीम्ड टीजीएनए के रूप में माना जाएगा।

ii. याचिका सं. 13/एसएम/2023 में 29.9.2023 का द्वितीय स्वप्रेरणा आदेश :

क) आयोग ने, इस प्रकार के उत्पादकों से विद्युत की रोक से बचने के लिए जो पहले से ग्रिड से संबद्ध है और अगले कुछ दिनों के लिए बैंक अवकाश के कारण बीजी के प्रस्तुत न करने के कारण एसटीओ के अधीन अपनी विद्युत का संव्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार के उत्पादक द्वारा अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने के अध्यधीन 16.10.2023 तक बीजी प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार के उत्पादक को अनुमति दी कि वे 16.10.2013 को अपेक्षित बैंक गारंटी जमा करेंगे जिसे न करने पर सीटीयू द्वारा प्रदान की गई अनुमति वापस ली जाएगी।

iii याचिका सं. 15/एसएम/2023 में 29.9.2023 का तृतीय स्वप्रेरणा आदेश :

क) आयोग ने, रेलवे एनआर आईएसटीएस – अप की अनुमति दी जिसे दादरी, ओरैया, नैनी या अब्दुल्लापुर में आहरण के लिए 130 मेगावाट की इसकी जीएनए मात्रा का उपयोग करने के लिए ओरैया और दादरी रेलवे पर आईएसटीएस इन्टरफेस पर आहरण के लिए 130 मेगावाट की जीएनए प्रदान किया गया है।

ख) यदि इकाई का आवेदन कन–बीजी–1, कन–बीजी–2, कन–बीजी–3 के प्रस्तुत न करने के कारण बंद है तो भूमि दस्तावेजों के स्थान पर प्रस्तुत 10 लाख रुपये/मेगावाट की बैंक गारंटी संयोजकता आवेदन की क्लोजिंग से एक महीने के अंदर वापस की जाएगी।

ग) आयोग ने, परिवर्तन अवधि के लिए विशेष संवितरण की अनुमति दी और यह निर्णय दिया कि जहां टीजीएनए अगले तीन कार्यदिवसों के अंदर आरंभ हो रहा है और आवश्यक आवेदन श्रेणी के लिए भुगतान प्रचलित मौजूदा पद्धति के अनुसार आवेदन के अनुमोदन के तीन कार्यदिवसों के अंदर किया जाए। इसके अलावा, आयोग ने, 1.10.2023 से दो

महीने की अवधि के अंदर सॉफ्टवेयर परिवर्तनों के लिए ग्रिड इण्डिया को निर्देश दिया जिसके बाद पारेषण प्रभार जीएनए विनियमों में दी गई टाइमलाइन के अनुसार अदा किए जाएंगे।

घ) आयोग ने, किसी मात्रा के लिए अतिरिक्त जीएनए के लिए आवेदन करने हेतु एसटीयू के लिए 31.3.2024 तक टाइमलाइन को बढ़ा दिया।

iv. याचिका संख्या 16/एसएम/2023 में दिनांक 7.10.2023 का चतुर्थ स्वप्रेरणा आदेश

क) एसटीयू और सीटीयू प्रणाली दोनों से संबद्ध उत्पादन स्टेशन

- कांति बिजली उत्पादन निगम लि. (केबीयूएनएल) स्टेज–2 का अनुसूचीकरण–आयोग ने पाया है कि चूंकि केबीयूएनएल एक प्रादेशिक इकाई है इसलिए पूर्ण मात्रा के लिए अनुसूचीकरण इस प्रकार के उत्पादन स्टेशन के बसवार पर होगा। उत्पादन स्टेशन विद्युत के अनुसूचीकरण को सरल बनाने के लिए सीटीयूआईएल और ईआरएलडीसी को राज्य के बाहर 126 मेगावाट से अधिक की विद्युत के अनुसूचीकरण के लिए एसटीयू से एनओसी प्रस्तुत करेगा। तदनुसार ईआरएलडीसी इसके बसवार पर केबीयूएनएल की पूर्ण विद्युत की अनुसूची करेगा।
- धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (डीआईएल) का अनुसूचीकरण–ग्रिड इण्डिया, सीटीयूआईएल और डीआईएल की प्रस्तुति पर आधारित आयोग ने यह निर्णय लिया कि होस्ट राज्य को इस प्रकार के स्टेशनों से विद्युत के अनुसूचीकरण के प्रयोजन के लिए होस्ट राज्य के साथ संयोजकता की मात्रा उत्पादन बसवार पर जीएनए के रूप में आरएलडीसी द्वारा विचार किया जाएगा जिसे होस्ट राज्य को विद्युत की अनुसूची के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि डीआईएल 300मेगावाट से अधिक की मात्रा के लिए होस्ट राज्य की विद्युत सीमा से बाहर अपने विद्युत की अनुसूची चाहता है इसे होस्ट राज्य पारेषण प्रणाली के माध्यम से प्रवाह के रूप में विचार किया जाएगा। एमएसएलडीसी और एमएसईएलटीसीएस ने अपना एनओसी पहले ही दे दिया है। तदनुसार डीआईएल एसटीयूएल सहित संयोजकता मात्रा सहित इसके बसवार पर जीएनए मात्रा सहित 300 मेगावाट से अधिक के लिए आईएसटीएस को इसकी विद्युत अनुसूची प्राप्त कर सकता है जो दिनांक 25.7.2022 के आदेश के अनुसार व्हीलिंग प्रभारों के भुगतान के अध्याधीन होगा यदि 300 मेगावाट से अधिक विद्युत आईएसटीएस को अनुसूचित की है।

ख) आयोग ने यह भी निर्णय किया कि दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. जैसी इकाइयां जब कोई अन्य इकाई जो मार्गस्थ के अधीन है और जीएनए विनियमों के अधीन जीएनएआरई के लिए अर्हक है अर्थात् यह अभिज्ञात नवीकरणीय स्रोतों से अनन्य रूप से आईएसटीएस के माध्यम से विद्युत का आहरण कर रहा है के पास इस प्रकार के जीएनएआरई के लिए इसकी पात्रता स्थापित करने के लिए सीटीयूआईएल को पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना सहित मार्गस्थ पर विचार करते हुए एकबारगी व्यवस्था के रूप में अपने डीम्ड जीएनए को जीएनएआरई में संपरिवर्तित करने का विकल्प होगा और होस्ट राज्य के एसएलडीसी से अनापत्ति प्रमाणपत्र सहित होगा ताकि पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित की जा सके कि यह विद्युत की इस प्रकार मात्रा के लिए एसटीयू प्रणाली में उपलब्ध है। कंट्रेक्टों के प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने के बाद और इस प्रकार की इकाई के लिए अन्य आहरण ब्योरों के सत्यापन के बाद सीटीयूआईएल जीएनएआरई को इस प्रकार की इकाई के लिए आवंटित डीम्ड जीएनए को संपरिवर्तित करेगा।

16. भारतीय विद्युत ग्रिड कोड 2023 की 'छूट की शक्ति' और 'कठिनाइयां दूर करने की शक्ति' के उपबंधों के अधीन विभिन्न पणधारियों द्वारा अभिव्यक्त प्रचालनगत और तकनीकी कठिनाइयों पर आधारित स्वप्रेरणा आदेश।

i. याचिका संख्या 14/एसएम/2023 में दिनांक 30.09.2023 का प्रथम स्वप्रेरणा आदेश–जारी किए

गए मुख्य दिशानिर्देश निम्नानुसार है:

(क) घोषित क्षमता का पुनरीक्षणः पणधारियों द्वारा अभिव्यक्त आधारित कठिनाइयों पर आयोग ने यह विचार रखा कि ग्रिडकोड विनियम 49 (7) ब के अधीन कवर किए गए उत्पादन स्टेशनों या ईएसएस को गैस उत्पादन स्टेशन के लिए गैस की आपूर्ति में भिन्नताओं या हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए जल उपलब्धता की भिन्नता या यूनिट का आंशिक आउटेज जैसे कारणों से दिन में अनुसूची और घोषित क्षमता 2 (दो) पुनरीक्षणों की अनुमति होगी। पुनरीक्षित अनुसूची उस समयब्लॉक की गणना करते हुए विनियम 49 के खण्ड (4) के अनुसार सातवे समयब्लॉक या आठवे समयब्लॉक से प्रभावी होगी जिसमें पुनरीक्षण को पहले होने के लिए उत्पादक या ईएसएस द्वारा सूचित किया गया है।

(ख) यूनिट शटडाउन के मामले में आपूर्ति की बाध्यताः आयोग ने स्पष्ट किया कि वैकल्पिक स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति के लिए बाध्यता तभी लागू होगी जब उत्पादन स्टेशन अपनी घोषित क्षमता को बनाए रखता है। तथापि उत्पादन स्टेशन, उत्पादन स्टेशन और लाभार्थी के बीच प्रविष्ट करारों के अनुसार आपूर्ति के लिए बाध्यता या किसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(ग) पम्प स्टोरेज संयंत्र का ट्रायल रनः अभिव्यक्त की गई कठिनाई के आधार पर आयोग का यह विचार रहा कि अपर्याप्त जलाशय स्तर के कारण जल निकासी स्तरों पर जनरेटर और पम्पिंग मोटर मोड के एक (1) चक्र को प्रदर्शित करना संभव नहीं है। चूंकि सीओडी को इस शर्त के अध्याधीन उपलब्ध जल स्तरों पर क्षमताओं को प्रदर्शित करने के बाद घोषित किया जा सकता है कि जल निकासी स्तरों तक डिजाइन क्षमताओं को तत्काल प्रदर्शित किया जाएगा जब पर्याप्त जलाशय स्तर सीओडी के बाद उपलब्ध है।

तथापि यदि इस प्रकार का उत्पादन स्टेशन डिजाइन क्षमताओं के अनुसार जनरेटर और पम्पिंग मोटर ढंग से करने में समर्थ नहीं है जब पर्याप्त जल उपलब्ध है तो उत्पादन कंपनी या तो क्षमता को डिरेट करने का विकल्प होगा या ट्रायल रन के दोहराव का विकल्प होगा। यदि उत्पादन कंपनी ग्रिड कोड के विनियम 22 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अनुसार यूनिट क्षमता को डिरेट करने का निर्णय लेती है तो इस प्रकार की डिरेटिंग सीओडी से प्रभावी होगी।

(घ) डेअहेड बाजार में अनुसूचीकरण के लिए उत्पादक को सहमतिः आयोग का यह विचार है कि वह उत्पादन स्टेशन जिनका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अधीन अवधारित किया गया है, लाभार्थी (लाभार्थियों) की सहमति के बिना डेअहेड बाजार में 9.45 पूर्वाह्न में यथाउपलब्ध अपने अनपेक्षित अधिशेष का विक्रय कर सकता है।

ii. याचिका सं. 18/एसएम/2023 में 18.12.2023 का द्वितीय स्वप्रेरणा आदेश – जारी किए गए मुख्य निर्देश निम्नानुसार है:

(क) न्यूनतम टर्मडाउन अनुसूची जारी करनाः विभिन्न उत्पादकों ने यह कठिनाई अभिव्यक्त की है कि लाभार्थी डी1 को पूर्ण अनुसच्यी प्रदान कर रहे हैं लेकिन वास्तविक समय बाजार पर उसे संशोधित कर रहे हैं जो न्यूनतम टर्मडाउन स्तर से नीचे भी है जिससे उत्पादकों के लिए अव्यवहारित अनुसूचियां हो रही हैं। यह ग्रिड में अधिक अंतःक्षेपण के लिए उत्पादकों को बाध्य कर रही है जहां एसजी एमटीएल से कम है और उससे ग्रिड उल्लंघन हो रहे हैं और पर्याप्त डीएसएम का वहन किया जा रहा है। आयोग का यह विचार है कि यद्यपि लाभार्थियों/क्रेताओं को 'डी1' दिवस पर 1430 घण्टे तक उत्पादन स्टेशन से उनकी अपेक्षा पर निर्णय करने के लिए पूर्ण लोचशीलता होगी और 'डी' दिवस के लिए उक्त उत्पादन स्टेशन में अनुसूचियों के पुनरीक्षण के लिए उनका अधिकार इस शर्त के अध्याधीन होगा कि 'डी' दिवस के लिए अनुसूची का इस प्रकार का पुनरीक्षण संबंधित उत्पादन स्टेशन में न्यूनतम टर्मडाउन स्तर के उनके संबंधित शेयर से कम नहीं होगा।

(ख) आंशिक भार के लिए घोषित क्षमता का पुनरीक्षणः विभिन्न उत्पादन स्टेशनों द्वारा अभिव्यक्त

कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि ग्रिड इण्डिया द्वारा रिपोर्ट किया गया है, स्वप्रेरणा याचिका 14/एसएम में 30.9.2023 के आयोग के आदेश के आंशिक संशोधन में आयोग का यह विचार है कि लिग्नाइट, गैस आारित थर्मल उत्पादन स्टेशन और हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों को छोड़कर ग्रिड कोड के विनियम 49 (7) के अंतर्गत कवर किए गए उत्पादन स्टेशन या ईएसएस को लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले किसी अन्य तकनीकी कारण या ईंधन गुणवत्ता की भिन्नता या यूनिट की आंशिक आउटेज जैसे कारणों से माह के दौरान अधिकतम 60 (साठ) पुनरीक्षणों के अध्याधीन प्रतिदिन अनुसूची और घोषित क्षमता के 4 (चार) पुनरीक्षणों की अनुमति होगी। लिग्नाइट आधारित, गैस आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों और हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों को लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले किसी अन्य तकनीकी कारण या गैस उत्पादन स्टेशनों के लिए गैस की आपूर्ति में भिन्नताओं या ईंधन गुणवत्ता, हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए जल उपलब्धता या यूनिट की आंशिक आउटेज जैसे कारणों से माह के दौरान अधिकतम 120 (एक सौ बीस) पुनरीक्षणों के अध्याधीन प्रतिदिन अनुसूची और घोषित क्षमता के 6 (छः) पुनरीक्षणों की अनुमति होगी।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों में फ्री पावर शेयर का अनुसूचीकरणः केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों में जीयो एचपी में फ्री पावर शेयर का अनुसूचीकरण के संबंध में ऊर्जा निदेशालय, एचपी सरकार द्वारा अभिव्यक्त कठिनाइयों के आधार पर आयोग का यह विचार रहा कि एचपी की सरकार या हाइड्रो समृद्ध इस प्रकार की राज्य सरकारें उत्पादन स्टेशन के बसवार से सीधे फ्री पावर के अपने शेयर का विक्रय कर सकती है। इस प्रकार के उत्पादन स्टेशन और एचपी की सरकार द्वारा विद्युत की बिक्री लेखा के संबंध में कुछ मुददे हो सकते हैं चूंकि डीएसएम उत्पादन स्टेशन के लिए संगणित किया जाएगा लेकिन उत्पादन स्टेशन तथा सरकार और सरकारी विक्रय करने वाली फ्री पावर द्वारा डीएसएम प्रतिदेय/प्राप्य के बीच अलग किया जाना अपेक्षित होगा। तदनुसार आयोग ने एनएलडीसी को आरएलडीसी, आरपीसी, उत्पादन स्टेशन और उस इकाई जिसे इस प्रकार के फ्री पावर आवंटित की गई है के साथ परामर्श करते हुए इस प्रकार क`लेखांकन को सरल बनाने के लिए क्रियाविधि तैयार करने का निर्देश दिया।

विद्युत बाजार

1 विद्युत बाजारः व्यापार, पावर एक्सचेंज और ओटीसी प्लेटफार्म

1.1 अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति

आयोग ने विद्युत व्यापार गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जनवरी, 2020 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें एवं अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 अधिसूचित किया। 31 मार्च, 2024 को आयोग द्वारा 60 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी विनियमित किए गए। इनमें से 39 अनुज्ञप्तिधारियों ने या तो अल्पकालिक या अल्प एवं दीर्घकालिक व्यापार दोनों किए जबकि 6 अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विद्युत का केवल दीर्घकालिक व्यापार किया।

इन विनियमों के माध्यम से आयोग ने विनिर्दिष्ट किया कि अल्पकालिक कंट्रेक्टों और एक वर्ष तक पावर एक्सचेंजों के माध्यम से कंट्रेक्टों के अधीन संव्यवहारों के लिए व्यापार अनुज्ञप्तिधारी 0 (0.0) पैसे/किलोवाट घण्टे से कम का व्यापार मार्जिन प्रभारित नहीं करेंगे और 7 पैसे/ किलोवाट घण्टे से अधिक नहीं करेंगे। इस मार्जिन में अनुसूचित विद्युत, निर्बाध पहुंच और पारेषण हानियों के लिए प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार शामिल है। व्यापार मार्जिन विद्युत की अनुसूचित मात्रा पर व्यापार किया जाता है।

1.2 पावर एक्सचेएटी

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान भारत में 3 पावर एक्सचेंज थे, अर्थात मैसर्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एचपीएक्स), आईईएक्स और पीएक्सआईएल ने क्रमशः 27 जून 2008 और

22 अक्तूबर 2008 से अपना प्रचालन आरंभ किया। आयोग ने तीसरे पावर एक्सचेंज अर्थात हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को 12 मई 2021 के आदेश के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जिसने 6 जुलाई 2022 से अपना प्रचालन आरंभ किया।

आयोग ने 16.02.2023 को एकीकृत डे–अहेड मार्केट में उच्च कीमत डे–अहेड मार्केट की शुरूआत को अनुमोदित किया। 10.03.2023 को एचपी डेम खंड में व्यापार आरंभ हुआ। इस समर्पित बाजार खंड को उच्च लागत उत्पादकों के लिए आरंभ किया गया जो मौजूदा कीमत सीमा के कारण डे अहेड मार्केट में सहभागिता के लिए अन्यथा समर्थ नहीं रहे। बोली कीमत रेंज आरंभिक रूप से 0 रु/किलोवाट घंटे से 50 रु/किलोवाट घंटे के बीच रही और बाद में 11.04.2023 से 20 रु/किलोवाट घंटे में संशोधित हो गयी। एचपी डेम संव्यवहारों के लिए अनुसूचिकरण सामूहिक संव्यवहा. रों के लिए एनएलडीसी क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी। फिलहाल केवल निम्नलिखित विक्रेताओं की तीन श्रेणियां एचपी डेम में सहभागिता के लिए पात्र हैं।

(i) आयातित आरएलएनजी और नेफ्था का प्रयोग करते हुए गैस आधारित उत्पादन स्टेशन

(ii) केवल आयातित कोयले का प्रयोग करते हुए आयातित कोयला आधारित उत्पादन स्टेशन

(iii) बैटरी ऊर्जा स्टोरेज प्रणाली।

टर्मअहेड मार्केट के उपबंधों के अनुसार आयोग ने 24 जुलाई 2023, 21 सितंबर 2023 और 16 अक्तूबर 2023 के आदेश के माध्यम से उच्च लागत उत्पादकों अर्थात् एचपी डैम के अतिरिक्त उच्च कीमत टर्म अहेड मार्केट (एचपी टैम) के लिए समर्पित द्विपक्षीय बाजार की शुरूआत को अनुमोदित किया। विक्रेताओं की पात्रता के मानदण्ड एचपी डैम के अनुसार है।

आयोग ने 21 फरवरी, 2024 के आदेश के माध्यम से बाजार प्रचालन में संभावना और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उपाय किए। आयोग ने बोलियों की मेन्युअल प्रविष्टि को तत्काल समाप्त करने, बाजार के बाद के घण्टों में बोलियों को रदद करना, बाजार घण्टों के बाद बोलियों की प्रविष्टि और बाजार घण्टों का विस्तार के लिए पावर एक्सचेंजों को निर्देश जारी किए।

1.3 ओटीसी प्लेटफार्म

आयोग ने 31 मई, 2023 के माध्यम से दूसरे ओटीसी प्लेटफार्म अर्थात् जीएनए एनर्जी प्रा. लि. (जीएनए ईपीएल) को रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी। 31.3.2024 को भारत में दो ओटीसी प्लेटफार्म थे न्यूज मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी (एनएएनई) और जीएनए एनर्जी प्रा. लि. (जीएनए ईपीएल) ओटीसी प्लेटफार्म में ओटीसी बाजार में विद्युत के संभावित क्रेता और विक्रेता के बारे में संगत सूचना प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के रूप में विचार किया।

1.4 बाजार मॉनिटरिंग कक्ष

केविविआ का बाजार मॉनिटरिंग कक्ष (एमएमसी) विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट के विविआ की वेबसाइट पर अगस्त 2008 से नियमित रूप से पोस्ट की जा रही है और इसे भारत में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों पर सूचना के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक माना जाता है।

रिपोर्ट का केन्द्रः (i) विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की मात्रा और कीमत के बारे में सूचना प्रदान करना, (ii) बाजार के सहभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना, (iii) पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की मात्रा पर संकुलन के प्रभाव का विश्लेषण करना, (iv) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की मात्रा और कीमत के बारे में सूचना प्रदान करना, और (v) मासिक आधार पर पणधारकों को अन्य प्रासंगिक बाजार सूचना का प्रसार करना है।

मासिक रिपोर्ट के अतिरिक्त, एमएमसी अल्पकालिक विद्युत संव्यवहारों पर वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों और विभिन्न प्रकार के सहभागियों द्वारा किए गए संव्यवहारों पर विश्लेषण प्रदान करती है, जिसमें पावर एक्सचेंजों पर निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं, पावर एक्सचेंजों पर व्यापारित विद्युत की मात्रा पर संकुलन के प्रभाव और सहायक सेवा प्रचालनों पर जोर दिया जाता है। अल्पकालिक संव्यवहारों में वर्ष–वार रूझान नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों की मात्रा (बिलियन यूनिट)				
वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत (आईईएक्स और पीएक्सआईएल)	डीएसएम की मात्रा	डिस्कॉम के बीच प्रत्यक्ष रूप से संव्यवहारित विद्युत
2009-10	26.72	7.19	25.81	6.19
2010-11	27.70	15.52	28.08	10.25
2011-12	35.84	15.54	27.76	15.37
2012-13	36.12	23.54	24.76	14.52
2013-14	35.11	30.67	21.47	17.38
2014-15	34.56	29.40	19.45	15.58
2015-16	35.43	35.01	20.75	24.04
2016-17	33.51	41.12	23.22	21.38
2017-18	38.94	47.70	24.21	16.77
2018-19	47.32	53.52	25.13	19.23
2019-20	29.95	56.45	22.59	28.17
2020-21	26.67	79.59	22.91	16.84
2021-22	39.47	101.45	25.27	20.56
2022-23	33.80	102.95	26.30	31.30
2023-24	41.02*	121.49	26.78	28.92*

*1 अक्तूबर, 2023 से जीएनए विनियम के कार्यान्वयन पर प्रणाली में परिवर्तन से, यहां दी गई मात्रा पूर्ववर्ती वर्षों में मात्रा से पूरी तरह से तुलनीय नहीं है।

कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में अल्पकालिक संव्यवहारों की कुलमात्रा			
वर्ष	विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों कुल मात्रा(बीयू)	कुल विद्युत उत्पादन* (बीयू)	कुल विद्युत उत्पादन का विदयुत के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक संव्यवहारों की कुल मात्रा
2009-10	65.90	768.43	9.6%
2010-11	81.56	852.35	9.6%
2011-12	94.51	927.75	10.2%
2012-13	98.94	969.29	10.2%
2013-14	104.64	1026.34	10.2%
2014-15	98.99	1110.07	8.9%
2015-16	115.23	1172.78	9.8%
2016-17	119.23	1241.70	9.6%
2017-18	127.62	1308.15	9.8%
2018-19	145.20	1375.86	10.6%
2019-20	137.16	1390.93	9.9%
2020-21	146.01	1380.06	10.6%
2021-22	186.75	1491.85	12.5%
2022-23	194.35	1624.47	12.0%
2023-24	218.22	1739.09	12.5%

* कुल उत्पादन सीईए द्वारा यथापरिभाषित भारत में सकल उत्पादन है।

व्यापारियों और पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत और डीएसएम की कीमत(₹/किलोवाट घंटा)

वर्ष	व्यापारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की भारित औसत कीमत	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की भारित औसत कीमत(डेम+जीडेम+टेम+आरटीएम+जीटेम)	डीएसएम के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की औसत कीमत
2009-10	5.26	4.96	4.62
2010-11	4.79	3.47	3.91
2011-12	4.18	3.57	4.09
2012-13	4.33	3.67	3.86
2013-14	4.29	2.90	2.05
2014-15	4.28	3.50	2.26
2015-16	4.11	2.72	1.93
2016-17	3.53	2.50	1.76
2017-18	3.59	3.45	2.03
2018-19	4.28	4.26	2.68
2019-20	4.51	3.24	2.85
2020-21	3.47	2.98	2.82
2021-22	3.72	4.69	3.75
2022-23	5.85	6.25	5.39
2023-24	7.33	5.82	5.73

2. बोली मूल्यांकन और भुगतान के उद्देश्य से वृद्धि दरों और अन्य मापदंडों की अधिसूचना

विद्युत मंत्रालय के समय–समय पर यथासंशोधित दिनांक 19.01.2005 के ''वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु दिशानिर्देश'' के अनुसार, आयोग को प्रत्येक छह मास में, बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजन हेतु विभिन्न वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित करना आवश्यक है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आयोग ने दिनांक 05.04.2023 और 20.10.2023 की अधिसूचना द्वारा उत्पादन परियोजनाओं के लिए वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित किया है। दिनांक 06.04.2023 और 05.10.2023 की अधिसूचना द्वारा केविविआ ने पारेषण परियोजनाओं के लिए वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को भी अधिसूचित किया।

दिनांक 03.11.2020 के संशोधन के साथ पठित दिनांक 22.07.2020 के ''कोयला आधारित थर्मल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के साथ पूरक ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश'' पर विद्युत मंत्रालय के संकल्प के अनुसरण में, आयोग को बोली मूल्यांकन के उद्देश्य से विभिन्न वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित करना आवश्यक है। तदनुसार, दिनांक 05.04.2023 की अधिसूचना द्वारा, केविविआ ने उत्पादन परियोजनाओं के लिए बोली मूल्यांकन हेतु वृद्धि कारकों और अन्य मापदंडों को अधिसूचित किया।

समय–समय से यथासंशोधित 19.1.2005 के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण के लिए मार्गनिर्देश से संबंधित विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के खंड 5.6 (vi) के अनुसरण में और 13.04.2022 के केविविआ को विद्युत मंत्रालय के पत्र के अनुसरण में, केविविआ ने मौजूदा छमाही की अधिसूचना के अतिरिक्त अप्रैल 2022 से आगे भुगतान के प्रयोजन के लिए आयातित कोयले के अंतरदेशीय संचालन और आयातित कोयले के परिवहन, आयातित कोयले के लिए मासिक वृद्धि दरों को अधिसूचित करना आरंभ किया।

आयोग ने 25.09.2023 के आदेश सं. 12/एसएम/2023 के माध्यम से बोली मूल्यांकन और भुगतान के लिए आयायित कोयले के लिए वृद्धि दर की संगणना करने के लिए संशोधित समन्वित सूची को विनिर्दिष्ट किया। संशोधित समन्वित सूची में इंडोनेशियन कोयले की कीमत के लिए 65% की भारित, दक्षिण अफ्रीका कोयले के लिए 25% और ऑस्ट्रेलियन कोयले के लिए 10% के भारित होने को निर्दिष्ट किया।

थर्मल उत्पादन

अधिनियम की धारा 62 के अधीन केन्द्रीय आयोग, निजी क्षेत्र के आईपीपी के साथ–साथ एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको), नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी), एनएचपीसी लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी), दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) सीपीएसयू आदि से जुड़ी संयुक्त उद्यम कंपनियां जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनियों के अंतर राज्यिक उत्पादन स्टेशनों के टैरिफ को विनियमित करता है।

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी)

दिनांक 31.3.2024 को एनटीपीसी लिमिटेड के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 63407.2 मेगावाट है जिसमें कोयला आधारित में 540470 मेगावाट, प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित 4017.23 मेगावाट और कोयला और गैस दोनों सहित एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रमों/सहायक कंपनियों में 5320 मेगावाट शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एनटीपीसी ने कुल 2920 मेगावाट की क्षमता जोड़ी।

दिनांक 31.03.2024 को, एनटीपीसी के कुल 484 कोयला आधारित थर्मल स्टेशन (पिट और नॉन पिट हेड), 7 गैस आधारित थर्मल स्टेशन और कुल 46 संयुक्त उद्यम एनटीपीसी के हैं। दिनांक 31.3.2023 को संस्थापित क्षमता और एनटीपीसी के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन/इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुलग्नक–II** में दी गई है:–

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)

31.3.2024 को डीवीसी के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 6960 मेगावाट है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरानए डीवीसी ने कोई नई क्षमता नहीं जोड़ी। दिनांक 31.3.2024 को स्थापित क्षमता और डीवीसी के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुलग्नक–III** में दी गई है।

नॉर्थ–ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (नीपको)

दिनांक 31.3.2024 तक नीपको लिमिटेड के उत्पादन स्टेशन की कुल संस्थापित क्षमता गैस आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों की 527 मेगावाट है। प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुलग्नक–IV** में दी गई है।

नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसी)

दिनांक 31.3.2024 को नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (एनएलसीद्ध के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 4640 मेगावाट है। एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) **अनुलग्नक–V** में दी गई है।

ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी का थर्मल उत्पादन स्टेशन (ओटीपीसी)

दिनांक 31.3.2024 को यूपीसीएल के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 726 मेगावाट है। यूपीसीएल के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) **अनुलग्नक–V** में दी गई है।

उडुपी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड का थर्मल उत्पादन स्टेशन (यूपीसीएल)

दिनांक 31.3.2024 को यूपीसीएल के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 1200 मेगावाट है। यूपीसीएल के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) **अनुलग्नक–V** में दी गई है।

प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड का थर्मल उत्पादन स्टेशन (पीपीसीएल)

दिनांक 31.3.2024 को पीपीसीएल के उत्पादन स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 1371.20 मेगावाट है। पीपीसीएल के प्रत्येक उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता और वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) **अनुलग्नक–V** में दी गई है।

उत्पादन स्टेशनों का टैरिफः

एनटीपीसी, डीवीसी, नीपको, ओटीपीसीएल, एनएलसीआईएल, एमपीएल और पीपीसीएल जैसे थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 31.03.2024 को ऊर्जा प्रभार **अनुलग्नक–VI** के रूप में संलग्न हैं।

हाइड्रो उत्पादन

आयोग ने वर्ष 2023–24 के दौरानए सीपीएसयू के स्वामित्व वाले केन्द्रीय क्षेत्र के हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों अर्थात् एनएचपीसीए एनएचडीसीए एसजेवीएनएलए नीपकोए एनटीपीसीए टीएचडीसी और डीवीसीए बीबीएमबीए राज्य के स्वामित्व वाला एक पावर स्टेशन अर्थात् टीयूएल और मैसर्स जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व वाला एक आईपीपी स्टेशन जो उत्तरी, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी प्रदेश में स्थित हैं, के लिए टैरिफ को विनियमित किया। दिनांक 31.3.2024 को संस्थापित क्षमता और विभिन्न प्रकार के प्रत्येक हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन का वर्ष **अनुलग्नक–VII** में दिया गया है।

वर्ष 2023–24 की अवधि के लिए केविविआ की परिधि में आने वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए समग्र टैरिफ जैसा कि नवीनतम अनुमोदित एएफसी के आधार पर उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया गया हैए **अनुलग्नक–VIII** में प्रदान किया गया है।

ड्राफ्ट विनियम/स्टाफ पेपर

1. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेशण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व भार्तें एवं अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2023

पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम 2009 जारी करने के बाद, परवर्ती विकास इस प्रकार (i) 10.8.2021 को पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए मार्गनिर्देश जारी करना और विद्युत मंत्रालय द्वारा 6.8.2021 को संशोधित मानकीय बोली दस्तावेज (ii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के जीएनए विनियमों की अधिसूचना (iii) आईएसटीएस प्वाइंट आफ कनेक्शन के लिए इस प्रकार के बल्क उपभोक्ता को संबद्ध करने वाली समर्पित पारेषण लाइन के लिए इस प्रकार के बल्क उपभोक्ताओं को अनुमति के लिए बल्क उपभोक्ता द्वारा दाखिल याचिकाएं (iv) विनियमित टैरिफ तंत्र मोड या टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली मोड के अधीन पारेषण परियोजनाओं की निष्पादन।

नए विकास पर विचार करते हुए और पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए आयोग ने 28.11.2023 को पूर्व पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम 2009 को प्रतिस्थापित करने के लिए ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें एवं अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2023 जारी किया।

प्रस्तावित ड्राफ्ट विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः

क. ड्राफ्ट पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम 2023 के अधीन आरटीएम के अधीन कार्यान्वित परियोजना को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए और आरटीएम के अधीन अवार्ड की गई अतिरिक्त परियोजनाओं को शामिल करने के लिए इसके संशोधन का प्रस्ताव किया।

ख. एक इकाई टीबीसीबी के अंतर्गत बोली जीतने पर नई पारेषण अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि टीबीसीबी परियोजनाएं एसपीवी आधार के स्थान पर परियोजना आधार पर बोली हैं और मौजूदा पारेषण अनुज्ञप्ति इस प्रकार की बोली को जीतता है तो इस प्रकार के अनुज्ञप्तिधारी इसके मौजूदा अनुज्ञप्ति में अतिरिक्त घटकों को शामिल करने के लिए इसकी अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए आयोग से संपर्क कर सकता है।

ग. किसी मौजूदा पारेषण अनुज्ञप्ति के माध्यम से इसकी संयोजकता पारेषण लाइन के निर्माण के लिए बल्क उपभोक्ता को अनुमति देना। यह स्वयं उक्त लाइन के निष्पादन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा बल्क उपभोक्ता की पारेषण लाइन के संयोजन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया इस बात को ध्यान में रखते हुए कम की गई है कि इस प्रकार की लाइन बल्क उपभोक्ता के आधार पर है।

घ. पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम 2009 के विनियम 6(ग) के उपबंध के निराकरण के लिए जिससे

उत्पादन स्टेशन अपनी समर्पित लाइन के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति लागू करने में समर्थ हुआ है चूंकि समर्पित लाइन के रूप में निर्मित पारेषण लाइन समर्पित पारेषण लाइन के रूप में बनी रहनी चाहिए। भले ही इसे मल्टीपल उत्पादन स्टेशनों में शेयर किया जाता है। अनुज्ञप्त लाइन के रूप में निर्मित किसी लाइन को बोली या टैरिफ अवधारण की पारदर्शी प्रक्रिया के अधीन जाना होता है जबकि समर्पित लाइन के कार्यान्वयन के लिए यह अपेक्षित नहीं है।

ङ. अनुज्ञप्ति प्रदान करने में मल्टीपल चरणों में शामिल टाइमलाइन पारेषण अनुज्ञप्ति याचिकाओं के तत्काल निपटान के लिए कम की गई है।

च. यदि टीबीसीबी के अधीन अनुज्ञप्ति के पारेषण घटक सीटीयू की पारेषण योजना के कारण संशोधित या पुनःसंरूपित अपेक्षित होता है तो उसके लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा जिसे मूल अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण प्रभारों को प्रभावित किए बिना संशोधन या पुनःसंरूपण कार्य सौंपा गया।

छ. आवेदक को दो दैनिक डिजिटल समाचारपत्रों में अपने आवेदन को प्रकाशित करना अपेक्षित होगा और अंग्रेजी में अपनी वेबसाइट पर आवेदन को पोस्ट करना होगा और राज्य या संघशासित प्रदेश की भारतीय भाषा में दूसरे को पोस्ट करना होगा जहां परियोजना का घटक या संबंधित लाइन स्थित है जो जनसामान्य से टिप्पणियों को आमंत्रित करने वाले आवेदन की प्रोसेगिंग तक सीमित होगा।

2. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेशण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2024

आयोग ने जीएनए विनियम 2022 को संशोधित करने के लिए 16.02.2024 को ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2024 जारी किया। इन ड्राफ्ट विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः

क. ''नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी'' या आरईआईए की परिभाषा को शामिल किया गया है।

ख. संयोजकता आवेदन के संबंध में संशोधन

i. संयोजकता प्रदान करने के लिए जीएनए प्रदान करने के लिए आवेदन की समीक्षा – नोडल एजेंसी (सीटीयू) आवेदन की प्राप्ति के 18 दिनों के अंदर आवेदक को संयोजकता प्रदान करने या जीएनए प्रदान करने के लिए आवेदन में कमियां, यदि कोई है सूचित करें।

ii. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वैयक्तिक रूप से न्यूनतम संस्थापित क्षमता या संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन हेतु कुल संस्थापित क्षमता 25 मेगावाट होगी।

iii. ऋण दस्तावेज के स्थान पर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर आधारित संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन – 10 लाख रुपये/मेगावाट की गारंटी 1000 मेगावाट की क्षमता तक संयोजकता की मांग के लिए लागू होगी और 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी+5 लाख रुपये/मेगावाट कुल मिलाकर 1000 मेगावाट की क्षमता के लिए संयोजकता की मांग करने के लिए लागू होगी।

iv. नोडल एजेंसी द्वारा सैद्धांतिक रूप से प्रदान करने की सूचना के लिए टाइमलाइन 30 दिनों तक बढ़ा दी गई है।

ग. आवेदक द्वारा अंतरवर्ती माइलस्टोन के दस्तावेजों को प्रस्तुत करना

i. बैंक गारंटी रूट के अधीन आवेदकों के लिए भूमि दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए टाइमलाइन को संयोजकता सैद्धांतिक रूप से प्रदान करने के लिए जारी करने के 18 महीनों के अंदर या संयोजकता को अंतिम रूप से प्रदान करने के लिए 12 महीनों के अंदर, जो भी पहले हो, की वृद्धि की गई है।

ii. वित्तीय क्लोजर को इस प्रकार के आवेदक के वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख से पूर्व 12 महीने तक आवेदक द्वारा प्राप्त

किया जाना है। एससीओडी में विस्तार के कारण वित्तीय क्लोजर प्राप्त करने के लिए टाइमलाइन में विस्तार की आरंभिक एससीओडी मूल टाइमलाइन से 12 महीने से अधिक की अनुमति नहीं होगी।

घ. आवेदकों के मामले में जिन्हें इन विनियमों के विनियम 5.8 के खण्ड (xi) के उपखण्ड (क) के अधीन संयोजकता प्रदान की गई है और जिनका एलओए या पीपीए इस प्रकार के आवेदक को आरोप्य नहीं कारणों के लिए परियोजना के सीओडी से पूर्व समाप्त हो जाता है और उन मामलों में जहां एलओए या पीपीए इकाई द्वारा समाप्त किया गया है और आरईआईए या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस पर सहमति नहीं है तो इस प्रकार के आवेदक को इन विनियम के विनियम 5.8 के खण्ड (xi) के उपखण्ड (ख) के अधीन कवर की गई इकाइयों को यथालागू इस विनियम के खण्ड (2) और खण्ड (3) की अपेक्षाओं के और इस प्रकार के संपरिवर्तन और अनुपालन के तदनन्तर संयोजकता की आरंभिक तारीख में किसी परिवर्तन के बिना इन विनियमों के विनियम 5.8 के खण्ड (xi) के उपखण्ड (ख) के अधीन संयोजकता के लिए इन विनियमों के विनियम 5.8 के खण्ड (xi) के उपखण्ड (क) के अधीन प्रदान किए गए पूर्ण या आंशिक में संयोजकता संपरिवर्तित कर सकते हैं।

भूमि के लिए एलओए या पीपीए से संयोजकता की आंशिक मात्रा के संपरिवर्तन के मामले में संयोजकता की शेष मात्रा प्रतिसंहरित की जाएगी और इन विनियमों के विनियम 24.6 के अनुसार अधिशासित की जाएगी।

विभिन्न विनियमों के अधीन जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश

भारतीय विद्युत ग्रिड कोड विनियम, 2010

आयोग ने अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (2) के उपखण्ड (छ) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) के उपखण्ड (ज) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28.04.2010 को आईजीईएस 2010 को अधिसूचित किया और विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति में दुरुस्त प्रतिस्पर्धा करते समय अधिक रक्षित, विश्वसनीय, कीफायती ढंग से विद्युत प्रणाली को नियोजित, विकसित और प्रचालित करने में विभिन्न व्यक्तियों और सहभागियों द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों, मार्गनिर्देशों और मानकों को निर्धारित किया।

2023–24 की अवधि के दौरान, आयोग ने इन विषयों से संबंधित याचिकाओं का निपटान किया (i) ग्रिड के आरक्षित प्रचालन की प्रादेशिक इकाई द्वारा ग्रिड से अधिक आहरण के मामले में (ii) संचार सुविधाओं के रखरखाव और स्थापना तथा और विश्वसनीयता, चयनात्मकता, गति और संवेदनशीलतावाली संरक्षण प्रणाली प्रदान करना और उन्हें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रयोक्ताओं द्वारा कार्यात्मक बनाना। निपटाई गई याचिकाओं में दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से याचिका सं. 197/एमपी/2020, 201/एमपी/2020, 263/एमपी/2020, और 556/एमपी/2020, दिनांक 27.10.2023 के माध्यम से 535/एमपी/2020 और 540/एमपी/2020, दिनांक 18.11.2023 के माध्यम 198/एमपी/2020, 259/एमपी/2020, 263/एमपी/2020 और 239/एमपी/2020, 14.08.2023 के माध्यम से 156/एमपी/2022, 11.09.2023 के आदेश के माध्यम से 68/एमपी/2022, 11.09.2023 के आदेश के माध्यम से 132/एमपी/2022 शामिल है।

अंतरराज्यिक पारेशण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना

निर्बाध पहुंच विद्युत अधिनियम, 2003 की आधारशिलाओं में एक है। आयोग को अंतरराज्यिक पारेषण प्रणालियों में निर्बाध पहुंच को सरल बनाने का कार्य सौंपा गया। आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 (2008 निर्बाध पहुंच विनियम के रूप में संदर्भित) को दिनांक 28.01.2008 को जारी किया गया और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें एवं अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 (2009 संयोजकता विनियम के रूप में संदर्भित) को 7.8.2009 को जारी किया जिसमें अंतरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने को सरल बनाया गया।

आयोग ने 7.6.2022 को जीएनए विनियम अधिसूचित

किया। विनियम को आंशिक रूप से 5.4.2023 से प्रभावी किया गया और 1.10.2023 से पूर्णतः प्रभावी किया गया। जीएनए विनियम से 2008 निर्बाध पहुंच विनियम और 2009 संयोजकता विनियमों को निरस्त किया गया।

2023–2024 की अवधि के दौरान आयोग ने अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता, निर्बाध पहुंच और जीएन से संबंधित कुछ याचिकाओं का निपटान किया। निपटान की गई याचिकाओं में दिनांक 23.6.2.23 के आदेश के माध्यम से याचिका सं. 330/एमपी/2019, दिनांक 30.8.2023 के माध्यम से 218/एमपी/2023, दिनांक 5.9.2023 के आदेश के माध्यम से 199/एमपी/2023, 6.12.2023 के आदेश के माध्यम से 277/एमपी/2019, 7.12.2023 के आदेश के माध्यम से 20/एमपी/2021, 11.1.2024 के माध्यम से 701/एमपी/2020, 15.1.2024 के माध्यम से 240/एमपी/2021, 19.1.2024 के माध्यम से 268/एमपी/2023 और 269/एमपी/2023 तथा 20.1.12024 के माध्यम से 257/एमपी/2019 शामिल है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2008

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 को अधिसूचित किया।

अवधि 2023–24 के दौरान, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए दामोदर वेली कार्पोरेशन के पारेषण और वितरण नेटवर्क का प्रयोग करते हुए विद्युत की व्हीलींग और पारेषण के लिए निर्बाध पहुंच प्रभारों की पुनःअवधारण के संबंध में दिनांक 07.08.2023 के आदेश के माध्यम से याचिका सं. 87/एमपी/2021 का निपटान किया।

अंतरराज्यिक पारेशण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग

धारा 178 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने दिनांक 04.05.2020 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 अधिसूचित किया।

2023–24 अवधि के दौरान, आयोग ने दिनांक 27.03.2024 के माध्यम से 96/एमपी/2022, दिनांक 04.05.2023 के आदेश के माध्यम से 57/एमपी/2022 और दिनांक 18.01.2024 के माध्यम से 224/एमपी/2022 सहित पारेषण प्रभारों की शेयरिंग से संबद्ध कुछेक याचिकाओं का निपटान किया।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेशण आस्तियों के उपयोग से अर्जित राजस्व की शेयरिंग) विनियम 2020

आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से अर्जित राजस्व की शेयरिंग) विनियम 2020 को दिनांक 17.02.2020 को अधिसूचित किया।

अवधि 2023–24 के दौरान, आयोग ने अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से अर्जित राजस्व की शेयरिंग से संबंधित दिनांक 17.05.2023 के आदेश के माध्यम से याचिका सं. 287/एमपी/2022, 19.1.2024 के आदेश के माध्यम से 160/एमपी/2022 और 27.3.2024 के आदेश के माध्यम से 83/एमपी/2023 का निपटान किया।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2019

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र का फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2019 को 5.4.2019 को अधिसूचित किया।

अवधि 2023–24 के दौरान, आयोग ने 23.11.2023 के आदेश के माध्यम से याचिका सं. 80/एमपी/2023, 100/एमपी/2023, 80/एमपी/2023, 101/एमपी/2023, 110/एमपी/2023 सहित 2021–22 वर्ष के लिए एनएलडीसी और आरएलडीसी के लिए केपीआई संकेतकों और पीएलआई के तदन्तर भत्ते के अनुमोदन से संबद्ध कुछेक याचिकाओं का निपटान किया।

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में उपयुक्त आयोग किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए धारा 15 के अधीन इसको किए गए आवेदन पर (क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत पारेषण के लिए या (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत के वितरण के रूप में या (ग) विद्युत व्यापार के रूप में विद्युत व्यापार के लिए आवेदन कर सकता है।

अधिनियम की धारा 63 के अधीन ''पारेषण सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा बोली और पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गनिर्देश'' और ''पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश'' के अनुसार पारेषण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आयोग ने याचिका सं. 28/टीएल/2023 में 12.05-2023 के आदेश के माध्यम से किश्तवार ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 44/टीएल/2023 में दिनांक 17.04.2023 के आदेश के माध्यम से डब्ल्यूआरएसआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को, याचिका सं. 139/टीएल/2023 में 31.07.2023 के आदेश के माध्यम से धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 124/टीएल/2023 में 09.08.2023 के आदेश के माध्यम से खावदा II-ए ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 130/टीएल/2023 में 31.07.2023 के आदेश के माध्यम से पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 128/टीएल/2023 में 31.07.2023 के आदेश के माध्यम से खावदा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 126/टीएल/2023 में दिनांक 04.08.2023 के आदेश के माध्यम से केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 141/टीएल/2023 में दिनांक 22.08.2023 के आदेश के माध्यम से पावरग्रिड खावदा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 147/टीएल/2023 में दिनांक 23.08.2023 के आदेश के माध्यम से रायपुर पूल धमतारी ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 143/टीएल/2023 में दिनांक 17.08.2023 के आदेश के माध्यम से खावदा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, याचिका सं. 149/टीएल/2023 में दिनांक 30.08.2023 के आदेश के माध्यम से पावरग्रिड भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 145/टीएल/2023 में दिनांक 31.08.2023 के आदेश के माध्यम से पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 189/टीएल/2023 में दिनांक 30.09.2023 के आदेश के माध्यम से केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 244/टीएल/2023 में दिनांक 30.01.2024 के आदेश के माध्यम से फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 246/टीएल/2023 में दिनांक 28.01.2024 के आदेश के माध्यम से फतेहगढ़ III ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 344/टीएल/2023 में दिनांक 29.02.2024 के आदेश के माध्यम से पावरग्रिड भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 253/टीएल/2023 में दिनांक 05.03.2024 के आदेश के माध्यम से फतेहगढ़ III बियावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, याचिका सं. 340/टीएल/2023 में दिनांक 29.02.2024 के आदेश के माध्यम से पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड और याचिका सं. 332/टीएल/2023 में दिनांक 02.03.2024 के आदेश के माध्यम से बियावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अवधि 2023–24 के दौरान, आयोग ने पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की गई।

आयोग ने विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड के अधीन पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए याचिका सं. 103/टीएल/2023 में दिनांक 13.06.2023 के आदेश के माध्यम से पतरान ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, याचिका सं. 229/टीएल/2023 में दिनांक 01.11.2023 के आदेश के माध्यम से एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड और याचिका सं. 181/टीएल/2023 में दिनांक 28.01.2024 के आदेश के माध्यम से पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की गई।

नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आरई टैरिफ आदेश की प्रयोज्यता के विस्तार के लिए याचिका सं. 10/एसएम/2023 में स्व–प्रेरणा आदेश

आयोग ने याचिका सं. 14/एसएम/2022 में 7.11.2022 के आदेश के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2020 के विनियम 8 के अंतर्गत निम्नलिखित आरई तकनीक के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए स्तरीकृत जेनरिक टैरिफ को अवधारित किया।

क. लघु हाइड्रो परियोजनाएं

ख. रैंकिंग साईकिल तकनीक सहित बॉयोमास पावर परियोजनाएं

ग. गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाएं

घ. बायोमास गैस फायर आधारित विद्युत परियोजनाएं

ङ. बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

आयोग ने 31.3.2024 तक या अगला आदेश होने तक याचिका सं. 14/एसएम/2022 में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ आदेश की प्रयोज्यता को बढ़ाने के लिए याचिका सं. 10/एसएम/2023 में 8.9.2023 को स्वप्रेरणा आदेश जारी किया। याचिका सं. 10/एसएम/2022 में आदेश के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2020 में वर्णित सिद्धांत और मानदण्ड आगामी नियंत्रण अवधि के लिए विनियम अधिसूचित होने तक लागू किया जाना जारी रहेगा।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आयोग द्वारा अवधारित जेनरिक टैरिफ का विवरण **अनुबंध–IX–क** में दिया गया है।

वर्ष 2023–24 के दौरान अन्य गतिविधियाँ

राजभाषा का कार्यान्वयन एवं प्रोत्साहन

वर्ष 2023–24 के दौरान, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने राजभाषा के कार्यान्वयन, प्रचार–प्रसार और प्रोत्साहन के लिए कई गतिविधियां कीं। केविविआ में प्रभागीय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के अतिरिक्त जो प्रत्येक तिमाही में कार्यालय में राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा और चर्चा करती है। माननीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में गठित हिंदी सलाहकार समिति में माननीय अध्यक्ष, केविविआ को सरकारी सदस्य बनाया गया है। इस समिति के कार्य कार्यालय के काम में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित होंगे और इसमें भारत सरकार द्वारा बनाई गई राजभाषा नीति के ढांचे के अधीन कवर किए गए मुद्दों पर विद्युत मंत्रालय को सलाह देना भी शामिल होगा।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के प्रति सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 1 सितम्बर से 14 सितम्बर तक'' हिन्दी पखवाड़ा'' का आयोजन किया गया जिसमें हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, श्रुतलेख प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता और गीत–गायन संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

हिंदी गृह पत्रिका सौदामिनी

आयोग प्रत्येक तिमाही में हिंदी में ''सौदामिनी'' नामक गृह पत्रिका प्रकाशित करता है। यह पत्रिका इस अवधि के दौरान आयोग में आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में रिपोर्ट करती है। इसके अतिरिक्त, आयोग में 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की पुरस्कार विजेता प्रविष्टियां (अर्थात् निबंध, लेख, कविता आदि) भी विजेताओं के फोटो सहित प्रकाशित की जाती हैं। आयोग ने राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार की दिशा में सौदामिनी के त्रैमासिक अंक के स्थान पर वार्षिक अंक प्रकाशित करने का निर्णय लिया और वर्ष 2023–24 के लिए इसका द्वितीय अंक वर्ष के दौरान वार्षिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया।

स्वच्छ भारत अभियान

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ''स्वच्छ भारत अभियान''के संबंध में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। आयोग के सभी कर्मचारियों को कार्य परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों ने परिसर को साफ–सुथरा रखने में अत्यधिक रुचि दिखाई है। केविविआ परिसर में एक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया जिसका उद्देश्य अभिलेखों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना एवं कार्यस्थल का वातावरण बनाए रखना आदि था।

लेखा परीक्षा पैरा

रिपोर्ट के आधीन वर्ष के दौरान ए भारत के सीएजी की रिपोर्ट में के विविआ से संबंधित कोई पैरा शामिल नहीं किया गया था।

सतर्कता मामले

केविविआ में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी सतर्कता मामला विचाराधीन या लंबित नहीं था।

वार्षिक दिवस

केविविआ ने 24 जुलाई, 2023 को, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेन्टर, 15 जनपथ, नई दिल्ली में अपना सिल्वर जुबली वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर केविविआ के सभी

अधिकारी और कर्मचारी समारोह में उपस्थित हुए जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने आयोग तथा केविविआ के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। केविविआ के कर्मचारी विनियमन के क्षेत्र में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित मूल्यवान विचारों और अनुभवों से लाभान्वित हुए। इस शुभ अवसर पर चीफ गेस्ट श्री अरूप राहा, एयर चीफ मार्शल (रिटायर्ड) ने समारोह को संबांधित किया।

केविविआ का स्टाफ विनियम के फील्ड में अपनाई गई उत्तम पद्धतियों से संबंधित मूल्यवान विचारों और अनुभवों से लाभान्वित हुआ। इस विशेष सिल्वर जुबली समारोह में संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

ई–कोर्ट

सूचना पाने के लिए दक्ष, मितव्ययी और प्रभावी साधन के साथ प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में एक सक्रिय उपाय के रूप में आयोग ने अपनी ई–कोर्ट परियोजना अर्थात् सौदामिनी (डिजिटल पहुंच का उपयोग करते हुए न्यायनिर्णयन और नेटवर्क एकीकरण के माध्यम से सूचना का प्रबंधन) का प्रमोचन किया जिसे पूर्व में सीसीएमएएस (कोर्ट केस मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम) के नाम से जाना जाता था। वेब आधारित ई–फाइलिंग और ई–प्लीडिंग मॉड्यूल अप्रैल 2016 से सफलतापूर्वक चल रहा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी याचिकाएं/उत्तर/प्रत्युत्तर/अन्य दस्तावेज ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं और अपनी याचिकाओं की स्थिति को ट्रैक कर देख सकते हैं। यह केविविआ की कानूनी प्रणाली के लिए त्वरित और आसान पहुँच प्रदान करता है।

डैशबोर्ड, कॉज लिस्ट जेनरेशन, रिपोर्ट जेनरेशन, एडवांस सर्च, ई–लाइब्रेरी आदि जैसी विशेषताएं रखने वाले सौदामिनी केस प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) मॉड्यूल भी कार्यशील हैं और इसका उपयोग केविविआ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सौदामिनी परियोजना का ई–हियरिंग मॉड्यूल भी जो आयोग को याचिकाओं की सॉफ्टकॉपी के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने में सक्षम बनाता है, जून 2017 से कार्यशील है।

संगठन की प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए और पणधारकों की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक और पहल के रूप में और सौदामिनी परियोजना के ई–विनियमन मॉड्यूल को जो केविविआ ड्राफ्ट विनियमों/स्टॉफ पेपर आदि पर आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए पणधारकों को समर्थ बनाता है, भी 24 जुलाई 2019 से कार्यशील है।

सौदामिनी ई–मॉनिटरिंग (व्यापार अनुज्ञप्तिधारी) मॉड्यूल जो एनएलडीसीए व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों और पावर एक्सचेंजों को उनकी विनियामक अनुपालन सूचना प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाता है उसे 24.07.2020 को आरंभ किया गया और उसके बाद वर्ष 2021 में सौदामिनी ई–आस्ति मॉडयूल तैयार किया गया।

केविविआ की ई–कोर्ट प्रणाली से आयोग को एकीकृत लचीला परंतु गतिशील डेटाबेस विकसित करने में सक्षम होना अपेक्षित है, जिससे आयोग को विभिन्न डेटा विश्लेषणात्मक उपकरण का उपयोग करके निर्णय लेने की सुविधा मिलना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, अपने डिजिटल आधार को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए केविविआ ने एआई आधारित खोज, स्वचालित डेटा निष्कर्षण, दस्तावेज निर्माण और डेटा विजुअलाइजेशन टूल से युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विनियामक विशेषज्ञ प्रणाली उपकरण (आरईएसटी) विकसित किया है।

एफओआर/एफओआईआरध्साफिर

विनियामक फोरम (एफओआर)

फोरम विद्युत अधिनियमए 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत उपबंध के अनुसार दिनांक 16 फरवरी, 2005 विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया था जिसका प्रमुख उद्देश्य ईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा तैयार किए गए विद्युत क्षेत्र में विनियमों का प्राथमिक उद्देश्य रहा।

फोरम का गठन

फोरम में केविविआ के अध्यक्ष और राज्य आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष एफओआर के अध्यक्ष हैं। केविविआ के सचिव फोरम के पदेन सचिव हैं। फोरम का सचिवीय सहायता केविआि द्वारा प्रदान की जाती है। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

फोरम के कार्य

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थात्:

1) डाटा संग्रहण और विश्लेषण –

2) सब्सिडी लेखांकन –

3) नवीकरणीय क्रय अनुपालन की मॉनिटरिंग –

4) विद्युत क्षेत्र में विनियम का सामंजस्य;

5) अधिनियम के अधीन यथाअपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना।

6) सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना।

7) विद्युत क्षेत्र विनियम से संगत विषयों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना।

8) विद्युत क्षेत्र में कार्यकुशलता, किफायत और प्रतिस्पर्धा के विकास और उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए उपाय करना और

9) इस प्रकार के अन्य कार्य जैसे केन्द्र सरकार समय समय से निर्दिष्ट करती है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विनियामक फोरम की 8 बैठकें हुईं जिनमें विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। विनियामक फोरम की इन 8 बैठकों में से, 3 बैठकें विशेष बैठकें हैं।

क. 18 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश में आयोजित विनियामक फोरम की 85वीं बैठक

ख. 26 जून 2023 को तमिलनाडु में आयोजित विनियामक फोरम की 86वीं बैठक

ग. 25 अगस्त 2023 को त्रिपुरा में आयोजित विनियामक फोरम की 87वीं बैठक

घ. 13 अक्तूबर 2023 को उत्तराखंड में आयोजित विनियामक फोरम की 88वीं बैठक

च. 17 जनवरी 2024 को उड़ीसा में आयोजित विनियामक फोरम की 89वीं बैठक

छ. 14 जून 2023 को केविविआ, नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की विशेष बैठक

ज. 15 दिसंबर 2023 को केविविआ, नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की विशेष बैठक

झ. 8 फरवरी 2024 को केविविआ, नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की विशेष बैठक

वर्ष के दौरान एफओआर ने ''संसाधन पर्याप्तता फ्रेमवर्क पर मॉडल विनियम'' और ''मॉडल स्टाफ विनियम'' तैयार किया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एफओआर ने ''भारत में वितरण क्षेत्र के लिए उच्चतम टैरिफ'' पर अध्ययन पूरा किया।

एफओरआर ने विद्युत क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

क) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई), फरीदाबाद द्वारा 'उपभोक्ता हित का संरक्षण' पर एसईआरसी/जेईआरसी के ओमबडसमैन और सीजीआरएफ के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। 24 से 25 अगस्त, 2023 तक एनपीटीआई, फरीदाबाद द्वारा फिटिडील मोड के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ख) सिडनी, आस्ट्रेलिया, 20–22 नवंबर, 2023 विद्युत विनियामक आयोगों के सदस्यों के लिए चौथा ग्लोबल विनियामक परिदृश्य कार्यक्रम।

भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर)

केविविआ, भारतीय विनियामकों के फोरम (एफओआईआर) को सचिवालय सेवाएं भी प्रदान करता है। एफओआईआर की परिकल्पना भारत में विभिन्न क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई है। एफओआईआर में न केवल अध्यक्ष बल्कि विद्युत विनियामक आयोगों के सदस्य और अन्य विनियामक प्राधिकरण जैसे पंजाब की रियल एस्टेट रेगुलेटरी आर्थोरिटी (आरईआरए), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), इनसॉलवेंसी एण्ड बैंक क्रप्सी बोर्ड (आईबीबीआई), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) इत्यादि जैसे अन्य विनियामक अधिकरण के सदस्य भी शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, एफओआईआर विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के लिए रिटेनरशिप आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को संलग्न किया। एमओयू को इस प्रयोजन के लिए प्रविष्ट किया गया। इस साझेदारी के अधीन पाठ्यक्रम एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम, केन्द्रीय क्षेत्र के विनियामकों के लिए एक संगोष्ठी, वेबीनार/केवाईआर एपिसोड और सभी सदस्यों के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्तमान मेंए इनसॉलवेंसी एण्ड बैंक क्रप्सी बोर्ड ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष एफओआईआर के अध्यक्ष हैं।

अवसंरचना विनियमन के लिए दक्षिण एशिया फोरम (साफिर)

केविविआ, अवसंरचना विनियमन के लिए दक्षिण एशिया फोरम (साफिर) को सचिवालय सेवाएं भी प्रदान करता है। साफिर, 1999 में प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विनियामकों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित) के एक नेटवर्क के रूप में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है और इस क्षेत्र में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और व्यक्तियों से जुड़ा है। इसमें सदस्यों की चार श्रेणियां हैं, अर्थात् शैक्षणिक संस्थान, उपभोक्ता निकाय/एनजीओए निगमित/यूटिलिटी और विनियामक निकाय। इसका उद्देश्य अनुसंधान को प्रोत्साहित करनाए विनियामक सुधार प्रक्रियाओं और अनुभवों से संबंधित एक डाटाबैंक प्रदान करनाए ज्ञान और विशेषज्ञता का लाभकारी आदान–प्रदान करना और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के तेजी से कार्यान्वयन की प्रवृत्ति निर्धारित करना है।

वर्तमान में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष साफिर के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2023–24 में, साफिर ने श्रीलंका, 2 और 3 मार्च 2024 में ''ऊर्जा अवसंरचना में क्रॉस बार्डर सहयोग करना'' पर वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। साफिर की 29वीं स्थायी समिति की बैठक (एससीएम) नई दिल्ली में 18 सितंबर 2023 को आयोजित की गई और 26वीं कार्यकारी समिति की बैठक (ईसीएम) 15 अप्रैल 2024 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गयी।

7.

उपभोक्ताओं के हितों तथा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

उपभोक्ताओं को लाभ और क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रियाओं का परिणाम

उपभोक्ताओं को लाभ

सभी स्टेकहोल्डर के लिए निष्पक्ष पारदर्शी और तटस्थ रहते हुए, उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता सहित नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केविविआ द्वारा की गई पहलें नीचे सूचीबद्ध हैः

I. ग्रिड अनुशासन की दिशा में सुरक्षित ग्रिड प्रचालनः सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप बेहतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी और परिणामी ग्रिड प्रचालन हुआ इससे उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।

II. बाजार मॉनिटरिंगः अल्पकालिक बाजार कीमतें स्थिर रही हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 23.87 बीयू की वृद्धि के साथ अल्पकालिक संव्यवहारों ने 218.22 बीयू के चिह्न को छू लिया। पावर एक्सचेंजों पर प्रति यूनिट औसत डे अहेड कीमत 5.82 रुपये पर स्थिर हो गई। और व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से यह वर्ष 2023–24 में 7.33 रु./कि. वाट घंटे थी।

क्षेत्र का विकास

क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा की गई पहल नीचे दी गई है।

I. ग्रिड अनुशासन

क. आयोग ने आईईजीसी 2010 का अधिक्रमण करते हुए 29.5.2023 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 दिनांक 29.5.2023 को अधिसूचित किया। विनियमों के माध्यम से आयोग ने विद्युत के उत्पादन आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए रक्षित, विश्वसनीय, किफायती और कुशल ढंग से विद्युत प्रणाली की योजना, विकास, रखरखाव और प्रचालन में सहभागिता और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले नियम, मार्गनिर्देश और मानकों को निर्धारित किया।

ख. पारेषण प्रणालियों के बीच गैर मिलान के मामले में पारेषण प्रभारों के संव्यवहार का पता लगाने के प्रयासों के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2023 अधिसूचित किया। इसके साथ ही मूल विनियम के तृतीय संशोधन को प्रतिकूल विद्युत प्रवाह के लिए क्षमता पर आधारित राष्ट्रीय संघटक के अधीन अंतरप्रादेशिक एचवीडीसी पारेषण प्रणाली के पारेषण प्रभारों के विचार के लिए 26.10.2023 को अधिसूचित किया गया।

ग. याचिकाओं और विवादों के निपटान के लिए दुरुस्त लेकिन बेहतर फ्रेमवर्क प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 19.10.2023 को अधिसूचित किया। ये विनियम 23.01.2024 को अस्तित्व में आया। जिसमें याचिकाओं के संचालन निपटान आदि सहित आयोग का कारोबार कार्यप्रणाली उपलब्ध करवाई गई।

घ. 28.09.2023 को ''सूचना विनिमय और टाइमलाइन सहित द्वितीय एवं तृतीय रिजर्व क्षमता की मात्रा के निर्धारण'' के लिए विस्तृत क्रियाविधि के अनुमोदन के माध्यम से आयोग ने नोडल एजेंसी द्वारा अर्थात् आरएलडीसी और एसएलडीसी के समन्वय से अनुपालन किए जाने वाले एसआरएएस और टीआरएएस के लिए रिजर्व की मात्रा के प्राक्कलन के लिए पद्धति और विभिन्न इकाइयों की भूमिका को निर्धारित किया। इसके अलावा संसाधनों के प्रभावी और अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से आयोग ने ''सामान्य नेटवर्क पहुंच और अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच के अधीन अनुसूचीकरण के लिए पारेषण कॉरिडोर का आवंटन'' के लिए विस्तृत क्रियाविधि अनुमोदित की।

ङ. पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्रिड अंतःक्रिया विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के उद्देश्य से आयोग ने 17.02.2024 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2024 अधिसूचित किया।

च. आयोग ने केविविआ (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2022 के विनियम 11 और विनियम 12 के अधीन अपनी शक्ति के माध्यम से याचिका सं. 05/एसएम/2023 में 09.04.2023 को स्वप्रेरणा आदेश जारी किया। इस आदेश से उच्च कीमत डेअहेड बाजार (एचपी–डीएएम) की शुरूआत हुई और पावर एक्सचेंजों में कीमत की सीमा संशोधित की गई। इसने उन विक्रेताओं के लिए विचलन प्रभारों के संव्यवहार को रेखांकित किया जिनकी बोलियां एचपी–डेम बाजार में क्लियर की गई। इसके अलावा आयोग ने जनवरी, 2024 में ''डीएसएम विनियम के कार्यान्वयन के संबंध में अपर्याप्त प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया के कारणों को विश्लेषित करना'' से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकृत किया जिसमें संतुलित कीमत संरचना पर बल देते हुए और अधिक प्रोत्साहन को हतोत्साहित करते हुए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रिजर्व में पर्याप्त सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए डीएसएम प्रभारों के लिए संशोधित फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया।

II. बाजार विकास

क. टर्म अहेड बाजार के उपबंधों के अनुसार आयोग ने 24 जुलाई 2023, 21 सितंबर 2023 और 16 अक्तूबर 2023 के अपने आदेशों के माध्यम से उच्च लागत उत्पादकों अर्थात् एचपी–डीएएम के अतिरिक्त उच्च कीमत टर्म अहेड मार्केट (एचपी–टीएएम) के लिए समर्पित द्विपक्षीय बाजार की शुरूआत को अनुमोदित किया। विक्रेताओं की पात्रता का मानदण्ड एचपी–डीएएम के समान है।

ख. आयोग ने 31 मई 2023 के आदेश के माध्यम से सेकेण्ड ओटीसी प्लेटफार्म अर्थात् जीएनए एनर्जी प्रा. लि. (जीएनएईपीएल) को रजिस्ट्रेशन मंजूर किया। 31.3.2024 को भारत में दो ओटीसी प्लेटफार्म अर्थात् विद्युत में न्यूऐज मार्केट (एनएएमई) और जीएनए एनर्जी प्रा. लि. (जीएनएईपीएल) परिचालन कर रहे हैं। ओटीसी प्लेटफार्म में ओटीसी बाजार में विद्युत के संभावित क्रेताओं और विक्रेताओं के बारे में संगत सूचना प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के रूप में विचार किया गया है।

8.
2023-24 के दौरान जारी अधिसूचनाएँ

2023–24 के दौरान जारी अधिसूचनाएं

1.	एल–1/261/2021/केविविआ (**राजपत्र सं. 229 दिनांक 06.04.2023)**	01 अप्रैल, 2023	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023
2.	एल–1/261/2021/केविविआ (**राजपत्र सं. 230 दिनांक 06.04.2023)**	01 अप्रैल, 2023	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (इसके बाद 'प्रथम संशोधन विनियम') 01.04.2023 को जारी किया गया।
3.	आरए–14026(11)/3/2019. केविविआ **(राजपत्र सं. 280) दिनांक 02.05.2023)**	28 अप्रैल, 2023	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवा) विनियम में व्यवस्था है कि विनियम आयोग द्वारा अधिसूचित इस प्रकार की तारीख से प्रभावी होंगे।
4.	एल–7/1/0S44(59). केविविआ **राजपत्र सं. 333 दिनांक 19.05.2023)**	12 मई, 2023	यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा। (परामर्शदाता की नियुक्ति)
5.	एल–1/265/2022/केविविआ **राजपत्र सं. 488 दिनांक 11.07.2023)**	29 मई 2023	यह विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 है।
6.	एल–1/265/2022/केविविआ **राजपत्र सं. 577 दिनांक 11.08.2023)**	03 अगस्त, 2023	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023ए 01.10.2023 से प्रभावी होंगे।
7.	एल–1/250/2019/केविविआ **राजपत्र सं. 576 दिनांक 11.08.2023)**	03 अगस्त, 2023	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 01.10.2023 से प्रभावी होंगे।
8.	एल–1/261/2021/केविविआ **राजपत्र सं. 577 दिनांक 11.08.2023)**	03 अगस्त, 2023	प्रथम संशोधन विनियम सहित जीएनए विनियमों के विनियम 01º10.2023 से प्रभावी होंगे।
9.	आरए–14026(11)/4/2020. केविविआ **राजपत्र सं. 653 दिनांक 21.09.2023)**	06 सितम्बर, 2023	31 मार्च, 2024 तक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2020 की प्रयोज्यता का विस्तार।

10.	एल–1/250/2019/केविविआ **राजपत्र सं. 717 दिनांक (19.10.2023)**	28 सितम्बर, 2023	01.03.2023 को भारत के शासकीय राजपत्र (असाधारण) (भाग III, खण्ड 4 संख्या 149) में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 के संबंध में 07.02.2023 का एल.1/250/2019/केविविआ, निम्नलिखित शुद्धिपत्र की गई हैं।
11.	एल–1/250/2019/ केविविआ **राजपत्र सं. 733 दिनांक (27.10.2023)**	20 अक्तूबर, 2023	यह विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 हैं। यह विनियम 1.11.2023 से प्रभावी होंगे।
12.	एल–1/250/2019/ केविविआ 1 **राजपत्र सं. 734 दिनांक (27.10.2023)**	26 अक्तूबर, 2023	यह विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 हैं। यह विनियम 1.11.2023 को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
13.	सं. 13/2/7/2015. पीएम/ केविविआ **राजपत्र सं. 857 दिनांक (26.12.2023)**	15 दिसंबर, 2023	यह विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का क्रॉस बॉर्डर व्यापार) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 है। यह विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
14.	एल–1/236/2018/ केविविआ **राजपत्र सं. 858 दिनांक (26.12.2023)**	15 दिसंबर, 2023	यह विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023 है। यह विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
15.	एल–1/2064/2022. केविविआ **राजपत्र सं. 51 दिनांक (23.01.2024)**	19 अक्तूबर, 2023	यह विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2023 है। इन विनियमों का पूरे भारत में विस्तार किया जाएगा। यह विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
16.	एल–1/268/2022.केविविआ	19 अक्तूबर, 2023	इन विनियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2024 है। यह विनियम 1.4.2024 से प्रभावी होंगे पूर्व समीक्षा होने तक या आयोग द्वारा विस्तारित होने तक 1.4.2024 से 31.3.2029 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त बने रहेंगे।

9.

वर्ष 2024—25 के लिए कार्यसूची

वर्ष 2024–25 के लिए कार्यसूची

I. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें एवं अन्य संब) मामले) विनियम, 2024 का पुनरीक्षण।

II. पणधारक फीडबैक के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियमों का संशोधन।

III. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस एवं प्रभार एवं अन्य संब) मामले) विनियम, 2024

IV. पणधारक फीडबैक पर आधारित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) में संशोधन।

V. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 का संशोधन।

VI. पणधारक फीडबैक के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम के ड्राफ्ट में संशोधन।

VII. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2024

VIII. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र व संब) मामले) विनियम, 2024

IX. आयोग की क्षमता में सुधार के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2024 का पुनरीक्षण।

X. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2024 का संशोधन।

XI. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2024

XII. पारेषण योजना को सरल एवं कारगर बनाने के लिए सामान्य नेटवर्क पहुंच विनियमों के अधीन विवेचनीय अवधि, विधि में परिवर्तन, टैरिफ की प्रवृत्तियां, सौर एवं गैर सौर संयोजकता के दौरान भारत उत्पादन संतुलन के विषयों का पता लगाने के लिए अध्ययन आयोजित करना।

10.
लेखाओं का वार्षिक विवरण

लेखाओं का वार्षिक विवरण

वर्ष 2023–24 के दौरान 108.47 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 135.00 करोड़ रुपये) विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रखी गई ''केविविआ निधि'' से रिलीज किया गया। वर्ष 2022–23 के 61.53 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपये) 2023–24 में अग्रेषित किया गया जिससे यह वर्ष 2022–23 (पिछले वर्ष 135.00 करोड़ रुपये) के लिए 170.00 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधि हो गया। इसमें से वर्ष के दौरान 120.05 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 73.47 करोड़ रुपये) की रकम प्रयोग की गई और 49.75 करोड़ रुपये का शेष (पिछले वर्ष 61.53 करोड़ रुपये) 2024–25 में आगे ले जाया गया।

इसके अलावा फीस और उस पर ब्याज के कारण वर्ष के दौरान प्राप्त 183.56 करोड़ रुपये की रकम भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई केविविआ निधि में उसे रखने के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रेषित किया गया।

विवरण **अनुबंध–X** में दिए गए हैं।

11.

आयोग का मानव संसाधन

आयोग का मानव संसाधन

आयोग का अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यनिष्पादन के लिए अत्यंत व्यापक अधिदेश है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में आयोग की कुशलता इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, विधि, पर्यावरण, प्रबंध सूचना प्रणाली और अन्य संबद्ध कुशलताओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव सहित इसके स्टाफ की गुणवत्ता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध–XI** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले मानव संसाधन का उपयोग करता है। इन–हाउस कुशलताओं और उपलब्ध अनुभव को पूरा करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए इसने विनियम बनाए हैं।

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पद
1	सचिव	1	1	0
2	प्रमुख	4	4	0
3	संयुक्त प्रमुख	9	7	2
4	उप प्रमुख	21	20	1
5	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	0	1
6	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1	1	0
7	सहायक सचिव	2	0	2
8	सहायक प्रमुख	28	12	16
9	न्यायपीठ अधिकारी	2	0	2
10	प्रधान निजी सचिव	4	2	2
11	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1	1	0
12	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	0	2
13	निजी सचिव	5	5	0
14	सहायक	16	9	7
15	वैयक्तिक सहायक	2	0	2
16	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1	0
17	आशुलिपिक	1	0	1
18	हिंदी टंकक	1	0	1
19	आरसीटीओ	1	1	0
20	ड्राईवर	4	3	1
21	वरिष्ठ चपरासी	2	2	0
22	एमटीएस	2	2	0
कुल		111	71	40

केविविआ में वर्ष 2023–24 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी

क्रम सं.	पद (पदों) का नाम	भरे गए पदों की संख्या
1	प्रमुख	1
2	उप प्रमुख	1
3	सहायक प्रमुख	1
4	प्रधान निजी सचिव	2
5	सहायक	1

12.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन एक लोक प्राधिकरण है। अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, केविविआ में एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और एक अपीलीय प्राधिकारी है। इसमें आरटीआई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों के साथ–साथ आवेदकों से सीधे भौतिक आवेदन भी प्राप्त होते हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकरणों से अंतरण होने पर भी आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं। केविविआ में आरटीआई आवेदनों की जांच संबंधित प्रभागों के परामर्श से की जाती है और आवेदकों को आवश्यक सूचना प्रस्तुत की जाती है। केविविआ से संबंधित न होने वाले आरटीआई आवेदनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन संबंधित जन प्राधिकरणों को अंतरित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) के दौरान, 253 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और 253 का निस्तारण हुआ। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अवधि के दौरान 35 प्रथम अपील प्राप्त हुईं और 34 का निस्तारण हुआ।

13.
अनुबंध

अनुबंध I

2023–24 के लिए आयोग द्वारा निपटान की गई याचिकाओं का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
1	96 / जीटी / 2020	उत्पादन टैरिफ	31/03/2024
2	333 / एमपी / 2023	विविध याचिका	31/03/2024
3	337 / एटी / 2023	टैरिफ का अंगीकरण	31/03/2024
4	51 / एटी / 2024	टैरिफ का अंगीकरण	31/03/2024
5	48 / एटी / 2024	टैरिफ का अंगीकरण	31/03/2024
6	56 / एटी / 2024	टैरिफ का अंगीकरण	31/03/2024
7	325 / टीटी / 2023	पारेषण टैरिफ	31/03/2024
8	209 / टीटी / 2023	पारेषण टैरिफ	31/03/2024
9	32 / टीटी / 2023	पारेषण टैरिफ	30/03/2024
10	69 / टीडी / 2024	व्यापार अनुज्ञप्ति	30/03/2024
11	23 / एटी / 2024	टैरिफ का अंगीकरण	30/03/2024
12	13 / टीटी / 2023	पारेषण टैरिफ	29/03/2024
13	293/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	29/03/2024
14	379/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	15/03/2024
15	334/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	14/03/2024
16	38/टीडी/2024	व्यापार अनुज्ञप्ति	21/03/2024
17	314/एमपी/2023	विविध याचिका	14/03/2024
18	83/एमपी/2023	विविध याचिका	27/03/2024
19	96/एमपी/2022	विविध याचिका	27/03/2024
20	340/एमपी/2020	विविध याचिका	28/03/2024
21	365/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	27/03/2024
22	93/एटी/2024	टैरिफ का अंगीकरण	13/03/2024
23	177/टीटी/2023	पारेषण टैरिफ	26/03/2024
24	375/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	26/03/2024
25	333/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	22/03/2024
26	719/टीटी/2020	पारेषण टैरिफ	24/03/2024

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
27	125/एमपी/2024	विविध याचिका	21/03/2024
28	212/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	20/03/2024
29	21/एमपी/2023	विविध याचिका	18/03/2024
30	24/एमपी/2024	विविध याचिका	16/03/2024
31	233/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	17/03/2024
32	303/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	18/03/2024
33	216/जीटी/2019	उत्पादन टैरिफ	15/03/2024
34	65/एमपी/2023	विविध याचिका	14/03/2024
35	161/टीटी/2021	पारेषण टैरिफ	14/03/2024
36	25/टीटी/2023	पारेषण टैरिफ	14/03/2024
37	313/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	04/03/2024
38	253/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	05/03/2024
39	353/एटी/2022	टैरिफ का अंगीकरण	09/03/2024
40	222/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	05/03/2024
41	295/एमपी/2023	विविध याचिका	13/03/2024
42	332/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	02/03/2024
43	305/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	02/03/2024
44	59/एटी/2024	टैरिफ का अंगीकरण	02/03/2024
45	340/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	29/02/2024
46	344/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	29/02/2024
47	28/एमपी/2024	विविध याचिका	05/02/2024
48	336/एमपी/2023	विविध याचिका	29/02/2024
49	5/एमपी/2024	विविध याचिका	29/02/2024
50	72/एमपी/2024	विविध याचिका	28/02/2024
51	84/एमपी/2024	विविध याचिका	28/02/2024
52	371/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	16/02/2024
53	2/एसएम/2024	स्व–प्रेरणा	21/02/2024
54	115/टीटी/2023	पारेषण टैरिफ	16/02/2024
55	6/टीटी/2023	पारेषण टैरिफ	15/02/2024

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
56	29/एमपी/2024	विविध याचिका	14/02/2024
57	21/एटी/2024	टैरिफ का अंगीकरण	12/02/2024
58	1/एसएम/2024	स्व–प्रेरणा	06/02/2024
59	8/टीटी/2023	पारेषण टैरिफ	07/02/2024
60	339/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	06/02/2024
61	331/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	06/02/2024
62	252/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	06/02/2024
63	341/आरसी/2023	विनियामक अनुपालन	05/02/2024
64	227/एमपी/2021	विविध याचिका	31/01/2024
65	226/एमपी/2021	विविध याचिका	31/01/2024
66	224/एमपी/2022	विविध याचिका	18/01/2024
67	343/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	31/01/2024
68	18/एमपी/2024	विविध याचिका	31/01/2024
69	19/एमपी/2024	विविध याचिका	31/01/2024
70	39/एमपी/2023	विविध याचिका	31/01/2024
71	727/एमपी/2020	विविध याचिका	31/01/2024
72	244/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	30/01/2024
73	250/एमपी/2023	विविध याचिका	27/01/2024
74	271/एमपी/2023	विविध याचिका	28/01/2024
75	246/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	28/01/2024
76	14/एमपी/2024	विविध याचिका	27/01/2024
77	181/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	28/01/2024
78	15/एमपी/2024	विविध याचिका	21/01/2024
79	317/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	11/01/2024
80	266/एमपी/2023	विविध याचिका	19/01/2024
81	305/एमपी/2022	विविध याचिका	20/01/2024
82	338/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	21/01/2024
83	242/एमपी/2023	विविध याचिका	20/01/2024
84	313/टीटी/2014	पारेषण टैरिफ	16/01/2024

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
85	478/टीटी/2020	पारेषण टैरिफ	20/01/2024
86	312/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	20/01/2024
87	343/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	20/01/2024
88	294/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	19/01/2024
89	113/एमपी/2020	विविध याचिका	20/01/2024
90	280/एमपी/2022	विविध याचिका	20/01/2024
91	257/एमपी/2019	विविध याचिका	20/01/2024
92	262/एमपी/2020	विविध याचिका	20/01/2024
93	70/एमपी/2022	विविध याचिका	20/01/2024
94	66/एमपी/2022	विविध याचिका	20/01/2024
95	63/एमपी/2022	विविध याचिका	20/01/2024
96	54/एमपी/2022	विविध याचिका	20/01/2024
97	4/एमपी/2022	विविध याचिका	20/01/2024
98	144/एमपी/2021	विविध याचिका	20/01/2024
99	451/एमपी/2019	विविध याचिका	20/01/2024
100	23/जीटी/2017	उत्पादन टैरिफ	20/01/2024
101	11/एमपी/2023	विविध याचिका	20/01/2024
102	14/आरपी/2023 में 292/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	20/01/2024
103	225/एमपी/2022	विविध याचिका	20/01/2024
104	160/एमपी/2022	विविध याचिका	19/01/2024
105	231/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	20/01/2024
106	5/आरपी/2023 में 287/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	19/01/2024
107	298/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	19/01/2024
108	269/एमपी/2023	विविध याचिका	19/01/2024
109	268/एमपी/2023	विविध याचिका	19/01/2024
110	22/एमपी/2023	विविध याचिका	18/01/2024
111	45/एमपी/2021	विविध याचिका	18/01/2024
112	176/एमपी/2022	विविध याचिका	18/01/2024
113	13/आरपी/2023 में 92/टीटी/2022	पुनरीक्षण याचिका	18/01/2024

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
114	114/एमपी/2019	विविध याचिका	18/01/2024
115	27/एमपी/2022	विविध याचिका	18/01/2024
116	106/एमपी/2023	विविध याचिका	17/01/2024
117	108/एमपी/2022	विविध याचिका	17/01/2024
118	192/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	16/01/2024
119	308/एमपी/2022	विविध याचिका	16/01/2024
120	319/एमपी/2020	विविध याचिका	16/01/2024
121	240/एमपी/2021	विविध याचिका	15/01/2024
122	51/आरपी/2022 में 30/टीटी/2021	पुनरीक्षण याचिका	15/01/2024
123	190/एमपी/2022	विविध याचिका	15/01/2024
124	412/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	14/01/2024
125	197/टीटी/2021	पारेषण टैरिफ	12/01/2024
126	163/आरसी/2021	विनियामक अनुपालन	12/01/2024
127	28/एमपी/2022	विविध याचिका	13/01/2024
128	332/एमपी/2020	विविध याचिका	12/01/2024
129	46/एमपी/2021	विविध याचिका	13/01/2024
130	255/एमपी/2023	विविध याचिका	13/01/2024
131	49/एमपी/2023	विविध याचिका	12/01/2024
132	454/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	12/01/2024
133	701/एमपी/2020	विविध याचिका	11/01/2024
134	453/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	12/01/2024
135	391/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	11/01/2024
136	10/एमपी/2024	विविध याचिका	11/01/2024
137	312/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	11/01/2024
138	362/एमपी/2022	विविध याचिका	11/01/2024
139	310/एमपी/2022	विविध याचिका	11/01/2024
140	212/जीटी/2021	उत्पादन टैरिफ	10/01/2024
141	121/आरसी/2023	विनियामक अनुपालन	10/01/2024
142	343/एमपी/2020	विविध याचिका	09/01/2024

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
143	255/एमपी/2022	विविध याचिका	09/01/2024
144	321/एमपी/2022	विविध याचिका	09/01/2024
145	193/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	09/01/2024
146	175/एमपी/2020	विविध याचिका	08/01/2024
147	206/एमपी/2021	विविध याचिका	07/01/2024
148	70/एमपी/2023	विविध याचिका	06/01/2024
149	261/एमपी/2022	विविध याचिका	08/01/2024
150	291/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	06/01/2024
151	234/एमपी/2022	विविध याचिका	05/01/2024
152	422/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	05/01/2024
153	214/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	04/01/2024
154	227/एमपी/2020	विविध याचिका	03/01/2024
155	220/एमपी/2021	विविध याचिका	03/01/2024
156	145/एमपी/2021	विविध याचिका	04/01/2024
157	21/जीटी/2021	उत्पादन टैरिफ	04/01/2024
158	464/एमपी/2019	विविध याचिका	01/01/2024
159	372/टीटी/2020	पारेषण टैरिफ	02/01/2024
160	64/एमपी/2022	विविध याचिका	02/01/2024
161	26/एमपी/2022	विविध याचिका	01/01/2024
162	325/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	01/01/2024
163	176/एमपी/2019	विविध याचिका	01/01/2024
164	365/एमपी/2022	विविध याचिका	02/01/2024
165	237/एमपी/2021	विविध याचिका	31/12/2023
166	356/एमपी/2022	विविध याचिका	31/12/2023
167	223/जीटी/2021	उत्पादन टैरिफ	08/12/2023
168	47/आरपी/2022 में 676/टीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	29/12/2023
169	26/एमपी/2023	विविध याचिका	30/12/2023
170	131/एमपी/2021	विविध याचिका	29/12/2023
171	94/एमपी/2021	विविध याचिका	27/12/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
172	430/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	27/12/2023
173	209/एमपी/2022	विविध याचिका	26/12/2023
174	202/एमपी/2022	विविध याचिका	22/12/2023
175	331/एमपी/2022	विविध याचिका	21/12/2023
176	18/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	18/12/2023
177	12/आरपी/2023 में 123/एमपी/2021	पुनरीक्षण याचिका	21/12/2023
178	269/एमपी/2022	विविध याचिका	21/12/2023
179	268/एमपी/2022	विविध याचिका	21/12/2023
180	267/एमपी/2022	विविध याचिका	21/12/2023
181	171/एमपी/2021	विविध याचिका	19/12/2023
182	335/एमपी/2022	विविध याचिका	19/12/2023
183	39/आरपी/2022 में 482/टीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	20/12/2023
184	497/एमपी/2020	विविध याचिका	18/12/2023
185	131/एमपी/2019	विविध याचिका	15/12/2023
186	638/एमपी/2020	विविध याचिका	15/12/2023
187	207/एमपी/2021	विविध याचिका	15/12/2023
188	93/एमपी/2022	विविध याचिका	14/12/2023
189	267/एमपी/2019	विविध याचिका	10/12/2023
190	220/एमपी/2019	विविध याचिका	10/12/2023
191	125/एमपी/2021	विविध याचिका	10/12/2023
192	304/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	11/12/2023
193	30/आरपी/2023 में 18/एमपी/2023	पुनरीक्षण याचिका	07/12/2023
194	20/एमपी/2021	विविध याचिका	07/12/2023
195	228/एमपी/2022	विविध याचिका	06/12/2023
196	277/एमपी/2019	विविध याचिका	06/12/2023
197	117/एमपी/2021	विविध याचिका	06/12/2023
198	197/एमपी/2022	विविध याचिका	06/12/2023
199	41/आरपी/2022 में 159/टीटी/2021	पुनरीक्षण याचिका	06/12/2023
200	286/एमपी/2022	विविध याचिका	05/12/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
201	283/एमपी/2022	विविध याचिका	05/12/2023
202	725/एमपी/2020	विविध याचिका	05/12/2023
203	35/आरपी/2022 में 625/टीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	04/12/2023
204	24/टीटी/2023	पारेषण टैरिफ	22/11/2023
205	59/एमपी/2023	विविध याचिका	30/11/2023
206	229/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	01/11/2023
207	260/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	30/11/2023
208	17/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	30/11/2023
209	304/एमपी/2022	विविध याचिका	30/11/2023
210	214/एमपी/2021	विविध याचिका	30/11/2023
211	245/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	29/11/2023
212	199/एमपी/2019	विविध याचिका	29/11/2023
213	73/एमपी/2022	विविध याचिका	29/11/2023
214	200/एमपी/2020	विविध याचिका	29/11/2023
215	66/एमपी/2021	विविध याचिका	24/11/2023
216	243/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	28/11/2023
217	18/जीटी/2021	उत्पादन टैरिफ	27/11/2023
218	111/एमपी/2023	विविध याचिका	23/11/2023
219	110/एमपी/2023	विविध याचिका	23/11/2023
220	101/एमपी/2023	विविध याचिका	23/11/2023
221	100/एमपी/2023	विविध याचिका	23/11/2023
222	99/एमपी/2023	विविध याचिका	23/11/2023
223	80/एमपी/2023	विविध याचिका	23/11/2023
224	122/एमपी/2021	विविध याचिका	24/11/2023
225	13/एमपी/2019	विविध याचिका	20/11/2023
226	386/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	21/11/2023
227	4/आरपी/2023 में 302/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	23/11/2023
228	187/एमपी/2023	विविध याचिका	23/11/2023
229	6/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	22/11/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
230	274/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	22/11/2023
231	54/एमपी/2023	विविध याचिका	22/11/2023
232	38/आरपी/2022 में 112/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	20/11/2023
233	95/एमपी/2023	विविध याचिका	20/11/2023
234	233/एमपी/2022	विविध याचिका	16/11/2023
235	287/एमपी/2019	विविध याचिका	14/11/2023
236	26/आरपी/2022 में 719/टीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	14/11/2023
237	204/टीटी/2021	पारेषण टैरिफ	14/11/2023
238	238/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	13/11/2023
239	389/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	13/11/2023
240	166/एमपी/2021	विविध याचिका	14/11/2023
241	382/टीटी/2020	पारेषण टैरिफ	14/11/2023
242	539/एमपी/2020	विविध याचिका	08/11/2023
243	259/एमपी/2020	विविध याचिका	08/11/2023
244	198/एमपी/2020	विविध याचिका	08/11/2023
245	193/एमपी/2021	विविध याचिका	08/11/2023
246	224/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	05/11/2023
247	270/एमपी/2022	विविध याचिका	07/11/2023
248	19/एमपी/2021	विविध याचिका	03/11/2023
249	46/आरपी/2022 में 373/एमपी/2019	पुनरीक्षण याचिका	31/10/2023
250	217/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	31/10/2023
251	258/एमपी/2022	विविध याचिका	31/10/2023
252	212/एमपी/2023	विविध याचिका	31/10/2023
253	230/एमपी/2022	विविध याचिका	30/10/2023
254	95/एमपी/2022	विविध याचिका	31/10/2023
255	368/एमपी/2022	विविध याचिका	05/10/2023
256	363/एमपी/2022	विविध याचिका	05/10/2023
257	96/एमपी/2023	विविध याचिका	05/10/2023
258	366/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	06/10/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
259	632/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	14/10/2023
260	45/आरपी/2022 में 279/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	16/10/2023
261	241/एमपी/2023	विविध याचिका	16/10/2023
262	280/एमपी/2023	विविध याचिका	22/10/2023
263	257/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	23/10/2023
264	1/आरपी/2023 में 190/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	25/10/2023
265	188/एमपी/2022	विविध याचिका	27/10/2023
266	685/टीटी/2020	पारेषण टैरिफ	30/10/2023
267	540/एमपी/2020	विविध याचिका	27/10/2023
268	535/एमपी/2020	विविध याचिका	27/10/2023
269	246/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	26/10/2023
270	298/एमपी/2023	विविध याचिका	26/10/2023
271	574/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	26/10/2023
272	189/एमपी/2022	विविध याचिका	25/10/2023
273	364/टीडी/2022	व्यापार अनुज्ञप्ति	25/10/2023
274	296/एमपी/2023	विविध याचिका	01/10/2023
275	297/एमपी/2023	विविध याचिका	01/10/2023
276	357/एमपी/2022	विविध याचिका	19/10/2023
277	218/जीटी/2019	उत्पादन टैरिफ	16/10/2023
278	64/एमपी/2023	विविध याचिका	16/10/2023
279	142/जीटी/2022	उत्पादन टैरिफ	19/10/2023
280	7/आरपी/2023 में 157/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	19/10/2023
281	259/एमपी/2023	विविध याचिका	16/10/2023
282	500/एमपी/2020	विविध याचिका	16/10/2023
283	228/एमपी/2021	विविध याचिका	16/10/2023
284	32/आरपी/2022 में 301/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	12/10/2023
285	43/आरपी/2022 में 282/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	13/10/2023
286	15/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	12/10/2023
287	14/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	12/10/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
288	13/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	12/10/2023
289	16/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	07/10/2023
290	379/एमपी/2022	विविध याचिका	08/10/2023
291	375/एमपी/2022	विविध याचिका	08/10/2023
292	416/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	05/10/2023
293	363/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	05/10/2023
294	189/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	30/09/2023
295	729/एमपी/2020	विविध याचिका	25/09/2023
296	31/आरपी/2022 में 241/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	25/09/2023
297	30/आरपी/2022 में 173/एमपी/2020	पुनरीक्षण याचिका	28/09/2023
298	278/एमपी/2019	विविध याचिका	28/09/2023
299	98/एमपी/2022	विविध याचिका	26/09/2023
300	34/आरपी/2022 में 426/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	26/09/2023
301	342/एमपी/2022	विविध याचिका	24/05/2023
302	82/एमपी/2023	विविध याचिका	28/04/2023
303	108/एमपी/2023	विविध याचिका	25/09/2023
304	207/एमपी/2022	विविध याचिका	21/09/2023
305	277/एमपी/2023	विविध याचिका	23/09/2023
306	97/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	23/09/2023
307	135/एमपी/2022	विविध याचिका	23/09/2023
308	54/एमपी/2021	विविध याचिका	23/09/2023
309	239/एमपी/2019	विविध याचिका	23/09/2023
310	154/एमपी/2021	विविध याचिका	20/09/2023
311	412/एमपी/2019	विविध याचिका	18/09/2023
312	240/एमपी/2019	विविध याचिका	20/09/2023
313	232/एमपी/2021	विविध याचिका	18/09/2023
314	411/एमपी/2019	विविध याचिका	18/09/2023
315	195/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	18/09/2023
316	81/एमपी/2022	विविध याचिका	20/09/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
317	170/एमपी/2023	विविध याचिका	21/09/2023
318	11/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	18/09/2023
319	184/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	15/09/2023
320	443/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	15/09/2023
321	213/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	13/09/2023
322	130/एमपी/2022	विविध याचिका	14/09/2023
323	433/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	15/09/2023
324	178/एमपी/2023	विविध याचिका	14/09/2023
325	10/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	08/09/2023
326	22/आरपी/2023 सहित आईए सं. 58/आईए/2023 और 23/आरपी/2023	पुनरीक्षण याचिका	04-09-2023
327	68/एमपी/2022	विविध याचिका	11/09/2023
328	136/एमपी/2022	विविध याचिका	29/08/2023
329	132/एमपी/2022	विविध याचिका	11/09/2023
330	199/एमपी/2023	विविध याचिका	05/09/2023
331	432/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	05/09/2023
332	424/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	05/09/2023
333	190/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	05/09/2023
334	2/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	04/09/2023
335	9/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	31/08/2023
336	133/एमपी/2022	विविध याचिका	31/08/2023
337	145/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	31/08/2023
338	295/एमपी/2019	विविध याचिका	31/08/2023
339	8/आरपी/2023 में 52/एमपी/2019	पुनरीक्षण याचिका	31/08/2023
340	282/एमपी/2019	विविध याचिका	31/08/2023
341	25/आरपी/2022 में 88/टीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	31/08/2023
342	88/टीटी/2020	पारेषण टैरिफ	20-09-2023
343	149/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	30/08/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
344	217/एमपी/2022	विविध याचिका	30/08/2023
345	77/एमपी/2023	विविध याचिका	30/08/2023
346	183/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	30/08/2023
347	218/एमपी/2023	विविध याचिका	30/08/2023
348	211/एमपी/2023	विविध याचिका	30/08/2023
349	65/एमपी/2022	विविध याचिका	14/08/2023
350	8/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	12/08/2023
351	231/एमपी/2023	विविध याचिका	12/08/2023
352	29/एमपी/2022	विविध याचिका	10/08/2023
353	188/एमपी/2023	विविध याचिका	10/08/2023
354	640/एमपी/2020	विविध याचिका	08/08/2023
355	113/टीटी/2021	पारेषण टैरिफ	29/08/2023
356	143/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	17/08/2023
357	141/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	22/08/2023
358	147/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	23/08/2023
359	44/आरपी/2022 में 143/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	18/08/2023
360	429/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	25/08/2023
361	36/आरपी/2022 में 182/एमपी/2020	पुनरीक्षण याचिका	23/08/2023
362	2/आरपी/2023 में 79/टीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	23/08/2023
363	643/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	17/08/2023
364	240/टीटी/2013	पारेषण टैरिफ	17/08/2023
365	156/एमपी/2022	विविध याचिका	14/08/2023
366	72/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	15/08/2023
367	541/एमपी/2020	विविध याचिका	15/08/2023
368	124/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	09/08/2023
369	173/एमपी/2022	विविध याचिका	09/08/2023
370	284/एमपी/2022	विविध याचिका	08/08/2023
371	279/एमपी/2022	विविध याचिका	08/08/2023
372	51/जीटी/2021	उत्पादन टैरिफ	08/08/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
373	153/एमपी/2023	विविध याचिका	07/08/2023
374	53/एमपी/2022	विविध याचिका	07/08/2023
375	87/एमपी/2021	विविध याचिका	07/08/2023
376	157/एमपी/2023	विविध याचिका	03/08/2023
377	126/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	04/08/2023
378	556/एमपी/2020	विविध याचिका	04/08/2023
379	263/एमपी/2020	विविध याचिका	04/08/2023
380	201/एमपी/2020	विविध याचिका	04/08/2023
381	197/एमपी/2020	विविध याचिका	04/08/2023
382	37/आरपी/2022 में 362/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	02/08/2023
383	258/एमपी/2019	विविध याचिका	01/08/2023
384	17/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	31/07/2023
385	139/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	31/07/2023
386	128/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	31/07/2023
387	130/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	31/07/2023
388	32/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	28/07/2023
389	255/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	28/07/2023
390	156/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	27/07/2023
391	237/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	26/07/2023
392	292/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	26/07/2023
393	174/एमपी/2023	विविध याचिका	26/07/2023
394	402/जीटी/2019	उत्पादन टैरिफ	26/07/2023
395	458/एमपी/2019	विविध याचिका	25/07/2023
396	122/एमपी/2023	विविध याचिका	24/07/2023
397	146/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	25/07/2023
398	185/एमपी/2021	विविध याचिका	25/07/2023
399	150/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	20/07/2023
400	564/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	20/07/2023
401	142/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	20/07/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
402	200/एमपी/2023	विविध याचिका	21/07/2023
403	273/एमपी/2021	विविध याचिका	20/07/2023
404	681/टीटी/2020	पारेषण टैरिफ	20/07/2023
405	242/एमपी/2022	विविध याचिका	20/07/2023
406	309/एमपी/2022	विविध याचिका	18/07/2023
407	421/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	18/07/2023
408	144/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	18/07/2023
409	18/एमपी/2023	विविध याचिका	18/07/2023
410	132/एमपी/2019	विविध याचिका	17/07/2023
411	213/एमपी/2019	विविध याचिका	14/07/2023
412	211/एमपी/2019	विविध याचिका	14/07/2023
413	313/एमपी/2022	विविध याचिका	16/07/2023
414	42/आरपी/2022 में 284/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	16/07/2023
415	148/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	16/07/2023
416	465/एमपी/2019	विविध याचिका	15/07/2023
417	56/एमपी/2021	विविध याचिका	17/07/2023
418	151/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	14/07/2023
419	369/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	10/07/2023
420	569/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	10/07/2023
421	135/एमपी/2023	विविध याचिका	10/07/2023
422	127/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	09/07/2023
423	125/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	06/07/2023
424	140/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	07/07/2023
425	131/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	07/07/2023
426	129/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	07/07/2023
427	27/एटी/2023	टैरिफ का अंगीकरण	07/07/2023
428	694/टीटी/2020	पारेषण टैरिफ	04/07/2023
429	428/एमपी/2019	विविध याचिका	03/07/2023
430	388/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	04/07/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
431	141/टीटी/2015	पारेषण टैरिफ	03/07/2023
432	573/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	03/07/2023
433	259/एमपी/2021	विविध याचिका	03/07/2023
434	286/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	30/06/2023
435	104/एमपी/2018	विविध याचिका	30/06/2023
436	110/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	30/06/2023
437	72/एमपी/2020	विविध याचिका	30/06/2023
438	169/जीटी/2023	उत्पादन टैरिफ	30/06/2023
439	91/एमपी/2021	विविध याचिका	30/06/2023
440	73/एमपी/2020	विविध याचिका	30/06/2023
441	130/एमपी/2021	विविध याचिका	30/06/2023
442	121/एमपी/2021	विविध याचिका	30/06/2023
443	120/एमपी/2021	विविध याचिका	30/06/2023
444	57/एमपी/2021	विविध याचिका	30/06/2023
445	726/एमपी/2020	विविध याचिका	30/06/2023
446	45/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	28/06/2023
447	619/एमपी/2020	विविध याचिका	28/06/2023
448	230/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	27/06/2023
449	5/एमपी/2017	विविध याचिका	25/06/2023
450	4/एमपी/2017	विविध याचिका	25/06/2023
451	513/एमपी/2020	विविध याचिका	23/06/2023
452	470/एमपी/2019	विविध याचिका	23/06/2023
453	273/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	22/06/2023
454	330/एमपी/2019	विविध याचिका	23/06/2023
455	257/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	22/06/2023
456	10/टीटी/2019	पारेषण टैरिफ	21/06/2023
457	18/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	20/06/2023
458	570/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	16/06/2023
459	234/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	15/06/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
460	415/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	15/06/2023
461	103/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	13/06/2023
462	55/एमपी/2021	विविध याचिका	13/06/2023
463	47/एमपी/2023	विविध याचिका	12/06/2023
464	417/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	12/06/2023
465	299/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	12/06/2023
466	216/एमपी/2021	विविध याचिका	02/06/2023
467	168/एमपी/2021	विविध याचिका	02/06/2023
468	724/एमपी/2020	विविध याचिका	05/06/2023
469	186/एमपी/2023	विविध याचिका	07/06/2023
470	642/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	09/06/2023
471	410/एमपी/2019	विविध याचिका	07/06/2023
472	576/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	12/06/2023
473	241/एमपी/2022	विविध याचिका	06/06/2023
474	7/एसएम/2022	स्व–प्रेरणा	06/06/2023
475	2/एसएम/2020	स्व–प्रेरणा	06/06/2023
476	603/आरसी/2020	विनियामक मामले	06/06/2023
477	154/आरसी/2019	विनियामक मामले	06/06/2023
478	14/एमपी/2021	विविध याचिका	04/06/2023
479	403/एमपी/2019	विविध याचिका	02/06/2023
480	83/एमपी/2019	विविध याचिका	02/06/2023
481	411/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	31/05/2023
482	243/एमपी/2022	विविध याचिका	31/05/2023
483	380/एमपी/2022	विविध याचिका	31/05/2023
484	7/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	31/05/2023
485	55/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	31/05/2023
486	22/टीटी/2021	पारेषण टैरिफ	31/05/2023
487	428/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	31/05/2023
488	43/एमपी/2019	विविध याचिका	30/05/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
489	4/एमपी/2019	विविध याचिका	30/05/2023
490	395/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
491	388/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
492	359/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
493	358/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
494	355/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
495	352/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
496	226/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
497	212/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
498	210/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
499	209/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
500	207/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
501	206/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
502	165/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
503	164/एमपी/2018	विविध याचिका	30/05/2023
504	201/एमपी/2022	विविध याचिका	30/05/2023
505	175/एमपी/2023	विविध याचिका	26/05/2023
506	609/एमपी/2020	विविध याचिका	26/05/2023
507	550/एमपी/2020	विविध याचिका	26/05/2023
508	96/एमपी/2021	विविध याचिका	27/05/2023
509	152/एमपी/2023	विविध याचिका	26/05/2023
510	299/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	22/05/2023
511	567/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	19/05/2023
512	253/एमपी/2022	विविध याचिका	09/05/2023
513	37/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	06/05/2023
514	256/एमपी/2022	विविध याचिका	03/05/2023
515	271/एमपी/2021	विविध याचिका	19/05/2023
516	240/एमपी/2022	विविध याचिका	19/05/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
517	9/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	19/05/2023
518	63/एमपी/2021	विविध याचिका	04/05/2023
519	580/एमपी/2020	विविध याचिका	04/05/2023
520	57/एमपी/2022	विविध याचिका	04/05/2023
521	76/एमपी/2023	विविध याचिका	10/05/2023
522	4/एमपी/2021	विविध याचिका	11/05/2023
523	28/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	12/05/2023
524	287/एमपी/2022	विविध याचिका	17/05/2023
525	174/एमपी/2022	विविध याचिका	17/05/2023
526	334/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	18/05/2023
527	91/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	15/05/2023
528	332/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	15/05/2023
529	108/टीटी/2016	पारेषण टैरिफ	09/05/2023
530	298/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	08/05/2023
531	92/एमपी/2021	विविध याचिका	04/05/2023
532	288/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	04/05/2023
533	225/एमपी/2017	विविध याचिका	30/04/2023
534	290/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	30/04/2023
535	196/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	29/04/2023
536	297/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	29/04/2023
537	532/एमपी/2020	विविध याचिका	30/04/2023
538	296/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	28/04/2023
539	60/एमपी/2023	विविध याचिका	12/04/2023
540	37/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	10/04/2023
541	88/आरसी/2023	विनियामक अनुपालन	28/04/2023
542	397/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	28/04/2023
543	371/जीटी/2019	उत्पादन टैरिफ	28/04/2023
544	575/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	29/04/2023
545	81/आरसी/2023	विनियामक अनुपालन	28/04/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
546	74/एमपी/2022	विविध याचिका	27/04/2023
547	565/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	27/04/2023
548	568/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	27/04/2023
549	276/एमपी/2022	विविध याचिका	28/04/2023
550	328/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	28/04/2023
551	327/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	28/04/2023
552	202/एमपी/2021	विविध याचिका	27/04/2023
553	441/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	27/04/2023
554	320/एमपी/2019	विविध याचिका	25/04/2023
555	534/एमपी/2020	विविध याचिका	26/04/2023
556	607/एमपी/2020	विविध याचिका	25/04/2023
557	62/टीडी/2023	व्यापार अनुज्ञप्ति	23/04/2023
558	195/एमपी/2022	विविध याचिका	23/04/2023
559	6/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	23/04/2023
560	637/एमपी/2020	विविध याचिका	23/04/2023
561	219/एमपी/2022	विविध याचिका	21/04/2023
562	281/एमपी/2021	विविध याचिका	20/04/2023
563	44/टीएल/2023	पारेषण लाइसेंस	17/04/2023
564	42/एमपी/2023	विविध याचिका	17/04/2023
565	698/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	17/04/2023
566	33/टीटी/2021	पारेषण टैरिफ	12/04/2023
567	295/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	15/04/2023
568	7/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	12/04/2023
569	14/एमपी/2023	विविध याचिका	11/04/2023
570	336/एमपी/2022	विविध याचिका	10/04/2023
571	307/एमपी/2022	विविध याचिका	11/04/2023
572	5/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	09/04/2023
573	261/एमपी/2019	विविध याचिका	05/04/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
574	216/एमपी/2022	विविध याचिका	05/04/2023
575	268/एमपी/2021	विविध याचिका	05/04/2023
576	113/टीटी/2022	पारेषण टैरिफ	06/04/2023
577	354/एटी/2022	टैरिफ का अंगीकरण	06/04/2023
578	88/एमपी/2022	विविध याचिका	05/04/2023
579	178/एमपी/2022	विविध याचिका	05/04/2023
580	143/एमपी/2022	विविध याचिका	05/04/2023
581	239/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	05/04/2023
582	144/जीटी/2020	उत्पादन टैरिफ	05/04/2023
583	27/आरपी/2021 में 30/जीटी/2020	पुनरीक्षण याचिका	04/04/2023

क्र.सं.	याचिका संख्या	याचिका का प्रकार	निपटान किया गया
584	4/एसएम/2023	स्व–प्रेरणा	01/04/2023

अनुबंध-II

एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2024 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	2023–24 में क्षमता योग	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1	सिंगरौली एसटीपीएस		2000	01-05-1988
2	रिहंद एसटीपीएस-I		1000	01-01-1991
3	रिहंद एसटीपीएस-II		1000	01-04-2006
4	रिहंद एसटीपीएस-III		1000	27-03-2014
5	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-I		420	13-02-1992
6	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-II		420	01-01-2001
7	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-III		210	1-01-2007
8	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-IV		500	30-09-2017
9	टांडा-I		440	14-01-2000
10	टांडा-II		1320	01-07-2021
11	एनसीटीपीएस दादरी-I		840	01-12-1995
12	एनसीटीपीएस दादरी-II		980	31-07-2010
13	कोरबा एसटीपीएस-Iएवंll		2100	01-06-1990
14	कोरबा एसटीपीएस-III		500	21-03-2011
15	सीपत एसटीपीएस-I		1980	01-08-2012
16	सीपत एसटीपीएस-II		1000	01-01-2009
17	विंध्याचल एसटीपीएस-I		1260	01-02-1992
18	विंध्याचल एसटीपीएस-II		1000	01-10-2020
19	विंध्याचल एसटीपीएस-III		1000	15-07-2007
20	विंध्याचल एसटीपीएस-IV		1000	27-03-2014
21	विंध्याचल एसटीपीएस-V		500	30-10-2015
22	लारा		1600	07-11-2020
23	सोलापुर		1320	30-03-2019
24	मौदा एसटीपीएस-I		1000	30-03-2014
25	मौदा एसटीपीएस-II		1320	18-09-2017
26	गाडरवारा		1600	01-03-2021
27	खरगोन		1320	4-04-2020

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	2023–24 में क्षमता योग	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
28	तालचेर एसटीपीएस-I		1000	1-07-1997
29	तालचेर एसटीपीएस-II		2000	01-08-2005
30	दर्लीपाली I		1600	01-09-2021
31	कहलगांव एसटीपीएस-I		840	01-08-1996
32	कहलगांव एसटीपीएस-II		1500	20-03-2010
33	फरक्का एसटीपीएस-I&II		1600	01-07-1996
34	फरक्का एसटीपीएस-III		500	04-04-2012
35	बढ़ एसटीपीएस-I	660	1320	01-08-2023
36	बढ़ एसटीपीएस-II		1320	08-03-2016
37	बरौनी-I		220	01-06-2022
38	बरौनी-II		500	01-11-2021
39	बोंगाईगांव टीपीएस		750	26-03-2019
40	रामगुंडम एसटीपीएस-IएवंII		2100	01-04-1991
41	रामगुंडम एसटीपीएस-III		500	25-03-2005
42	सिम्हाद्री एसटीपीएस-I		1000	01-03-2003
43	सिम्हाद्री एसटीपीएस-II		1000	30-09-2012
44	कुडगी		2400	15-09-2018
45	तेलंगाना I	1600	1600	01-03-2024
46	नबीनगर एसटीपीएस -I		1980	01-06-2022
47	मुजफ्फरपुर टीपीएस-II		390	01-07-2017
48	उत्तर करनपुरा-I	660	1320	20-03-2024
	एनटीपीसी गैस स्टेशन			
48	फरीदाबाद		431.59	01-01-2001
49	औरैया		663.36	01-12-1990
50	दादरी		829.78	01-04-1997
51	अन्ता		419.33	01-08-1990
52	झानोर गंधार		657.39	01-11-1995
53	कवास		656.20	01-09-1993
54	कायमकुलम		359.58	01-03-2000
	एनटीपीसी–जेवी स्टेशन			
55	एपीसीपीएल, झज्जर		1500	26-04-2013

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	2023–24 में क्षमता योग	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
56	एनटीईसीएल, वेल्लूर		1500	26-02-2015
57	बीआरबीसीएल, नबीनगर		1000	01-12-2021
58	एमयूएनपीएल, मेजा		1320	31-01-2021

अनुबंध-III

दामोदर वैली (डीवीसी) कार्पोरेशन के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2024 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	आरंभ की गई
1	बोकारो टीपीएस–क	(1 X500)=500	23.2.2017
2	चंद्रपुरा टीपीएस	(2 X 250) = 630	यू-VII: 2.11.2011 यू-VIII: 15.7.2011
3	दुर्गापुर टीपीएस	(1 X 210) =210	यू-IV: Sept,1982
4	मेजिया टीपीएस	(4X210)+(2X250)+(2 X500)=2340	यू-I 1.3.1996 यू-II 1.3.1998 यू-III 1.9.1999 यू-IV 13.2.2005 यू-V 29.2.2008 यू-VI 24.9.2008 यू-VII 2.8.2011 यू-VIII 16.8.2012
5	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	(2 X 500) = 1000	यू-I 15.5.2012 यू-II 5.3.2013
6	कोडरमा टीपीएस	(2 X 500) =1000	यू-I 18.7.2013 यू-II 14.6.2014
7	रघुनाथपुर टीपीएस	(2 X 600) = 1200	31.3.2016
	कुल थर्मल	**6750**	

अनुबंध-IV

नीपको के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2024 को संस्थापित क्षमता

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>उत्पादन स्टेशन</th><th>31.03.2023 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)</th><th colspan="2">स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">अगरतला जीपीएस</td><td>84 (21 X 4) गैस टरबाइन</td><td colspan="2">01.08.1998</td></tr>
<tr><td>51 (25.5 X 2) स्टीम टरबाइन</td><td colspan="2">01.09.2015</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>असम जीपीएस</td><td>291</td><td colspan="2">01.04.1999</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td rowspan="2">समन्वित साइकल पावर परियोजना आधारित त्रिपुरा गैस</td><td rowspan="2">101 मेगावाट (65.42 मेगावाट) गैस एवं (35.58 मेगावाट) स्टीम टरबाइन</td><td>गैस टरबाइन</td><td>24.12.2015</td></tr>
<tr><td>स्टीम टरबाइन</td><td>31.03.2017</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>527</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

अनुबंध-V

उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2024 को संस्थापित क्षमता

क) नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एनएलसी)

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	टीपीएस–2 स्टेज–1	630	23.04.1988
2.	टीपीएस–2 स्टेज–2	840	09.04.1994
3.	टीपीएस–1 विस्तार	420	05.09.2003
4.	टीपीएस–2 विस्तार	500	05.07.2015
5.	बरसिंगसर टीपीएस	250	20-01-2012
6.	एनटीपीएल (सहायक)	1000	29.08.2015
7.	एनएनटीपीपी	1000	10-02-2021
	कुल	**4640**	

ख) ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी (ओटीपीसी)

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	ओटीपीसी पलटाना परियोजना	726	24-03-2015
	कुल	**726**	

ग) उडुपी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल)

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	उडुपी टीपीपी	1200	19.08.2012
	कुल	**1200**	

घ) प्रगति कार्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	पीपीसीएल-III-बवाना	1371.20	27-03-2014
	कुल	**1371.20**	

अनुबंध-VI

वर्ष 2023–24 के लिए थर्मल पावर स्टेशन (नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार) के टैरिफ का विवरण

एनटीपीसी उत्पादन केन्द्र

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य नियत प्रभार (रूपये/किलोवाट घण्टा)/@ 85% एसजी	ईसीआर (रूपये/किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये/किलोवाट घण्टा)
1	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	0.76	1.57	2.33
2	रिहंद एसटीपीएस-I	1000	0.83	1.60	2.43
3	रिहंद एसटीपीएस-II	1000	0.78	1.59	2.37
4	रिहंद एसटीपीएस-III	1000	1.47	1.57	3.05
5	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-I	420	1.04	4.56	5.60
6	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-II	420	1.12	3.69	4.80
7	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-III	210	1.21	4.41	5.62
8	एफजीयूटीपीएस ऊंचाहार-IV	500	1.66	4.20	5.86
9	टांडा-I	440	1.26	5.07	6.33
10	टांडा-II	1320	1.47	3.62	5.08
11	एनसीटीपीएस दादरी-I	840	1.00	4.72	5.72
12	एनसीटीपीएस दादरी-II	980	1.23	4.69	5.92

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य नियत प्रभार (रूपये / किलोवाट घण्टा) / @ 85% एसजी	ईसीआर (रूपये / किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये / किलोवाट घण्टा)
13	कोरबा एसटीपीएस-I एवं II	2100	0.76	1.46	2.22
14	कोरबा एसटीपीएस-III	500	1.13	1.44	2.56
15	सीपत एसटीपीएस-I	1980	1.26	1.44	2.69
16	सीपत एसटीपीएस-II	1000	0.99	1.48	2.47
17	विंध्याचल एसटीपीएस-I	1260	0.91	1.60	2.52
18	विंध्याचल एसटीपीएस-II	1000	0.79	1.55	2.33
19	विंध्याचल एसटीपीएस-III	1000	0.91	1.53	2.44
20	विंध्याचल एसटीपीएस-IV	1000	1.72	1.51	3.23
21	विंध्याचल एसटीपीएस-V	500	1.73	1.57	3.29
22	लारा	1600	1.67	1.35	3.02
23	सोलापुर	1320	1.72	4.60	6.32
24	मौदा एसटीपीएस-I	1000	1.70	3.47	5.17
25	मौदा एसटीपीएस-II	1320	1.59	3.53	5.12
26	गाडरवारा	1600	2.07	3.61	5.68
27	खरगोन	1320	2.08	3.97	6.04
28	तालचेर एसटीपीएस-I	1000	0.96	1.80	2.76
29	तालचेर एसटीपीएस-II	2000	0.82	1.74	2.56
30	दर्लीपाली	1600	1.66	1.15	2.81
31	कहलगांव एसटीपीएस-I	840	1.05	3.05	4.10
32	कहलगांव एसटीपीएस-II	1500	0.92	2.92	3.84
33	फरक्का एसटीपीएस-IएवंII	1600	0.90	3.44	4.34
34	फरक्का एसटीपीएस-III	500	1.49	3.19	4.67
35	बढ़ एसटीपीएस-I	1320	2.25	3.20	5.45
36	बढ़ एसटीपीएस-II	1320	1.84	3.37	5.21
37	बरौनी-I	220	0.76	4.63	5.40
38	बरौनी-II	500	1.95	2.77	4.72
39	बोंगाईगांव टीपीएस	750	2.40	3.66	6.06
40	रामगुंडम एसटीपीएस-I एवं II	2100	0.78	3.76	4.54
41	रामगुंडम एसटीपीएस-III	500	0.86	3.71	4.56
42	सिम्हाद्री एसटीपीएस-I	1000	1.01	4.07	5.09

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य नियत प्रभार (रूपये / किलोवाट घण्टा) / @ 85% एसजी	ईसीआर (रूपये / किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये / किलोवाट घण्टा)
43	सिम्हाद्री एसटीपीएस-II	1000	1.43	4.00	5.43
44	कुडगी	2400	1.66	5.28	6.94
45	तेलंगाना I	1600	1.88	3.93	5.82
46	नबीनगर एसटीपीएस-I	1980	2.17	2.64	4.81
47	मुजफ्फरपुर टीपीएस-II	390	2.53	2.86	5.39
48	उत्तर करनपुरा-I	1320	2.38	1.49	3.87
2023–24 के लिए एनटीपीसी गैस स्टेशन टैरिफ					
48	फरीदाबाद	431.59	0.80	16.11	16.92
49	औरैया	663.36	0.78	11.64	12.41
50	दादरी	829.78	0.51	11.13	11.64
51	अन्ता	419.33	0.63	12.26	12.89
52	गंधार	657.39	1.04	11.76	12.80
53	कवास	656.20	0.88	11.99	12.86
54	कायमकुलम	359.58	0.38	0.00	0.38
2023–24 के लिए एनटीपीसी–जेवी स्टेशन टैरिफ					
55	एपीसीपीएल, झज्जर	1500	2.07	4.40	6.470
56	एनटीईसीएल, वेल्लूर	1500	1.97	3.81	5.780
57	बीआरबीसीएल, नबीनगर	1000	2.35	2.99	5.344
मैथोन पावर लिमिटेड					
58	मैथोन पावर लिमिटेड	1050	1.389	2.741	4.13
एनएलसी स्टेशन					
59	टीएस-II स्टेज 1	630	3.21	0.84	4.05
60	टीएस-II स्टेज 2	840	3.21	0.87	4.07
61	टीपीएस-I विस्तार	420	2.85	0.99	3.83
62	बीटीपीएस	250	1.15	2.05	3.19
63	टीपीएस–2 विस्तार	500	3.04	2.11	5.14
64	एनटीपीएल	1000			
65	एनएनटीपीपी	1000	2.59	1.80	4.39
डीवीसी					
66	एमटीपीएस (1-3)	630	1.06	3.91	4.98
67	एमटीपीएस (4)	210	1.06	3.95	5.02
68	एमटीपीएस (5-6)	500	1.15	3.74	4.90

क्र. सं.	उत्पादन स्टेशन	31.03.2024 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य नियत प्रभार (रूपये/किलोवाट घण्टा)/@ 85% एसजी	ईसीआर (रूपये/ किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये/ किलोवाट घण्टा)
69	एमटीपीएस (7-8)	1000	1.46	3.46	4.93
70	सीटीपीएस (7-8)	500	1.63	3.22	4.86
71	डीएसटीपीएस (1-2)	1000	1.50	3.44	4.95
72	केटीपीएस (1-2)	1000	1.61	3.02	4.64
73	आरटीपीएस (1-2)	1200	1.58	3.43	5.02
74	बीटीपीएस क	500	2.05	2.67	4.74
पीपीसीएल बवाना					
75	पीपीसीएल बवाना टीपीएस	1371.2	1.32	6.190	7.51
ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, पलटाना परियोजना					
76	पलटाना	726.6	1.28	1.02	3.30
नीपको गैस संयंत्र					
77	एजीबीपी	291.00	1.936	4.781	6.717
78	एजीटीसीसीपी	135.00	1.935	4.40	6.335
79	टीजीबीपी	101.00	2.533	2.342	4.875
उडुपी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड–उडुपी टीपीपी					
80	**उडुपी टीपीपी**	1200	1.276	5.374	6.650

नोटः वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ विवरण संबंधित उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

अनुबंध-VII

विभिन्न प्रकार के हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के प्रत्येक के वाणिज्यिक प्रचालन की वर्ष और 31.03.2024 को संस्थापित क्षमता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीओडीं
क	**एनएचपीसी**				
1.	बैरासिउल	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 X 60 = 180	30.08.2021 (post R&M)
2	लोकतक	मणिपुर	स्टोरेज	3 x 35 = 105	01.06.1983
3	टनकपुर	उत्तराखंड	आरओआर	3 x 31.40 =94.20	01.04.1993
4	चमेरा– I	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 180 = 540	01.05.1994
5	सलाल	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	6 x 115 = 690	01.04.1995
6	उरी – I	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4 x120 = 480	01.06.1997
7	रंगित एच.ई. परियोजना	सिक्किम	पोंडेज	3 x 20 = 60	15-02-2000

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीओडीं
8	चमेरा – II	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 100 = 300	31-03-2004
9	धौलीगंगा	उत्तराखंड	पोंडेज	4 x 70 = 280	01.11.2005
10	दुलहस्ती	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज	3 x130 = 390	07.04.2007
11	तीस्ता – V	सिक्किम	पोंडेज	3 x 170 = 510	10.04.2008
12	सेवा-II	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज	4 x 30 = 120	24.07.2010
13	चमेरा – III	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 77 =231	04.07.2012
14	चटक	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4x11=44	01-02-2013
15	तीस्ता लॉ डैम –III	सिक्किम	पोंडेज	4 x 33 =132	19.05.2013
16	निमूबाजगो	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज	3x15= 45	10.10.2013
17	उरी – II	जम्मू एवं कश्मीर	आरओआर	4 x 60 =240	01-03-2014
18	पार्बती स्टेज-III	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x130=520	06.06.2014
19	तीस्ता लॉ डैम IV	सिक्किम	पोंडेज के साथ आरओआर	4 x40=160	19.08.2016
20	किशनगंगा	जम्मू एवं कश्मीर	पोंडेज के साथ आरओआर	3x110=330	24.05.2018
	कुल आई.सी.			**5451.20**	
ख	**एनएचडीसी**				
21	इंदिरा सागर	मध्य प्रदेश	स्टोरेज	8x125=1000	25.08.2005
22	ओंकारेश्वर	मध्य प्रदेश	पोंडेज	8x65 = 520	15.11.2007
	कुल आई.सी.			**1520**	
ग	**टीएचडीसी**				
23	टिहरी	उत्तराखंड	स्टोरेज	4x250=1000	09.07.2007
24	कोटेश्वर	उत्तराखंड	स्टोरेज	4x100=400	01.04.2012
	कुल आई.सी.			**1400**	
घ	**एसजेवीएनएल**				
25	नाथपाझाकरी	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	6X250=1500	18.05.2004
26	रामपुर		पोंडेज	6x68.66=412	16.12.2014
27.	नैतवार मोरी	उत्तराखंड	आरओआर	2x30=60	15-05-2023
	कुल आई.सी.			**1972**	
ड	**डीवीसी**				
28	मैथन	झारखंड / पश्चिम बंगाल	स्टोरेज	2x20,1x23.20=63.20	December, 1958

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीओडीं
29	पंचेत	झारखंड / पश्चिम बंगाल	स्टोरेज	2x40=80	Maआरसीh,1991
30	तलिया	झारखंड	स्टोरेज	2x2=4	August,1953
	कुल आई.सी.			**147.20**	
च	**नीपको**				
31	रंगानदी	अरुणाचल प्रदेश	पोंडेज	3x135=405	12.04.2002
32	कोपिली स्टेज-I	असम	स्टोरेज	4x50=200	12.07.1997
33	कोपिली स्टेज-II	असम	स्टोरेज	1x25=25	26.07.2004
34	खांडोंग	असम	स्टोरेज	2x25=50	04.05.1984
35	दोयांग	नगालैंड	स्टोरेज	3x25=75	08.07.2000
36	तुइरिअल	मिजोरम	स्टोरेज	2x30=60	27.04.2018
37	पारे	अरुणाचल प्रदेश	पोंडेज	2x55=110	28.05.2018
38	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	आरओआर	4x150=600	12-02-2021
	कुल आई.सी.			**1525**	
छ	**एनटीपीसी**				
39	कोल्डम	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x200=800	18.07.2015
	कुल आई.सी.			**800**	
ज	**बीबीएमबी**				
40	बीबीएमबीका उत्पादन स्टेशन	पंजाब	आरओआर/ स्टोरेज	**2936.73**	1955-1983
	कुल आई.सी.			**2936.73**	
झ	**तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड**				
41	तीस्ता-III एचईपी	सिक्किम	पोंडेज	6x200=1200	28-02-2017
	कुल आई.सी.			**1200**	
ढ	**आईपीपी**				
42	करचम वांगटू	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x250=1000	13.09.2011
	कुल आई.सी.			**1000**	
आई.सी. का कुल योग				**17952.13**	

अनुबंध VIII

एएफसी से अनुमोदित नवीनतम आधार पर उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई 2023–24 अवधि के लिए हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के लिए समन्वित टैरिफ

क्र. सं.	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	यूनिटों की सं./ क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक डीई (एमयू)	समन्वित टैरिफ (जम्मू–कश्मीर के लिए जल कर सहित) (रूपये/ किलोवाट घण्टा)
एनएचपीसी					
1	बैरास्यूल	180	(3 x 60)	779.28	2.65
2	सलाल	690	(6 x 115)	3082	1.55
3	टनकपुर	94.2	(3 x 31.4)	452.19	4.94
4	चमेरा-I	540	(3 x 180)	1664.55	2.28
5	उरी-I	480	(4 x 120)	2587.38	1.91
6	चमेरा-II	300	(3 x 100)	1499.89	2.41
7	धौलीगंगा	280	(4 x 70)	1134.69	2.56
8	दुलहस्ती	390	(3 x 130)	1906.8	4.66
9	लोकतक	105	(3 x 35)	448	3.88
10	रंगीत	60	(3 x 20)	338.61	4.02
11	तीस्ता-V	510	(3 x 170)	2572.7	1.97
12	उरी-II	240	(4 x 60)	1123.77	4.41
13	निमू बाजगो	45	(3 x 15)	239.33	9.12
14	चटक	44	(4 x 11)	212.93	8.92
15	सेवा-II	120	(3 x 40)	533.53	4.40
16	चमेरा-III	231	(3 x 77)	1108.17	4.18
17	पारबती-III	520	(4 x 130)	1963.29	2.72
18	टीएलडीपी-III	132	(3 x 44)	594.07	5.57
19	टीएलडीपी-IV	160	(4x40)	720	4.35
20	किशनगंगा	330	(3x110)	1712.96	4.78
एसजेवीएनएल					
21	नाथपा झाकरी	1500	(250x6)	6612	2.406

क्र. सं.	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	यूनिटों की सं./ क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक डीई (एमयू)	समन्वित टैरिफ (जम्मू–कश्मीर के लिए जल कर सहित) (रूपये/ किलोवाट घण्टा)
22	रामपुर	412	(68.67x6)	1878.08	4.162
नीपको					
23	रंगानदी	405	(3x135)	1509.69	2.806
24	कोपीली स्टेज-I	200	(4x50)	1186.14	2.35
25	कोपीली स्टेज-II	25	(1x25)	86.30	2.86
26	खंदोंग	50	(2x25)	227.61	1.775
27	दोयांग	75	(3x25)	227.24	6.972
28	तुइरियल	60	(2x30)	250.63	5.098
29	पारे*	110	(2x55)	506.42	5.342
30	कामेंग*	600	(4x150)	3353	4
टीएचडीसी					
31	टिहरी	1000	(4x250)	2797	3.81
32	कोटेश्वर	400	(4x100)	1154.82	5.48
एनएचडीसी					
33	इन्दिरा सागर	1000	(8x125)	1442.7	3.71
34	ओंकारेश्वर	520	(8x65)	677.47	4.65
डीवीसी					
35	मैथन	63.20	(2x20,1x23.20)	137	3.12
36	पंचेट	80	(2x40)	237	1.67
37	तालिया	4	(2x2)	9.97	12.73
आईपीपी					
38	करचम वांगटू	1000	(4x250)	4559.77	2.726
एनटीपीसी					
39	कोलडम	800	(4x200)	3054.79	4.45

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आरई प्रोद्योगिकी के लिए जेनरिक टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2023–24) (रूपये / किलोवाट घण्टा)
लघु हाइड्रो पावर परियोजना	
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख। (5 मेगावाट से नीचे)	5.23
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख। (5मेगावाट से 25 मेगावाट)	4.76
अन्य राज्य (5 मेगावाट से नीचे)	5.84
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	5.76

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.70	5.52	8.22	0.11	8.10
हरियाणा	2.75	6.28	9.04	0.11	8.93
महाराष्ट्र	2.77	6.43	9.19	0.11	9.08
पंजाब	2.78	6.57	9.35	0.11	9.24
राजस्थान	2.69	5.49	8.18	0.11	8.07
तमिलनाडु	2.69	5.43	8.12	0.11	8.01
तेलंगाना	2.69	5.52	8.22	0.11	8.10
यूपी	2.70	5.62	8.32	0.11	8.21
अन्य	2.73	5.90	8.63	0.11	8.52

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2022–23)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
एयरकूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.84	5.65	8.49	0.12	8.36
हरियाणा	2.90	6.43	9.33	0.12	9.20
महाराष्ट्र	2.91	6.57	9.48	0.12	9.36
पंजाब	2.92	6.72	9.65	0.12	9.52
राजस्थान	2.84	5.61	8.45	0.12	8.32
तमिलनाडु	2.83	5.55	8.39	0.12	8.26
तेलंगाना	2.84	5.65	8.49	0.12	8.36
यूपी	2.85	5.74	8.59	0.12	8.47
अन्य	2.87	6.04	8.91	0.12	8.79

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
वाटरकूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.80	5.52	8.32	0.12	8.20
हरियाणा	2.86	6.28	9.14	0.12	9.02
महाराष्ट्र	2.87	6.43	9.30	0.12	9.17
पंजाब	2.88	6.57	9.45	0.12	9.33
राजस्थान	2.80	5.49	8.28	0.12	8.16
तमिलनाडु	2.79	5.43	8.22	0.12	8.10
तेलंगाना	2.80	5.52	8.32	0.12	8.20
यूपी	2.81	5.62	8.42	0.12	8.30
अन्य	2.83	5.90	8.73	0.12	8.61

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
एयरकूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.95	5.65	8.59	0.13	8.46
हरियाणा	3.00	6.43	9.43	0.13	9.30
महाराष्ट्र	3.02	6.57	9.59	0.13	9.46
पंजाब	3.03	6.72	9.75	0.13	9.62
राजस्थान	2.94	5.61	8.55	0.13	8.42
तमिलनाडु	2.94	5.55	8.49	0.13	8.36
तेलंगाना	2.94	5.65	8.59	0.13	8.45
यूपी	2.95	5.74	8.70	0.13	8.56
अन्य	2.98	6.04	9.02	0.13	8.88

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
वाटरकूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.69	5.42	8.11	0.11	8.00
हरियाणा	2.75	6.17	8.92	0.11	8.81
महाराष्ट्र	2.76	6.31	9.07	0.11	8.96
पंजाब	2.77	6.45	9.22	0.11	9.11
राजस्थान	2.69	5.39	8.07	0.11	7.96
तमिलनाडु	2.68	5.33	8.02	0.11	7.90
तेलंगाना	2.69	5.42	8.11	0.11	8.00
यूपी	2.70	5.52	8.21	0.11	8.10
अन्य	2.72	5.80	8.52	0.11	8.40

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
एयरकूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.83	5.54	8.38	0.12	8.25
हरियाणा	2.89	6.31	9.20	0.12	9.08
महाराष्ट्र	2.90	6.45	9.36	0.12	9.24
पंजाब	2.91	6.60	9.52	0.12	9.39
राजस्थान	2.83	5.51	8.34	0.12	8.22
तमिलनाडु	2.83	5.45	8.28	0.12	8.16
तेलंगाना	2.83	5.54	8.38	0.12	8.25
यूपी	2.84	5.64	8.48	0.12	8.36
अन्य	2.86	5.93	8.79	0.12	8.67

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
वाटरकूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.79	5.42	8.21	0.12	8.09
हरियाणा	2.85	6.17	9.02	0.12	8.90
महाराष्ट्र	2.86	6.31	9.17	0.12	9.05
पंजाब	2.87	6.45	9.33	0.12	9.20
राजस्थान	2.79	5.39	8.18	0.12	8.05
तमिलनाडु	2.79	5.33	8.12	0.12	8.00
तेलंगाना	2.79	5.42	8.21	0.12	8.09
यूपी	2.79	5.52	8.32	0.12	8.19
अन्य	2.82	5.80	8.62	0.12	8.50

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
एयरकूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आंध्र प्रदेश	2.94	5.54	8.48	0.13	8.35
हरियाणा	3.00	6.31	9.31	0.13	9.18
महाराष्ट्र	3.01	6.45	9.46	0.13	9.33
पंजाब	3.02	6.60	9.62	0.13	9.49
राजस्थान	2.94	5.51	8.45	0.13	8.31
तमिलनाडु	2.93	5.45	8.39	0.13	8.25
तेलंगाना	2.94	5.54	8.48	0.13	8.35
यूपी	2.95	5.64	8.59	0.13	8.45
अन्य	2.97	5.93	8.90	0.13	8.76

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)	(रू / कि.वा.घं)
बायो गैस आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आंध्र प्रदेश	2.98	3.62	6.60	0.16	6.43
हरियाणा	2.69	5.15	7.84	0.14	7.70
महाराष्ट्र	2.41	5.07	7.49	0.12	7.36
पंजाब	2.64	4.53	7.17	0.14	7.03
तमिलनाडु	2.32	3.90	6.22	0.12	6.10
तेलंगाना	2.57	3.62	6.19	0.14	6.05
यूपी	3.01	4.04	7.05	0.16	6.88
अन्य	2.63	4.38	7.01	0.14	6.87

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	नियत लागत (वित्तीय वर्ष 2023–24)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)	(रू/कि.वा.घं)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आंध्र प्रदेश	2.66	5.09	7.75	0.08	7.67
हरियाणा	2.71	5.80	8.51	0.08	8.43
महाराष्ट्र	2.72	5.93	8.65	0.08	8.57
पंजाब	2.73	6.06	8.80	0.08	8.71
राजस्थान	6.65	5.06	11.71	0.08	11.63
तमिलनाडु	2.65	5.01	7.66	0.08	7.58
तेलंगाना	2.66	5.09	7.75	0.08	7.67
यूपी	2.67	5.18	7.85	0.08	7.76
अन्य	2.69	5.45	8.13	0.08	8.05
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.40	5.34	8.75	0.16	8.59

अनुबंध X

2023.24 के दौरान केविविआ के अध्यक्ष/सदस्य एवं अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा का ब्योरा

अधिकारी का नाम व पदनाम	विदेश यात्रा की अवधि (यात्रा समय छोड़कर)	यात्रा का स्थान	केविविआ अथवा अन्य किसी संस्थान द्वारा वहन किया गया व्यय
श्री जिश्नु बरुआ, अध्यक्ष	03.07.2023 से 06.07.2023	लंदन	केविविआ
श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी सचिव	यथोक्त	लंदन	केविविआ
डॉ. एस.के. चटर्जी, प्रमुख (आरए)	यथोक्त	लंदन	केविविआ
श्री जिश्नु बरुआ, अध्यक्ष	05.08.2023 से 06.08.2023 तक	मालदीव	केविविआ
श्री जिश्नु बरुआ, अध्यक्ष	24.09.2023 से 30.09.2023	मालदीव	केविविआ
श्री आई एस झा, सदस्य	28.10.2023 से 04.11.2023	सराजेव, बोसनिया और हर्जेगोविना	केविविआ
श्री आई एस झा, सदस्य	28.10.2023 से 04.11.2023	यूएसए	केविविआ
श्री प्रवास कुमार सिंह, सदस्य	यथोक्त	यूएसए	केविविआ
श्री अरुण गोयल, सदस्य	16.11.2023 से 17.11.2023	चीन	केविविआ

श्री अरुण गोयल, सदस्य	07.02.2024 से 09.02.2024	थाईलैंड	केविविआ
श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रमुख (इंजीनियरिंग)	12.02.2024 से 23.02.2024	ऑस्ट्रेलिया	आयोजक
श्री जिश्नु बरुआ, अध्यक्ष	01.03.2024 से 02.03.2024	श्री लंका	केविविआ एवं साफिर
श्री प्रवास कुमार सिंह, सदस्य	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी सचिव	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
श्रीमती शिल्पा अग्रवाल, संयुक्त प्रमुख (इंजीनियरिंग)	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
श्रीमती रश्मि एस नायर, उप प्रमुख (आरए)	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
श्री अरुण गोयल, सदस्य	09.03.2024 से 14.03.2024	लंदन	केविविआ

अनुबंध XI

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान केविविआ में अधिकारियों द्वारा किए गए देशीय दौरों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	उद्देश्य	स्थान
1	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	स्थानीय और परियोजना का दौरा, टिहरी बांध आदि।	टिहरी
2	डॉ. सुशांत कुमार चटर्जी	प्रमुख (आरए)	18 अप्रैल, 2023 को 85वीं एफओआर की बैठक में भाग लेना।	धर्मशाला
3	श्री अरुण गोयल	सदस्य	टिहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स का दौरा।	टिहरी
4	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	ऊर्जा भंडारण के लिए संसाधन पर्याप्तता और विनियामक फ्रेमवर्क पर विनियामक फोरम (एफओआर) कार्य समूह की बैठक।	वाराणसी
5	श्री प्रवास कुमार सिंह	सदस्य	विनियामक फोरम की 86वीं बैठक	कोयंबटूर
6	श्रीमती रश्मि एस. नायर	उप प्रमुख (आरए)	26–27ध्06ध्2023 को विनियामक फोरम की 86वीं बैठक	हैदराबाद
7	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	मुख्य सचिव कार्यालय, लोक भवन, प्रथम तल, लखनऊ में 11.07.2023 को अपराह्न 12.00 बजे यूपीईआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन हेतु चयन समिति की बैठक	लखनऊ
8	श्री आई. एस. झा	सदस्य	धर्मशाला में विनियामक फोरम (एफओआर) की 85वीं बैठक	धर्मशाला

क्र.सं.	नाम	पदनाम	उद्देश्य	स्थान
9	श्री अरुण गोयल	सदस्य	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी, मसूरी में 27 जुलाई, 2023 को 'लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विनियमों' पर 27 जुलाई, 2023 को 'टैरिफ निर्धारण और विनियम' पर एक सत्र आयोजित करना।	मसूरी
10	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	अगरतला (त्रिपुरा) में विनियामक फोरम की 87वीं बैठक	अगरतला
11	डॉ. एस.के. चटर्जी	प्रमुख (आरए)	आगरा, उत्तर प्रदेश में 1–2 अगस्त, 2023 के दौरान अनुसूचित "क्रॉस–सेक्टोरल सहयोगः विनियामक सुशासन के लिए अनिवार्यता" विषय पर आईएलसीए के समन्वय से एफओआईआर द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भाग लेना।	आगरा
12	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	07.09.2023 (गुरुवार) – दोपहर 2.00 बजे – एपीडीसीएल के अध्यक्ष/एमडी आदि के साथ बिजुली भवन, गुवाहाटी में बैठक।	गुवाहाटी
13	श्रीमती रश्मि एस. नायर	उप प्रमुख (आरए)	तैयारियों की देखरेख करने और 12–13 अक्तूबर, 2023 को 88वीं विनियामक फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए मसूरी (उत्तराखंड) जाना।	मसूरी
14	श्रीमती शिल्पा अग्रवाल	संयुक्त प्रमुख (इंजीनियरिंग)	मसूरी में 13.10.2023 को विनियामक फोरम की बैठक में भाग लेना।	मसूरी
15	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम का डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट (डीयूएम 2023) और प्रदर्शनी उद्घाटन में विशेष उद्घाटन भाषण	कोच्चि
16	डॉ. सुशांत कुमार चटर्जी	प्रमुख (आरए)	मॉडल स्टाफ विनियम तैयार करने के लिए ''विनियामक फोरम'' कार्य समूह की बैठक में भाग लेना।	गुवाहाटी
17	श्री सचिन कुमार	सहायक सचिव (का.एवंप्रशा.)	मॉडल स्टाफ विनियम तैयार करने के लिए ''विनियामक फोरम'' कार्य समूह की बैठक में भाग लेना।	गुवाहाटी

क्र.सं.	नाम	पदनाम	उद्देश्य	स्थान
18	श्री हरप्रीत सिंह प्रुथी	सचिव	एनएचपीसी विनियामक बैठक, सलाल, कटरा (जम्मू–कश्मीर) में भाग लेना।	जम्मू–कटरा
19	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य (तकनीकी) के चयन हेतु चयन समिति की बैठक।	देहरादून
20	श्री विरेन्द्र सिंह राणा	उप प्रमुख (इंजीनियरिंग)	बीबीएमबी भाखड़ा–नांगल विद्युत परियोजना का दौरा करना।	चंडीगढ़
21	श्रीमती रश्मि एस. नायर	उप प्रमुख (आरए)	तैयारियों की निगरानी करना और "आरई संबंधित नीति और विनियामक मामलों" पर विनियामक फोरम कार्य समूह की तीसरी बैठक में भाग लेना	मंगलौर
22	श्री प्रवास कुमार सिंह	सदस्य	कोणार्क, ओडिशा में विनियामक फोरम की 89वीं बैठक में भाग लेना।	भुवनेश्वर
23	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	उप प्रमुख (विधि)	20.11.2023 से 24.11.2023 तक गोवा में ''विनियामक सुशासन : वीयूसीए लैंडस्केप में संतुलन अनुपालन एवं नवोन्मेष पर एफओआईआर क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेना।	गोवा
24	डॉ. सुशांत कुमार चटर्जी	प्रमुख (आरए)	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लि. (आईपीसीएल), कलकत्ता में व्याखान देना।	कोलकाता
25	श्रीमती शिल्पा अग्रवाल	संयुक्त प्रमुख (इंजीनियरिंग)	1, 2 मार्च, 2024 को श्रीलंका के कलुतारा में सभी एससीएम/ईसीएम सदस्य के लिए ''ऊर्जा अवसंरचना में क्रॉस बार्डर सहयोग'' पर साफिर की वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना।	बेंगलुरु
26	श्री जिश्नु बरुआ	अध्यक्ष	विशाखापत्तनम में एनटीपीसी के सिम्हादरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एसटीपीएस) का दौरा करना।	विशाखापत्तनम
27	श्री एल. खुपजंगमलुंकिम	सहायक प्रमुख (इंजीनियरिंग)	21.11.2023 से 23.11.2023 तक गोवा में ''विनियामक सुशासन : वीयूसीए लैंडस्केप में संतुलन अनुपालन एवं नवोन्मेष'' पर तीन दिवसीय निर्माण कार्यक्रम में भाग लेना।	गोवा

अनुबंध XII

DGA(E)/Rep/01-148/A/B-CERC/2024-25/322

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 23.10.2024

To,
The Chairperson,
Central Electricity Regulatory Commission,
6^{th}-8^{th} Floor, Tower-B, World Trade Centre,
Nauroji Nagar,
New Delhi - 110029

Subject: Management letter- Deficiencies noticed in accounting records

IFA

Sir,

We have audited the annual accounts of the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) for the year 2023-24 and have issued the Separate Audit Report thereon vide letter dated 23.10.2024. During the course of audit, the following deficiencies were noticed which were relatively of a minor nature and were therefore, not included in the Separate Audit Report. These are being brought to your notice for taking corrective and remedial action: -

1. Security deposits pending even after completion of the contracts with respective parties may be reviewed, and suitable accounting treatment as per terms of the contracts may be ensured, as necessary. **(DSAR 1.1)**
2. Mobile phones/ other assets given to CERC officers for official use may be included in Fixed Assets and depreciation thereon may be charged suitably. **(DSAR 2.1)**
3. An accounting policy for the treatment of assets having value less than Rs. 5000 may be formed. **(DSAR 3.5.i)**

376/chmn
25/10/24

Yours faithfully,

(Guljari Lal)
Director General of Audit (Energy)

Received on 25/10/2024

पांचवा, छठा, सातवाँ, एवं दसवां तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel. 011-23239213, 23239235, Fax: 011-23239211, Email: pdaenergydl@cag.gov.in

CERC

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated:

To,

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Power,
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi – 110001

Subject: Separate Audit Report on the Annual Accounts of Central Electricity Regulatory Commission for the year 2023-24.

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the Annual Accounts of Central Electricity Regulatory Commission for the year 2023-24 along with the Annual Accounts for the year 2023-24.

The Separate Audit Report and Annual Accounts may kindly be laid on the table of both Houses of Parliament.

Two copies of the document as presented to both the Houses of Parliament may kindly be forwarded to this office with an intimation regarding the date(s) on which these are laid on table of both the Houses of the Parliament.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(Guljari Lal)
Director General of Audit (Energy)

पांचवा, छठा, सातवाँ, एवं दसवां तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel. 011-23239213, 23239235, Fax: 011-23239211, Email: pdaenergydl@cag.gov.in

पत्रां.: DGA(E)/Rep/01-148/Aes-CERC/2024-25/320 Dated: 23.10.2024

Copy forwarded to:

1. The Chairperson, Central Electricity Regulatory Commission, 6th-8th floor, Tower-B, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029 alongwith Management Letter for necessary action.
2. Office of the Comptroller & Auditor General of India (CA-III Wing), New Delhi with reference to Hqrs. Office email dated 18.10.2024.
   The Facts and figures mentioned in the Separate Audit Report have been re-checked.

Encl: As above.

(Guljari Lal)
Director General of Audit (Energy)

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2024 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी केविविआ के प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है।

2. इन पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर पद्धतियों के अनुरूप लेखांकन मानक तथा प्रकटन मानकों आदि के बारे में केवल लेखांकन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों (प्रोप्राइटी तथा नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा दक्षता एवं कार्यनिष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि हम इस बात के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तथा कार्यनिष्पादन करें कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण नहीं हो। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशि के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन सम्मिलित होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि:–

(i) हमने वह सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 की उपधारा (झ) के अधीन सरकारा द्वारा अनुमोदित प्रारूप में नहीं बनाए गए हैंय

(iii) हमारी राय में, लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(1) के अंतर्गत यथापेक्षित (वर्ष 2003 तथा 2007 के संशोधन सहित) केविविआ द्वारा रख–रखाव किया गया है ऐसा बहियों का हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते है:

क. लेखाओं पर टिप्पणियाँ:

1. सामान्य

1.1 आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर नोट (अनुसूची–23)

चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम (नोट–5)

केविविआ ने राजस्व की वसूली के लिए अनिश्चितता के कारण स्थगित किए गए राजस्व के संबंध में रु. 38.84 लाख की राशि को दर्शाया है।

हालांकि, दो इकाइयों (वर्ष 2019–20 से वर्ष 2022–23 की अवधि के लिए) से वसूलीयोग्य शुल्क परंतु मान्यता प्राप्त नहीं की रु. 163 लाख की राशि को उसकी वसूली के लिए अनिश्चितता के कारण उपर्युक्त अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और न ही कहीं दर्शाया गया है। इसलिए, उस राशि तक प्रकटन में कमी है।

वर्ष 2022–23 के लिए लेखाओं की संपरीक्षा के दौरान समान मुद्दा उठाया गया था। तथापि, कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. सहायता अनुदान

केविविआ से रिलीज किए गए रु. 17,000 लाख के अनुदान में से, केविविआ ने वर्ष 2023–24 के दौरान रु. 12,025.09 लाख (रु.7,236.18 लाख का राजस्व अनुदान और रु. 4,788.91 लाख का पूंजीगत अनुदान) का उपयोग किया जिससे 31 मार्च, 2024 को रु. 4,974.91 लाख की अव्ययित राशि का शेष बचा।

ग. प्रबंधन पत्रः

उन कमियों को, जिन्हें पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया, उन्हें उपचारात्मक / सुधार कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केविविआ की जानकारी में लाया जाएगा।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में विचारणीय तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां एवं भुगतान लेखाए खाता बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त मामलों और इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में उल्लिखित अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

क) जहां तक तुलन–पत्र का संबंध है, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार हैय और

ख) जहां तक आय तथा व्यय लेखा में व्यय से अधिक आय का संबंध है, यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./–

(गुलजारी लाल)

लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक (ऊर्जा)

स्थानः नई दिल्ली

तारीखः 23.10.2024

अनुबंध–I

{पैरा 4(vi) में संदर्भित}

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा अभी की जानी है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, एबी के आकार के अनुरूप है। तथापि, कुछ कमियां देखी गईं थी और उनपर समुचित रूप से टिप्पणी की गई है।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2023–24 के लिए अचल आस्तियों और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है। केविविआ ने जीएफआर (फॉर्म सं.22) के अनुसार अपना अचल आस्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया है।
4.	इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, केविविआ को आयकर से छूट प्राप्त है।
5.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	केविविआ के डीम्ड न्यायिक कृत्यों के अनुसरण में प्राप्तियों के अलावा, प्राप्तियों पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में वित्त मंत्रालय से प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, केविविआ के विनियामक कृत्यों के शुल्कों/प्राप्तियों पर जीएसटी लागू है। हालांकि, इस संबंध में बिना कोई छूट प्राप्त किए, केविविआ ने उसके द्वारा संगृहीत शुल्क/प्राप्तियों पर वर्ष 2018–19 से 2023–24 के लिए रु. 6,441.75 लाख की जीएसटी राशि के कारण संगृहीत देयता का न तो संग्रहण किया और न ही भुगतान किया। केविविआ ने डीजीजीआई से प्राप्त शो–कॉस नोटिस को चुनौती देते हुए 02 जुलाई 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की। वर्तमान में, मामला न्यायालयीन विचाराधीन है।
6.	लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण जोखिम	किसी महत्वपूर्ण जोखिम का बोध नहीं हुआ
7.	वर्ष के दौरान नगदी या चोरी, दुर्विनियोजन, धोखा, गबन इत्यादि के कारण सरकारी संपत्ति की हानि के विवरण	प्रबंधन ने सत्यापित किया कि वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नोटिस/रिपोर्ट नहीं किया गया।

हस्ता./–

लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक (ऊर्जा)

अनुबंध XIII

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजी निधि	1	**32,630.61**	27,882.71
केविविआ निधि	2	**73,233.77**	66,813.22
अन्य निधियां			
1 भविष्य निधियाँ		-	-
2 अन्य		-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां		-	-
सुरक्षित ऋण और उधार			
1 सरकार से		-	-
2 अन्यों से		-	-
असुर्राक्षत ऋण और उधार		-	-
आस्थगित ऋण देयताएं		-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3	**65,513.19**	74,275.35
कुल		**171,377.57**	**168,971.28**
आस्तियां			
नियत आस्तियां	4 , 4A	**234.70**	266.82
निवेश- केविविआ की निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से			-
पूंजीगत कार्य-प्रगति	5	-	-
अग्रिम	6	**0.19**	-
जमा – प्रतिभूति जमा	7	**507.50**	507.62
ऋण तथा अग्रिम	8	**32,446.82**	27,663.64
विविध देनदार	9	**6.71**	2.05
कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी को किया गया भुगतान		-	-
नकद तथा बैंक शेष	10	**68,613.06**	78,741.41
अन्य चालू आस्तियां	11	**69,568.59**	61,789.74
कुल		**171,377.57**	**168,971.28**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22		
आकास्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	23		

तारीख :

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. /–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
आय			
विद्युत मंत्रालय से अनुदान	12	**7,197.10**	6,412.38
बिक्री/सेवाएं		-	-
संगोष्ठियाँ एवं सम्मेलन		-	-
परामर्श		-	-
फीस	13	-	-
निवेश (निर्धारित/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर आय का निधियों को अंतरण)		-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन, इत्यादि			
1. रॉयल्टी		-	-
2 प्रकाशन		-	-
ब्याज आय	14	-	-
अन्य आय	15	-	0.75
पूर्व अवधि मदें (निवल)	16	-	-
आस्थागित आय			
(सहायता अनुदान से अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण)			
1. चालू वर्ष	4	**102.44**	96.85
2 पूर्ववर्ती वर्ष समायोजन - अनुसूची-4क		-	111.95
तैयार माल और अर्धनिर्मित उत्पादन के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)		-	-
कुल (क)		**7,299.54**	**6,621.93**
व्यय			
स्थापना खर्चे	17	**1,795.88**	1,647.51
व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं का भुगतान		**551.82**	558.08
यात्रा खर्चे	18	**107.02**	35.45
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	19	**4,138.99**	3,812.06
स्टेशनरी तथा मुद्रण		**34.70**	28.58
प्रकाशन		**18.97**	11.11
विविध और अन्य व्यय		**1.07**	2.04
मरम्मत तथा रखरखाव	20	**113.81**	63.55
पेट्रोल तथा स्नेहक		**33.01**	27.16
आतिथ्य खर्चे		**62.73**	16.35
लेखा-परीक्षा फीस		**6.14**	27.14
विधिक प्रभार		-	-
भविष्य निधि एवं अन्य अंशदान	21	**330.77**	291.29
जीपीएफ/सीपीएफ पर ब्याज		-	-
समूह बीमा योजना		-	-
मूल्यहास	4	**102.44**	96.85
पूर्व अवधि व्यय	16	**2.19**	4.76
नियत आस्तियों की बिक्री से हानि		-	-
अशोध्य ऋण की वापसी		-	-
कुल (ख)		**7,299.54**	**6,621.93**
व्यय पर आय की अधिकता का सीईआरसी निधि खाते में अंतरण		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	23		

तारीख :

तारीख :
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. / –
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. / –
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 1 - पूंजी निधि:			चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
क **पूंजी रिजर्व – अनुदान सहायता से सृजित आस्तियां**			**266.82**	86.65
	चालू वर्ष	**पूर्ववर्ती वर्ष**		
घटाएं : अचल आस्तियों पर वर्ष के लिए अवक्षयण के कारण आस्थागित आय (सहायता अनुदान से अर्जित)	(102.44)	(208.80)		
जोड़ें: सहायता अनुदान से निधिक आस्तियों का संवर्धन (निवल)	70.32	388.97		
			(32.12)	180.17
कुल (क)			**234.70**	**266.82**
ख **पूंजी निर्माण - सहायता अनुदान में से निर्मित आस्तियाँ**				
वर्ष के आरंभ में शेष			**27,615.89**	6,700.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए सहायता अनुदान	**चालू वर्ष**	**पूर्ववर्ती वर्ष**		
पूर्ववर्ती वर्ष से आगे लाए गए अव्ययित अनुदान	4,721.52	-		
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजीगत अनुदान	2,578.48	5,500.00		
वर्ष के दौरान मंजूर किए गए पूंजीगत अनुदान की कुल राशि	**7,300.00**	**5,500.00**		
उपचित आधार पर समायोज्य पूंजीगत व्यय	(8.90)	8.90		
अगले वित्तीय वर्ष को ले जाए गए अव्ययित पूंजीगत अनुदान - नगद आधार	(2,511.08)	(4,721.52)	**4,780.02**	787.38
जोड़ें: पूर्ववर्ती वर्ष का सहायता अनुदान समायोजन	-	20128.51	**-**	20,128.51
कुल (ख)			**32,395.91**	**27,615.89**
कुल योग (क + ख)			**32,630.61**	**27,882.71**

तारीख :
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. / –
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. / –
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 2-केविविआ निधि:		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
वर्ष के प्रारंभ में शेष				**66,813.22**	77,526.78
घटाएं:	पूर्ववर्ती वर्ष में रिलीज़ राशि का राजस्व अव्यायित शेष	(1,431.28)	-		
	पूर्ववर्ती वर्ष में रिलीज़ राशि का पूंजीगत अव्यायित शेष	(4,721.52)	-		
	वर्तमान अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज़ राजस्व अनुदान	(8,268.72)	(8,000.00)		
	वर्तमान अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज़ पूंजीगत अनुदान	(2,578.48)	(5,500.00)	**(17,000.00)**	(13,500.00)
				49,813.22	64,026.78
जोड़ें:	**प्रत्यक्ष आय :**				
	फाइलिंग फीस/टैरिफ फीस	11,183.42	10,180.51		
	अनुज्ञप्ति फीस	6,688.08	6,241.86		
	वार्षिक पंजीकरण फीस	80.00	94.31		
	विविध फीस	37.76	17.32	**17,989.26**	16,534.00
	अप्रत्यक्ष आय :				
	अर्जित ब्याज	471.08	467.53		
	अन्य आय	1.80	-	**472.88**	467.53
घटाएं:	अनुदान सहायता से निधिक आस्तियों का मूल्य			**(72.30)**	(20,519.49)
जोड़ें:	अपीलेंट द्वारा लगाई गई लागत			**4.85**	1.15
जोड़ें:	अविवादित जुर्माना			**1.00**	1.00
जोड़ें:	अव्यायित राजस्व अनुदान - अगले वित्त वर्ष में ले जाया गया नगद आधार			**2,463.83**	1,431.28
जोड़ें:	अव्यायित पूंजीगत अनुदान - अगले वित्त वर्ष में ले जाया गया नगद आधार			**2,511.08**	4,721.52
जोड़ें:	केविविआ निधि के प्रति समायोज्य राजस्व व्यय (उपचय आधार)			**39.07**	156.34
जोड़ें:	केविविआ निधि के प्रति समायोज्य पूंजीगत व्यय (उपचय आधार)			**8.90**	(8.90)
जोड़ें:	आय का व्यय से आधिक्य			**-**	-
जोड़ें:	अनुदान सहायता से निधिक आस्तियों के निपटान का अवशिष्ट मूल्य			**1.98**	2.01
कुल				**73,233.77**	**66,813.22**

तारीख :
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. / –
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. / –
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची – 3 : चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
क. **चालू देयताएं**		
1. विविध ऋणदाता	**248.82**	180.01
2. प्रतिदेय वेतन	**133.03**	130.15
3. स्टाफ को देय अन्य राशि		
3.1 बाल शिक्षा भत्ता देय	**10.45**	10.80
3.2 चिकित्सा खर्च देय	**6.25**	6.93
3.3 प्रतिदेय एलटीसी	**0.15**	1.05
4. प्राप्त अग्रिम (फाइलिंग/टैरिफ फीस)		
4.1 लौटाने योग्य/समायोज्य फीस	**88.72**	88.72
4.2 अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेजों के बिना प्राप्त फीस	**279.75**	298.78
4.3 व्यापार अनुज्ञप्ति फीस - विव 24-25	**6.00**	-
4.4 पारेषण टैरिफ फीस - विव 23-24	**-**	50.32
4.5 उत्पादन टैरिफ शुल्क - वित्त वर्ष- 23-24	**-**	46.75
4.6 व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क - वित्त वर्ष 23-24	**-**	6.00
5. भविष्य निधि तथा अन्य अंशदान :		
5.1 सीपीएफ समरूप अंशदान	**-**	0.06
5.2 जीपीएफ समरूप अंशदान	**0.09**	0.09
5.3 ईपीएफ समरूप अंशदान	**11.00**	10.93
5.4 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान	**20.14**	15.91
5.5 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान	**29.92**	28.84
5.6 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी अंशदान भुगतान	**6.60**	4.93
5.7 ग्रुप बचत संबद्ध बीमा/एलआईसी	**0.01**	0.01
5.8 एनपीएस समरूप अंशदान	**2.05**	1.73
5.9 ईपीएफ विप्रेषण (कर्मचारी) प्रतिदेय	**0.32**	-
5.10 ईपीएफ विप्रेषण (समरूप) प्रतिदेय	**0.34**	-
6. अन्य चालू देयताएं		
6.1 जुर्माना	**722.56**	678.14
6.2 प्रतिभूति जमा	**53.02**	75.71
6.3 अन्य वसूलियां	**-**	-
6.4 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	**-**	-
6.5 आयकर अधिनियम के अनुसार टीडीएस	**12.74**	25.29
6.6 जीएसटी अधिनियम के अनुसार टीडीएस	**2.92**	7.85
कुल (क)	**1,634.88**	**1,669.00**
7. प्रावधान		
7.1 छुट्टी नकदीकरण	**288.23**	297.12
7.2 ग्रेच्युटी	**294.53**	292.67
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
8.1 देय लेखा परीक्षा शुल्क	**25.39**	34.31
8.2 अन्य	**2.47**	3.07
कुल (ख)	**610.62**	**627.17**
9. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आवर्ती जमा (ग)	**63,267.69**	71,979.18
कुल योग (क+ख+ग)	**65,513.19**	**74,275.35**

तारीख :
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–	हस्ता./–
(राकेश आर्य)	(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार	सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास						निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	समायोजन (अन्यों से अंतरण - अनुसूची 4क)	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	समायोजन (अन्यों से अंतरण - अनुसूची 4क)	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष को दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां :													
लकड़ी का पार्टीशन एवं नवीकरण	**297.94**				**297.94**	**277.82**		2.39	-	-	**280.21**	**17.73**	20.12
फर्नीचर और फिटिंग्स	**435.66**				**435.66**	**390.20**		8.55			**398.75**	**36.91**	45.46
मशीनरी और उपकरण	**347.46**		0.79	0.03	**348.22**	**314.94**		8.50	0.14	0.03	**323.55**	**24.67**	32.52
विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	**83.35**				**83.35**	**70.04**		3.35			**73.39**	**9.96**	13.31
कंप्यूटर / बाह्य उपकरण	**360.73**		48.16	11.20	**397.69**	**274.35**		47.04	9.39	9.22	**321.56**	**76.13**	86.38
पुस्तकालय पुस्तकें	**5.68**				**5.68**	**5.68**		-			**5.68**	-	-
ख. अमूर्त आस्तियां :													
सॉफ्टवेयर	**126.33**		23.35		**149.68**	**57.30**		22.39	0.69		**80.38**	**69.30**	69.03
कुल	**1,657.15**	**-**	**72.30**	**11.23**	**1,718.22**	**1,390.33**	**-**	**92.22**	**10.22**	**9.25**	**1,483.52**	**234.70**	**266.82**
कुल योग	**1,657.15**	**-**	**72.30**	**11.23**	**1,718.22**	**1,390.33**	**-**	**92.22**	**10.22**	**9.25**	**1,483.52**	**234.70**	**266.82**
पूर्ववर्ती वर्ष	**1,282.10**	**263.31**	**127.67**	**15.93**	**1,657.15**	**1,195.45**	**111.95**	**73.74**	**23.11**	**13.92**	**1,390.33**	**266.82**	**86.65**

तारीख :
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास					निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष को दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां :											
फर्नीचर और फिटिंग्स	-		-	-	-			-	-	-	-
मशीनरी और उपकरण	-		-	-	-			-	-	-	-
विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	-		-	-	-			-	-	-	-
कंप्यूटर / बाह्य उपकरण	-		-	-	-			-	-	-	-
ख. अमूर्त आस्तियां :											
सॉफ्टवेयर	-		-	-	-			-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्ववर्ती वर्ष	263.31	-	263.31	-	111.95	-	-	111.95	-	-	151.36

तारीख :
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. /–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास					निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष को दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति तक कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां :											
निर्माणाधीन भूमि एवं भवन	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ख. अमूर्त आस्तियां :											
निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्ववर्ती वर्ष	16.52	-	16.52	-	-	-	-	-	-	-	16.52

तारीख :
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. / –
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. / –
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 6 - अग्रिम		**चालू वर्ष 2023-24**	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1	उत्सव के लिए अग्रिम	-	-
2	अन्य अग्रिम		
	- छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	0.08	-
	- विदेश यात्रा अग्रिम	0.11	-
	- चिकित्सा अग्रिम	-	-
	कुल	**0.19**	**-**

(₹ लाख में)

अनुसूची 7 - जमा- प्रतिभूति जमा		**चालू वर्ष 2023-24**	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1	प्रतिभूते जमा - ब्रॉडबेंड	**0.02**	0.02
2	प्रतिभूते जमा - एमटीएनएल	**0.90**	0.90
3	प्रतिभूते जमा - एनडीएमसी	**500.88**	500.88
4	प्रतिभूते जमा - पेट्रोल और स्नेहक	**0.40**	0.40
5	प्रतिभूते जमा - कर्मचारियों के लिए पट्टा	**4.30**	4.42
6	प्रतिभूते जमा - सी-डैक	**1.00**	1.00
	कुल	**507.50**	**507.62**

(₹ लाख में)

अनुसूची 8 - ऋण तथा अग्रिम		**चालू वर्ष 2023-24**	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1	स्टाफ	**40.89**	43.39
2	**आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम**	**10.02**	4.36
3	अन्य		
	एनबीसीसी सर्विसेज़ लिमिटेड (एनएसएल)	**2,476.47**	787.38
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एनबीसीसी परियोजना)	**29,919.44**	26,828.51
	कुल	**32,446.82**	**27,663.64**

(₹ लाख में)

अनुसूची 9 - विविध देनदार		**चालू वर्ष 2023-24**	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
	प्राप्य शुल्क	**6.71**	2.05
	घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था		
	कुल	**6.71**	**2.05**

तारीख :
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. /–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 10 - नकद तथा बैंक शेष		चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
	अनुसूचित बैंक के साथ बैंक शेष		
	चालू खाते में		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**471.60**	371.26
	पंजाब नेशनल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	**4,560.97**	5,852.69
	बचत खाते में		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**4.85**	4.43
	बचत खाते में (आवर्ती जमा)		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	**62,860.61**	71,842.26
	दीर्घकालीक एफडीआर में		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**1.00**	-
	दीर्घकालिक एफडीआर में (मुकद्दमेबाजी के अधीन प्राप्त जुर्माने के लिए)		
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**714.03**	670.77
कुल		**68,613.06**	**78,741.41**

(₹ लाख में)

अनुसूची 11 - अन्य चालू आस्तियां		चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1	**चालू आस्तियां**		
	केविविआ निधि खाता (भारत का लोक खाता)	**69,069.25**	61,560.34
2	**नकद या वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम तथा अन्य राशियां या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए**		
	2.1 पूर्वदत्त खर्चे	**59.06**	56.95
	2.2 छुट्टी का वेतन तथा प्राप्य उपदान	**4.46**	9.14
3	**आय प्रोद्भूत परंतु देय नहीं**		
	3.1 उपचित ब्याज (ऑटोस्वीप पर)	**2.25**	0.87
	3.2 उपचित ब्याज (शास्ति के लिए एफडीआर पर)	**9.43**	8.27
	3.3 उपचित ब्याज (आवर्ती खाते के लिए ऑटोस्वीप पर)	**407.08**	136.92
	3.4 उपचित ब्याज (एफडीआर पर)	**0.01**	-
	3.5 उपचित ब्याज (स्टाफ अग्रिम पर)	**17.05**	17.25
4	**वस्तुसूची**	**-**	**-**
कुल		**69,568.59**	**61,789.74**

तारीख :
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची-12 विद्युत मंत्रालय से अनुदान	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
पूर्ववर्ती वर्ष से लाया गया अव्ययित अनुदान	1,431.28	-
चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज़	8,268.72	8,000.00
वर्ष के दौरान मंजूर किए गए अनुदान की कुल राशि (नगद आधार)	**9,700.00**	**8,000.00**
घटाएं: केविविआ निधि के प्रति समायोज्य व्यय (उपांचित आधार)	(39.07)	(156.34)
घटाए: केविविआ निधि को वापस अंतरित नगद आधार पर बचत/अव्ययित	(2,463.83)	(1,431.28)
कुल	**7,197.10**	**6,412.38**

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 13 - शुल्क से आय		चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1	फाइलिंग शुल्क/ टैरिफ शुल्क	-	-
2	अनुज्ञप्ति शुल्क	-	-
3	वार्षिक पंजीकरण शुल्क	-	-
4	विविध शुल्क	-	-
	कुल	-	-

(₹ लाख में)

अनुसूची 14 - ब्याज आय		चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1	ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज	-	-
2	बैंक में नकद पर ब्याज	-	-
	कुल	-	-

(₹ लाख में)

अनुसूची 15 - अन्य आय		चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1	घर में कंप्यूटर के प्रयोग के लिए वसूली	-	0.52
2	विनियम के कम्पेंडियम की बिक्री पर लाभ	-	-
3	आरटीआई शुल्क	-	-
4	विविध प्राप्तियां	-	-
5	अखबार/अवशिष्ट की बिक्री	-	0.23
	कुल	-	**0.75**

तारीख :
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. /–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 16 - अवधि पूर्व मदें		चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1	पिछले वर्षों में लगाए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास का वापस लिखा जाना	-	-
2	पूर्व अवधि व्यय	2.19	4.76
कुल		**2.19**	**4.76**

(₹ लाख में)

अनुसूची 17 - स्थापना व्यय			चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1		**वेतन एवं मजदूरी :**		
	1.1	कर्मचारी/अधिकारी के वेतन	**817.67**	781.28
	1.2	अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन	**188.71**	151.61
	1.3	भत्ते तथा बोनस	**586.71**	496.17
	1.4	मानदेय	**0.22**	-
2		**कर्मचारी कल्याण खर्च**		
	2.1	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं	**100.33**	99.26
	2.2	अन्य	**73.70**	70.96
3		**अन्य (विनिर्दिष्ट) :**		
	3.1	ट्यूशन फीस/बाल शिक्षा भत्ता	**10.45**	10.80
	3.2	छुट्टी यात्रा रियायत	**13.23**	25.38
	3.3	छुट्टी नकदीकरण	**4.86**	12.05
कुल			**1,795.88**	**1,647.51**

(₹ लाख में)

अनुसूची 18- यात्रा व्यय			चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1	**घरेलू यात्रा व्यय**			
		अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी	**42.95**	24.44
		स्टाफ	**0.19**	0.15
2	**विदेश यात्रा व्यय**			
		अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारी	**63.88**	10.86
		स्टाफ	-	-
कुल			**107.02**	**35.45**

तारीख :

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 19 - अन्य प्रशासनिक खर्चे		चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1	श्रम एवं प्रसंस्करण खर्चे	728.53	709.45
2	विद्युत एवं ऊर्जा	69.91	60.73
3	जल प्रभार	6.74	12.62
4	किराया दरें एवं कर	2,905.49	2,675.48
5	डाक व्यय एवं टेलिफोन प्रभार	28.07	25.94
6	वाहन	0.62	0.49
7	अभिदान खर्चे	129.41	102.75
8	विज्ञापन तथा प्रकाशन प्रभार	136.05	88.25
9	**अन्य (विनिर्दिष्ट):**		
9.1	पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	33.60	29.52
9.2	टैक्सी/पट्टे पर कार को किराए पर लेने संबंधी प्रभार	76.80	76.27
9.3	प्रशिक्षण खर्चे	0.97	2.04
9.4	यूनिफॉर्म व्यय	0.35	0.40
9.5	उपभोग्य वस्तुएं	20.26	23.17
9.6	बैंडविड्थ प्रभार	2.19	4.95
	कुल	**4,138.99**	**3,812.06**

(₹ लाख में)

अनुसूची 20 - मरम्मत एवं रखरखाव		चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1	कंप्यूटर	21.98	24.91
2	भवन	66.29	6.66
3	अन्य	3.05	4.32
4	यूपीएस	0.76	4.56
5	एयरकंडीशनर्स	21.73	23.10
	कुल	**113.81**	**63.55**

(₹ लाख में)

अनुसूची 21- भविष्य निधि और अन्य अंशदान		चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1.1	भविष्य निधि को अंशदान	154.86	141.49
	अन्य निधियों को अंशदान:		
2.1	ग्रेच्युटी अंशदान	9.70	5.28
2.2	पेंशन अंशदान	21.44	15.91
2.3	छुट्टी वेतन अंशदान	30.08	24.69
2.4	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	46.88	59.36
2.5	छुट्टी नगदीकरण के लिए प्रावधान	67.81	44.56
	कुल	**330.77**	**291.29**

तारीख :
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता. /–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता. /–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

लेखांकन कन्वेंशन

वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा कथित न किया जाए वह ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोदभवन नीति पर तैयार किए जाते हैं। लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की 36) की धारा 100 की उपधारा (1) के केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए केविविआ (वार्षिक लेखा विवरिणी के फार्म एवं रिकॉर्ड) नियमावली, 2007 के अंतर्गत तैयार किया गया है और लेखा को प्रति वर्ष सी एंड एजी द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता है। लेखों को लेखांकन सिद्धांतों एवं मानक अनुपालन में तैयार किया गया है।

जब तक अन्यथा कथित न हो, आयोग द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का उल्लेख नीचे किया गया हैः –

1. लेखांकन कन्वेंशन

जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मानकों और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, उपार्जन के आधार पर ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के अधीन तैयार किया जाता है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी (सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत) के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए केन्द्रीय आयोग को प्राक्कलन और पूर्वधारणा करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों में आस्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण सहित), आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। यद्यपि यह माना जाता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण और उचित हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच के अंतर को उस अवधि में, जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं, प्रासंगिक खाता शीर्ष में आय/व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

3. राजस्व मान्यता

(i) उचित निश्चितता वाले आय और व्यय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है। जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सभी अनुज्ञप्तिधारियों/याचिकाकर्ताओं से फीस को संबंधित विनियमों में निर्धारित ढंग से आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) समय–समय पर यथासंशोधित संबंधित विनियमों के अधीन विभिन्न अनुज्ञप्तिधारियों से प्राप्त राजस्व की गणना उपचय आधार पर की जाती है। राजस्व की वसूली के बारे में अनिश्चितता के मामले में जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में लंबित मामले शामिल हैं, राजस्व मान्यता को स्थगित कर दिया जाता है और

एएस–9 के पैरा 9 के अनुसार प्रकट किया जाता है।

(iii) सभी प्रकार की याचिकाओं को दाखिल करने की फीस को याचिका दायर करने पर आय के रूप में गणना की जाती है। अतिरिक्त फाइलिंग फीस या अतिरिक्त फाइलिंग के संग्रह की वापसी को देय या प्राप्य, यथास्थिति, के रूप में निर्धारित किया जाता है।

4. निवेश

दीर्घकालिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। तथापि, दीर्घकालिक निवेश की अग्रणीत राशि में अस्थायी के अलावा किसी भी गिरावट को पहचानने के लिए प्रावधान किया गया है।

5. केविविआ निधि के लिए लेखांकन व्यवहार

केविविआ निधि (निधि के अनुप्रयोग का गठन और ढंग) नियम, 2007 के अनुसार, केविविआ निधि खाता भारत के लोक लेखा (गैर–व्यपगत और गैर–ब्याज वाला खाता) में खोला गया है। केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस, अविवादित जुर्माना और अन्य रकमों को 'उपचय आधार' पर केविविआ निधि में जमा किया जाता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा में बनाए रखा गया) से रिलीज गई राशि को अनुदान सहायता के रूप में माना जाता है और आय एवं व्यय लेखा में उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। केविविआ का व्यय को केविविआ निधि में उपयुक्त व्यवहार के बाद विद्युत मंत्रालय से प्राप्त 'अनुदान सहायता' में से खर्च किया गया है।

6. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

(i) सरकारी अनुदान/सब्सिडी को उगाही आधार पर परिगणित किया जाता है।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 12 के अनुसार अनुदान सहायता में से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास आस्थगित आय के रूप में आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है और तदनुरूपी रकम की पूंजी निधि से कटौती की गई है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में निर्धारित संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख पर प्रचालित विनिमय दर को परिगणित किया जाता है। विदेशी विनियम लाभ या हानि यदि कोई है, तो उसे लेखा मानक– 11 के अनुसार वर्ष के आय एवं व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

8. पट्टा

पट्टा किराया पट्टा निबंधनों के प्रति निर्देश से व्ययित किए जाते हैं।

9. सेवा निवृत्ति फायदे

(i) कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता को लेखा मानक–15"कर्मचारी लाभ" के अनुसार बीमांकन मूल्य के आधार पर परिगणित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी वेतन एवं पेंशन/ग्रेच्युटी के लिए अंशदान को प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परिगणित किया जाता है।

(ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (आंतरिक और बाह्य चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2015 के अनुसार विनियमित किया जाता है और इसका लेखा–जोखा प्रोद्भवन आधार पर रखा जा रहा है।

10. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास

क. मूर्त आस्ति

अचल आस्तियों का उल्लेख उनकी मूल लागत घटा संचित मूल्यह्रास और हानि के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, पर किया गया है। लागत में अधिग्रहण और निर्माण/संस्थापना में किए गए व्यय और आस्तियों को इसके वांछित उपयोग के लिए कार्यशील अवस्था में लाने में अन्य संबंधित व्यय शामिल हैं। अचल आस्तियों का उल्लेख, आवक भाड़ा, शुल्कों और करों और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर किया गया है।

मूल्यह्रास को अवलिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) पर निम्नानुसार व्यवस्थित किया जाता है:

(i) केन्द्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्यह्रास नीति के अनुसार, अचल आस्तियों के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत का 5% या उससे कम माना जाता है और तदनुसार अचल आस्तियों को मूल लागत के 95% तक मूल्यह्रासित किया जाता है (दरों को पूर्णांकित किया गया है)।

(ii) पूंजीकृत होने की योग्यता के लिए आस्ति की न्यूनतम लागत रु. 5000/–(केवल पांच हजार रुपये) होगी।

(iii) वर्ष के दौरान किसी मौजूदा आस्ति में किसी वृद्धि या विस्तार को, जो कि पूंजीगत प्रकृति का है और जो मौजूदा आस्ति का एक अभिन्न अंग बन जाता है, उस आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

(iv) पूंजीगत प्रगतिधीन कार्य में अचल आस्तियों को प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए बकाया अग्रिम शामिल हैं जो अभी तक रिपोर्टिंग की तारीख पर उनके वांछित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

(v) पुस्तकालय की पुस्तकों को राजस्व व्यय के रूप में पहचाना जाता है और इन्हें आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है।

(vi) वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई आस्तियों को दिनों की उन वास्तविक संख्या के लिए 'प्रो–राटा आधार' पर मूल्यह्रासित किया जाता है जिसके लिए इन्हें उपयोग में लाया गया है।

आस्तियां	5% अवशिष्ट मूल्य के साथ आस्ति का प्रभावी जीवन
भवन, कार्यालय परिसर और आवासीय फ्लैट्स	29 वर्ष
कंप्यूटर/उपकरण, कॉपियर, संचार उपकरण (फैक्स, मॉडम, टैलिफोन, इत्यादि)	3 वर्ष
फर्नीचर और विद्युतीय फिटिंग (अर्थात् पंखे, लाइटें, एयर कंडीशनर)	10 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	5 वर्ष

ख. अमूर्त आस्तियाँ

सॉफ्टवेयर प्राप्त करने से संबंधित लागत को "अमूर्त आस्ति" के रूप में पूंजीकृत किया गया है। सॉफ्टवेयर की लागत को पांच वर्षों की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन, जो भी सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर कम हो, के भीतर परिशोधित किया जाता है।

(i) यदि सॉफ्टवेयर बाजार से एकमुश्त खरीदा जाता है, तो खरीद की लागत और आस्ति को वांछित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई भी लागत, पूंजीकृत की जाने वाली लागत हो सकती है। खरीद की तारीख वह तारीख होगी जिससे इसे परिशोधित करने की आवश्यकता होगी। या,

(ii) यदि सॉफ्टवेयर चरणबद्ध तरीके से बनाया जाता है, तो इसे ऐसी स्थिति में लाने के लिए प्रत्येक चरण में जो लागत का पता लगाया जा सकता है, वह वो लागत होगी जिसे पूंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। जिस विभाग के पास सभी उपयोगकर्ताओं की स्वीकृति के बाद पूर्वोक्त फेस के संबंध में, सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का दायित्व है, उससे "गो–लाईव" के प्रमाणपत्र की तारीख वह तारीख होगी जिससे उसे परिशोधित किया जाएगा। परिणामस्वरूप, इस प्रकार की परिस्थितियों में पूंजीकरण और परिशोधन प्रत्येक व्यक्तिगत फेस के लिए "गो–लाईव" की तारीख के अनुसार चरणबद्ध ढंग में किया जाएगा।

11. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कार्यालय स्थान अधिगृहीत करने के लिए अग्रिम – आवासन और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना

क. एनबीसीसी परियोजना के लिए अग्रिमः– केविविआ ने कार्यालय स्थान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में फ्री होल्ड आधार पर 54, 494 स्कवेयर फीट के कार्पेट एरिया (74, 788 स्कवेयर फीट सुपर बिल्ड–अप एरिया) का कार्यालय स्थान अर्जित करने के लिए आवासन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (कार्यान्वयन एजेंसी– एनबीसीसी के माध्यम से) द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया में सहभागिता की। वर्तमान में परियोजना निर्माणाधीन है। अतः एनबीसीसी परियोजना से संबंधित व्यय को अनुसूची–8 में "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अग्रिम" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

ख. इंटीरियर कार्य हेतु एनएसएल के लिए अग्रिमः– वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में निर्माणाधीन कार्यालय परिसर के इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कार्य एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) को सौंपा गया है। अतः इंटीरियर कार्य से संबंधित व्यय को अनुसूची–8 में "एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) को अग्रिम" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

12. कराधान

क. **आयकर के लिए प्रावधान:** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23)(खखछ) के अधीन आय और संपत्ति पर कर से छूट को ध्यान में रखते हुए, लेखा में आयकर/संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. **जीएसटी के अधीन टीडीएस तंत्र:** जीएसटी व्यवस्था के अधीन, सीजीएसटी अधिनियम, 2017की धारा 51'स्रोत पर कर कटौती' के लिए प्राधिकार और प्रक्रिया निर्धारित करती है। सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों (कटौतीकर्ता) को स्रोत पर कर काटने का आदेश दे सकती है: (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का विभाग या स्थापना; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियां; या (घ) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। कर को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता (डिडक्टी) को किए गए भुगतान के 2% की दर से काटा जाएगा, जहां ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य, एक संविदा के अधीन, दो लाख और पचास हजार रुपये से अधिक है। तदनुसार, आयोग ने जीएसटी पर टीडीएस के कटौतीकर्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया है।

ग. **जीएसटी पर केविविआ की स्थिति:** जविद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विविध कार्यों को करने के लिए केविविआ द्वारा लगाई गई फीस पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में मुद्दा सीएंडएजी और डीजीजीआई द्वारा जांच के अधीन है। इस संदर्भ में, विधिक मत लिया गया है जिसके द्वारा यह माना गया है कि केविविआ द्वारा किए गए सभी कार्य विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन किए गए अर्द्ध–न्यायिक कार्यों से अभिन्न हैं और इसलिए, सेवाओं के ''प्रदाय'' के रूप में अर्हकता प्राप्त नहीं करते हैं और तदनुसार वस्तु और सेवा कर के अध्यधीन नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, इस मुद्दे में स्पष्टीकरण विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से मांगा गया है और मामला उनके विचाराधीन है।

13. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

(i) प्रावधान: केन्द्रीय आयोग एक प्रावधान को तब मान्यता देता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता होती है। यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलनों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(ii) आकस्मिक देयताएं: किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है, परंतु संभवत: जिसे संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होगी। संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व के मामले में जहां संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। आकस्मिक आस्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

14. एमएसएमईडी प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन कवर किए गए आपूर्तिकर्ताओं के लिए कोई मूल राशि देय नहीं है; अत: कोई प्रावधान नहीं किया गया है (पिछले वर्ष शून्य)। उन्हें कोई ब्याज देय नहीं है। एमएसएमई के रूप में आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति, उनसे प्राप्त पुष्टियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ह/-	ह/-
(ए.वी शुक्ला)	**(हरप्रीत सिंह प्रुथी)**
एकीकृत वित्तीय सलाहकार	**सचिव**

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 23– आकस्मिक देयातओं और लेखाओं पर टिप्पण

1. केविविआ निधि

(i) केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोजन की निधि) तथा बजट का प्रारूप एवं तैयारी के लिए समय नियम 2007 के अनुसार इन निधियों में अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस, समय–समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा या अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य रकम में सम्मिलित हैं। निधि (क) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक के लिए (ख) अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपने कार्यों के निर्वाह में केन्द्रीय आयोग के व्यय तथा (ग) अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय के लिए प्रयुक्त होंगे। केन्द्रीय आयोग स्थापना से संबंधित और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए अपने वार्षिक बजट के लिए इन निधियों से रकम रिलीज करने की मांग करेगा।

(ii) विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा में बनाए रखा गया) से रिलीज गई राशि को अनुदान सहायता के रूप में माना जाता है और आय एवं व्यय लेखा में उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। केविविआ का व्यय को केविविआ निधि में उपयुक्त व्यवहार के बाद विद्युत मंत्रालय से प्राप्त 'अनुदान सहायता' में से खर्च किया गया है।

(iii) केविविआ निधि नियमों के अनुसार, भारत के लोक खाता के अधीन केविविआ निधि खोली गई है जो कि गैर–व्यपगत और गैर–ब्याज वहन खाता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि से रिलीज गई राशि को ''अनुदान सहायता'' के रूप में माना गया है। वर्ष 2023–24 के दौरान, रु. 18356.11 लाख (पिछले वर्ष में रु. 17410.31 लाख) की राशि केविविआ निधि में जमा की गई है और इसी अवधि में विद्युत मंत्रालय ने केविविआ के पूंजीगत और अन्य राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए केविविआ निधि से रु. 10847.20 लाख (पिछले वर्ष में रु. 13500 लाख) की राशि रिलीज की जिससे 31 मार्च, 2024 को केविविआ निधि में रु. 69069.25 लाख (पिछले वर्ष में रु. 61560.34 लाख) की शेष राशि बची।

(iv) चालू वर्ष के दौरान, रु. 18462.14 लाख (पिछले वर्ष में रु. 17001.53 लाख) की सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय को केविविआ निधि (तुलन पत्र की अनुसूची–2) में अंतरित किया गया और रु. 10847.20 लाख (पिछले वर्ष से आगे लाई गई बचत को छोड़कर) को आयोग के व्यय को पूरा करने के लिए केविविआ निधि से रिलीज (पिछले वर्ष में रु. 13500.00 लाख) किए गए। चालू वर्ष के अंत में नगद आधार पर रु. 4974.91 लाख के अव्ययित शेष (पिछले वर्ष में रु. 6152.80 लाख) को केविविआ निधि में वापस अंतरित किया गया।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

एनबीसीसी परियोजना में कार्यालय स्थान अधिगृहीत करने के लिए अग्रिम

केविविआ ने कार्यालय स्थान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में फ्री होल्ड आधार पर 54, 494 स्कवेयर फीट के कार्पेट एरिया (74, 788 स्कवेयर फीट सुपर बिल्ड–अप एरिया) का कार्यालय स्थान अर्जित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (कार्यान्वयन एजेंसी– एनबीसीसी के माध्यम से) द्वारा आयोजित बोली प्रक्रिया में सहभागिता की। चूंकि परियोजना निर्माणाधीन है, एनबीसीसी को भुगतान किए गए अग्रिम को अनुसूची–8 में "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अग्रिम" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

क) विकासाधीन भूमि और भवन के संबंध में 31 मार्च, 2024 को रु. 2500 लाख (समय–समय पर जारी किए जाने वाले सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू स्टैम्प ड्यूटी सहित) की पूंजीगत प्रतिबद्धताएं।

ख) वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में निर्माणाधीन कार्यालय परिसर में आंतरिक चालू कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2024 को विद्यमान रु. 148 लाख (दिनांक 17 नवम्बर, 2022 के करार के अनुसार) की पूंजीगत प्रतिबद्धताएं।

ग) दिनांक 31.03.2024 को विद्यमान देयताओं के संबंध में रु. 6.70 लाख की पूंजीगत प्रतिबद्धताएं।

3. पट्टा दायित्व

(i) रु. शून्य लाख (पिछले वर्ष में 0.99 लाख) की राशि के कार पट्टा व्यवस्थाओं के अधीन किराए के लिए भावी दायित्व।

(ii) "पट्टा आवास" के प्रति भावी दायित्व – केविविआ ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पट्टा आवास) विनियम, 2007 के अधीन "पट्टा आवास" सुविधा का विस्तार 04 (चार) कर्मचारियों की संख्या तक किया है। ये विनियम नियमित नियुक्ति, विदेश सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा या स्थायी आमेलन पर आयोग के कर्मचारियों पर लागू होंगे। इन पट्टों की रु. 1.50 लाख (पिछले वर्ष में रु. 1.92 लाख) की मासिक प्रतिबद्धता है जिनकी प्रकृति वर्ष के दौरान किसी भी समय रद्द योग्य है।

4. चालू दायित्व

क. कोर्ट के आदेश के अनुसरण में पृथक बैंक खाते

(i) पावर एक्सचेंजों में गैर–सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की व्यापारित कीमत के संबंध में विवाद का समाधान लंबित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार रुपए 500 प्रति गैर–सौर आरईसी की राशि केविविआ के पास जमा की गई है। मामले के निपटान के बाद, भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।

उसके बाद, भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 09.05.2022 और 17.05.2022 के अपने आदेश द्वारा आयोग को समतुल्य राशि के लिए बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद पावर एक्सचेंजों द्वारा जमा की गई मूल राशि को रिलीज करने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देशों के अनुसरण में, आयोग ने एक समिति का गठन किया और संबंधित पार्टियों से प्राप्त बैंक गारंटियों के लिए रुपए 10813.12 लाख (पिछले वर्ष में रु. 28453.68 लाख) की राशि को रिलीज किया। 31 मार्च, 2024 को, रुपए 63267.69 लाख (पिछले वर्ष में रु. 71979.18 लाख) की शेष राशि है, जिसे पृथक बैंक खाते में रखा गया है। इस शेष राशि में मूल राशि पर रुपए 22078.16 लाख (पिछले वर्ष में रु. 19976.54 लाख) का उपचित ब्याज शामिल है। प्राप्त की गई संपूर्ण राशि को चालू आस्ति के रूप में दर्ज किया गया है, और समान राशि को "चालू देयता" के रूप में दर्ज किया गया है।

(ii) (क) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, भारत की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 की सिविल अपील सं.8507 में निम्नलिखित निर्देश दियाः–

"3. इस दौरान, इक्विटी को संतुलित करने के लिए, आक्षेप किए गए आदेश पर ध्यान देने के बाद, हम यहां एटीई के समक्ष अपील में किए गए आक्षेप आदेश पर रोक लगाना उचित समझते हैं, इस शर्त के अध्यधीन कि अपीलकर्ता आयोग के समक्ष नियत प्रभारों का 50ः जमा करेगा। उक्त राशि छह महीने की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज अर्जित करने वाली जमा राशि में रखी जाएगी और अगले आदेश तक समय–समय पर नवीनीकृत की जाएगी। राशि पर उपचित ब्याज, उत्तरवर्ती पार्टियों के लाभ को सुनिश्चित करेगा चूंकि अपीलकर्ता (अपीलकर्ताओं) के लिए विद्वत कांउसेल द्वारा यह कहा गया है कि जमा के लिए 50ः के परिकलन करते हुए यहाँ प्रतिवादी (प्रतिवादियों) को राशि के हिस्से का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, भुगतान की गई राशि को समायोजित किया जाएगा।"

(ख) इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 2023 की अपील सं.499 (2023 का आई.ए. सं. 383) में माननीय ऐपटेल ने निम्नलिखित निर्देश दियाः–

''................ हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी, द्वितीय प्रतिवादी को राशि वापस करने के बजाए, केविविआ के आदेशों के अनुसरण में, आज से एक मास के अंदर केविविआ के पास उक्त राशि जमा करेगा। इसके बदले में केविविआ, एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक के पास सावधि जमा में रखेगा और इस अपील के लंबित रहने के दौरान समय–समय पर इसका नवीनीकरण करेगा।''

(ग) 2023 की अपील सं.392 (2023 का आई.ए. सं. 497) की अन्य अपील में, माननीय ऐपटेल ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः–

''............. हम अपीलार्थी को चार सप्ताह के अंदर केविविआ के समक्ष जुर्माना राशि को जमा करने की अनुमति देते हैं, जो उक्त राशि को ट्रिब्यूनल द्वारा अपील पर अंतिम रूप से सुनवाई और निर्णय तक अपने पास रखेगा।''

उपर्युक्त निर्देशों/आदेशों के अनुपालन में, केविविआ ने राष्ट्रीकृत बैंक में समर्पित बैंक खाता खोला है और दिनांक 31.03.2024 तक प्राप्त राशि और नियत जमा में निवेश का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	पार्टी से प्राप्त राशि	मूल राशि	केस सं.
1	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जयपुर	18,02,87,549.00	2022 की सिविल अपील सं. 8507
2	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी	38,61,06,970.00	2023 की सिविल अपील सं. 499
	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी	32,89,05,936.00	
3	तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24,00,000.00	2023 की सिविल अपील सं. 392

(iii) 31 मार्च, 2024 तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन केविविआ द्वारा रुपए 1782 लाख (पिछले वर्ष रुपए 1782 लाख) का निवल जुर्माना लगाया गया जिसमें से रुपए 1643 लाख (पिछले वर्ष रुपए 1644 लाख) की राशि का विधि की विभिन्न कोर्टों में पार्टियों द्वारा प्रतिवाद किया गया है और रोक लगाए जाने के कारण केविविआ में उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है। रुपए 139 लाख (पिछले वर्ष रुपए 138 लाख) की बची हुई राशि केविविआ में प्राप्त हुई है। विवादित जुर्मानों में से, रुपए 357 लाख (पिछले वर्ष रुपए 357 लाख) की राशि विधि की विभिन्न कोर्टों में प्रतिवाद के अधीन प्राप्त हुई है और इसे चालू देयता में दर्शाया गया है। प्राप्त परंतु प्रतिवादित राशि बैंक में अल्पकालिक सावधि जमा के अंतर्गत रखी गई है और कोर्ट मामलों के परिणाम के आधार पर यथास्थिति, केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा में बनाए रखा गया) में जमा की जाएगी या पार्टी को वापस की जाएगी। यह विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से निर्देशों के अनुसार, विवादित राशि के जुर्माने से बने सावधि जमा पर 'प्राप्त' और 'उपचित परंतु प्राप्त नहीं' ब्याज को अन्य चालू देयताओं के अधीन लेखाबद्ध किया गया है। इस कारण आय और व्यय लेखा पर कोई प्रभाव नहीं है।

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 की उप–धारा (1) शक्तियों और विद्युत के लिए अपील अधिकरण (प्रक्रिया, प्ररूप, फीस और कार्यवाहियों का अभिलेख) नियम, 2007 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय ऐपटेल ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न पार्टियों पर लागत लगाई और उन्हें लगाई गई लागत को केविविआ में जमा करने का निर्देश दिया। ऐपटेल के निर्देश के अनुपालन में, 24 (चौबीस) पार्टियों द्वारा रुपए 4.85 लाख की राशि केविविआ में जमा की गई और इस राशि को विद्युत मंत्रालय को विप्रेषित किया गया।

ख. अन्य चालू देयताएं

(v) केविविआ के स्थायी कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी के नकदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर क्रमशः रुपए 288 लाख और रुपए 295 लाख (पिछले वर्ष रुपए 297 लाख और रुपए 293 लाख) पर किया गया है।

(vi) रुपए 8.84 लाख की राशि केविविआ में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के संस्थापन के संबंध में वेंडर को उनके द्वारा किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए एनटीपीसी के साथ चर्चा के अधीन है।

(vii) मार्च 2019 में एनडीएमसी से प्राप्त ड्राफ्ट लीज करार में शून्य सिक्योरिटी जमा की परिकल्पना की गई है। इस लीज करार पर हस्ताक्षर होने तक, एनडीएमसी के साथ सिक्योरिटी जमा का समायोजन नहीं किया गया है।

(viii) मैसर्स एनबीसीसी ने डब्ल्यूटीसी, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालयीन स्थान प्राप्त करने के संबंध में भुगतान की जाने वाली किस्त के भुगतान में विलंब के कारण रु. 62.88 लाख का जुर्माना लगाया है और इस मामले को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास उठाया गया है।

5. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

((i) प्रबंधन की राय में चालू आस्तियां ऋणों और अग्रिमों का कारोबार के सामान्य उपकरण में उनकी वसूली पर तुलन पत्र में दर्शाई गई न्यूनतम सकल रकम के बराबर होता है।

(ii) वर्ष 2010–11 के दौरान, ₹ 16,91,875/– के डिमांड ड्राफ्ट आयोग की रजिस्ट्री में खो गए और केविविआ के कर्मचारी द्वारा धोखे से इसका नकदीकरण करा दिया गया। पुलिस अधिकारी के पास इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय जांच मार्च, 2013 में पूरी हो गई थी और दोषी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया था। मामला न्यायालय में लंबित है। अंतिम सुनवाई दिनांक 29.05.2024 को हुई थी और सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 27.07.2024 को नियत है। मामले के निष्कर्ष को देखते हुए, इस रकम को न तो आय के रूप में बुक किया गया और न ही हानि के लिए चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट प्रावधान को लेखा बहियों में किया गया।

(iii) किविविआ द्वारा निरंतर रूप से पालन की जा रही लेखाकंन नीतियों के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 को रु. 38.84 लाख की राजस्व राशि की मान्यता उसकी वसूली के बारे में अनिश्चितता के कारण अगले वित्तीय वर्ष तक स्थगित की जाती है।

6. आय एवं व्यय लेखा

क. वर्ष के दौरान केविविआ का संपूर्ण व्यय विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुदान सहायता से पूरा हुआ और अव्ययित अनुदान अगले वित्त वर्ष में ले जाया गया। जब तक उपचित आधार पर वर्ष के लिए व्यय मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुदान से कम/अधिक है, तब तक आय का व्यय पर आधिक्य या इसका विपरीत नहीं होगा चूंकि अनुदान के अधिशेष/कमी को अगले वर्ष ले जाया जाता है।

ख. सीएंडएजी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, विद्युत मंत्रालय से यथा प्राप्त अनुदान सहायता का द्विभाजन ''राजस्व'' और ''पूंजीगत'' अनुदान सहायता में किया गया है। वित्तीय विवरणों में तदनुसार समुचित प्रस्तुतिकरण भी किया गया है।

7. स्टेशनरी और इन्वेंटरी का स्टॉक

विनियमों के कम्पेंडियम (आंतरिक प्रसार) की कीमत को प्रभारित न करने के निर्णय को देखते हुए, बाजार मूल्य को शून्य माना गया है।

8. देय के लिए प्रावधान

वार्षिक लेखा, लेखांकन के उपचित आधार पर होते हैं। तदनुसार बकाया देयताओं, सांविधिक दायित्वों जैसे पेंशन और छुट्टी वेतन, अंशदान, सीपीएफ/ईपीएफ समरूप अंशदान लेखा परीक्षा फीस आदि के लिए प्रावधान किया गया है और उन्हें लेखों में प्रदर्शित किया गया है।

9. तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा, और प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा के आंकड़े, लाख रुपये में राउंड ऑफ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सुझावों/सुधारों को, जहां आवश्यक हो, चालू वर्ष की प्रस्तुति में शामिल किया गया है।

10. **अनुसूचियाँ 1 से 23,** 31 मार्च, 2024 को तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का एक अभिन्न अंग है। पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।

हस्ता./–	**ह/-**
(राकेश आर्य)	**(हरप्रीत सिंह प्रुथी)**
एकीकृत वित्तीय सलाहकार	**सचिव**

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां तथा भुगतान

(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1. आरंभिक शेष के लिए		
(क) हाथ में नकदी	-	-
(ख) बैंक शेष		
(i) चालू खातों में:		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटोस्वीप सहित)	371.26	176.85
पंजाब नेशनल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	5,852.69	252.45
(ii) बचत खाते:		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटोस्वीप सहित)	4.44	7.24
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – आवर्ती जमा (ऑटोस्वीप सहित)	71,842.26	97,659.55
(iii) सावधि जमा	670.77	639.25
2. प्राप्त अनुदान		
विद्युत मंत्रालय से		
- पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान	2,578.48	5,500.00
- राजस्व व्यय के लिए अनुदान	8,268.72	8,000.00
3. आयोग से प्राप्तियाँ		
(i) ब्याज प्राप्ति		
- ऑटो स्वीप जमा पर ब्याज	466.15	464.22
- बचत खातों से ब्याज	0.36	0.33
- पेनल्टी एफडीआर से जुड़ा ब्याज	43.27	32.52
- एचबीए अग्रिम पर ब्याज	3.38	-
- कंप्यूटर अग्रिम पर ब्याज	-	-
(ii) कम्पेंडियम की बिक्री	-	-
(iii) अखबारों की बिक्री	0.09	0.04
(iv) आयोग द्वारा फीस प्रभार		
- फाइलिंग फीस	2,182.00	1,408.00
- अनुज्ञप्ति फीस	6,683.42	6,203.24
- टैरिफ फीस	8,844.57	8,765.91
- वार्षिक पंजीकरण फीस	80.00	80.00
- जुर्माना	-	-
- अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेज के बिना प्राप्त फीस	81.75	107.13
- अतिरिक्त प्राप्त फीस	-	-
- आरटीआई फीस	-	-
(v) विविध प्राप्तियां	38.16	17.48
4. ऋण/जमा प्राप्तियों के लिए		
(क) स्टाफ से अग्रिमों की वसूली		
(i) मोटर कार/निजी कंप्यूटर अग्रिम	1.55	0.69
(ii) भवन निर्माण अग्रिम	9.89	13.69
(iii) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)		
- अग्रदाय	3.10	0.66
- एफटीई अग्रिम वसूली	1.70	-
- एलटीई अग्रिम वसूली	0.01	0.10
- चिकित्सा अग्रिम वसूली	-	0.71
(ख) अग्रिम की वसूली		
(i) प्रदाताओं को अग्रिम	0.22	-
(ग) अन्य जमा		
(i) प्राप्त प्रतिभूति जमा	17.85	25.14
(i) अन्यों द्वारा प्रतिदान की गई प्रतिभूति जमा	0.51	-
5. विप्रेषण प्राप्तियों के लिए		
(क) प्रतिनियुक्तों से वसूली	2.77	3.07
(ख) अनुज्ञप्ति फीस	2.53	2.36
(ग) आयकर (वेतन/ गैर-वेतन)	417.50	366.95
(घ) जीएसटी पर टीडीएस (सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी)	52.46	36.98
(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)	-	0.01
(च) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस)	0.19	0.17
(छ) अन्य प्राप्तियां		
- ईपीएफ/जीएसएलआई वसूली	25.69	32.75
- सीपीएफ मैचिंग अंशदान/ईपीएफ/जीएसएलआई/जीपीएफ/एनपीएस	136.09	133.67
- अनुज्ञप्ति फीस की वसूली (आवास लीज़)	0.63	0.61
- प्राप्त ग्रेच्युटी	1.52	25.51
- छुट्टी वेतन अंशदान	4.82	7.86
6. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आरईसी जमा		
- प्राप्ति	-	-
- फ्लैक्सी जमा पर ब्याज	1,831.46	2,636.39
7. अन्य प्राप्तियों के लिए		
- एपेलेंट द्वारा लगाई गई लागत	4.85	1.15
- आस्तियों की बिक्री	2.64	0.81

भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
1. खर्चों द्वारा		
(क) स्थापना खर्चे		
(i) वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)	192.57	148.63
(ii) वेतन (अधिकारी एवं स्थापना)	818.08	772.14
(iii) भत्ते एवं बोनस	580.71	485.84
(iv) व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	541.42	614.73
(v) छुट्टी नकदीकरण	81.57	27.08
(ख) यात्रा खर्चे		
(i) विदेश यात्रा	66.10	8.54
(ii) स्वदेश यात्रा	46.90	20.66
(ग) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं	101.01	98.12
(घ) अन्य स्थापना प्रभार		
(i) ट्यूशन फीस/बाल शिक्षा भत्ता	10.80	9.99
(ii) छुट्टी यात्रा रियायत	14.13	24.19
(iii) मानदेय	0.22	-
(ङ) भविष्य निधि में अंशदान	133.56	119.01
(च) अन्य निधियों में अंशदान		
(i) सीपीएफ मैचिंग अंशदान	0.06	0.83
(ii) एनपीएस मैचिंग अंशदान	20.90	19.92
(छ) स्टाफ कल्याण खर्चे	73.42	72.29
2. प्रशासनिक खर्चों द्वारा		
(क) श्रम एवं प्रसंस्करण खर्चे	724.16	717.57
(ख) विद्युत एवं ऊर्जा	69.91	65.21
(ग) जल प्रभार	6.95	13.26
(घ) मरम्मत तथा रखरखाव	3.05	4.32
(ङ) किराया, दर तथा कर	2,904.04	2,752.50
(च) वाहन चलन एवं रखरखाव		
(i) टैक्सी भाड़े पर लेने का खर्च	76.30	75.16
(ii) चालन तथा रखरखाव	33.38	27.22
(छ) डाक-व्यय, टैलिफोन तथा संसूचना प्रभार	28.53	25.21
(ज) मुद्रण तथा स्टेशनरी	23.46	18.54
(झ) यात्रा तथा वाहन	0.65	0.56
(ञ) संगोष्ठी/बैठकों पर खर्च	62.88	16.27
(ट) अभिदान खर्चे	132.36	109.40
(ठ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/विधिक फीस	15.06	5.43
(ड) विज्ञापन तथा प्रचार	143.51	92.08
(ढ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
- एएमसी ईपीएबीएक्स	1.66	0.86
- एएमसी फोटोकॉपी मशीन	11.05	10.62
- एएमसी एयरकंडीशनर	17.12	9.40
- एएमसी यूपीएस	0.76	4.56
- एएमसी विद्युत	-	4.05
- एयरकंडीशनर मरम्मत तथा रखरखाव	14.22	6.56
- पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	33.73	30.16
- बैंडविड्थ प्रभार	-	0.42
- भवन मरम्मत तथा रखरखाव	1.66	1.98
- उपभोग्य	20.26	24.22
- कंप्यूटर मरम्मत तथा रखरखाव	21.63	21.73
- विविध खर्चे	1.06	1.53
- प्रशिक्षण खर्चे	0.97	2.04
- पूर्व अवधि व्यय	2.19	4.76
- यूनिफॉर्म व्यय	0.35	0.40
3. किए गए निक्षेप		
(क) प्रतिभूति जमा	0.39	2.54
4. (I) स्टाफ को अग्रिम द्वारा		
(क) अन्य अग्रिम (खर्चे)	3.10	0.67
(ख) एफटीई अग्रिम	1.82	-
(ग) एलटीसी अग्रिम	0.09	0.10
(घ) चिकित्सा अग्रिम	-	0.71
(ङ) भवन निर्माण अग्रिम	7.64	5.73
(च) मोटर कार/निजी कंप्यूटर अग्रिम	-	0.50
(II) आकस्मिक अग्रिमों द्वारा		
(क) प्रदाताओं को अग्रिम	4,786.92	790.90
(III) अन्य द्वारा		
(क) प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदाय	41.14	15.43
(IV) समायोजन/विप्रेषण		
(क) प्रतिनियुक्तों से जीपीएफ/सीपीएफ/ईपीएफ आदि की वसूली		
- विप्रेषित जीपीएफ वसूली	22.03	14.85
- विप्रेषित ईपीएफ वसूली (केविविआ कर्मचारी स्वैच्छिक)	127.29	138.05
- विप्रेषित ईपीएफ (स्वैच्छिक) वसूली	0.65	1.63

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां तथा भुगतान

(₹ लाख में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23
			- विप्रेषित सीपीएफ वसूली	-	0.75
			- विप्रेषित एनपीएस वसूली	11.15	11.08
			- अन्य वसूलियाँ	2.77	3.07
			(ख) अनुज्ञप्ति फीस	2.53	2.52
			(ग) आयकर (वेतन/ गैर-वेतन)	434.95	363.45
			(घ) जीएसटी पर टीडीएस (सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी)	57.39	31.19
			(ङ)) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)	-	0.01
			(च) सीजीईजीआईएस/सीईईआईएस	0.19	0.17
			5. अंशदानों द्वारा		
			(क) पेंशन	17.21	2.02
			(ख) छुट्टी वेतन	30.11	15.87
			(ग) ग्रेच्युटी	52.45	20.38
			6. नियत आस्तियां तथा प्रगति में संकर्म पर व्यय द्वारा		
			(क) फर्नीचर एवं फिटिंग्स	-	1.34
			(ख) मशीनरी एवं उपकरण	51.94	76.45
			(ग) भूमि एवं भवन	-	-
			(घ) अमूर्त आस्तियां	23.35	30.68
			7. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अधीन आवर्ती जमा		
			- भुगतान	10,813.12	28,453.68
			8. अन्य द्वारा		
			(क) फीस वापसी	40.00	-
			9. केविविआ निधि को अंतरित निधियां (भारत का लोक लेखा)	18,356.11	17,410.31
			10. अंतिम शेष द्वारा		
			(i) चालू खातों में :		
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	471.60	371.26
			पंजाब नेशनल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	4,560.97	5,852.69
			(ii) बचत खातों में :		
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ऑटो स्वीप सहित)	4.85	4.44
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आवर्ति जमा (ऑटो स्वीप सहित)	62,860.61	71,842.26
			(iii) सावधि जमा	715.03	670.77
			11. हाथ में नकदी	-	-
	110,529.75	132,603.49		110,529.75	132,603.49

तारीख :

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(राकेश आर्य)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव

वर्ष 2023–24 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं के संबंध में पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर उत्तर/की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा की टिप्पणियां/अवलोकन	की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई
क	**लेखाओं पर टिप्पणियाँ** **1. सामान्य** **1.1 आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर नोट (अनुसूची–23) चालू आतियाँ, ऋण और अग्रिम (नोट–5)** केविविआ ने राजस्व की वसूली के लिए अनिश्चितता के कारण स्थगित किए गए राजस्व के संबंध में रु. 38.84 लाख की राशि को दर्शाया है। हालांकि, दो इकाइयों (वर्ष 2019–20 से वर्ष 2022–23 की अवधि के लिए) से वसूलीयोग्य शुल्क परंतु मान्यता प्राप्त नहीं की रु. 163 लाख की राशि को उसकी वसूली के लिए अनिश्चितता के कारण उपर्युक्त अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और न ही कहीं दर्शाया गया है। इसलिए, उस राशि तक प्रकटन में कमी है। वर्ष 2022–23 के लिए लेखाओं की संपरीक्षा के दौरान समान मुद्दा उठाया गया था। तथापि, कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।।	तथ्यात्मक, लेखापरीक्षा का सुझाव भावी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है
ख	**सहायता अनुदान** केविविआ से रिलीज किए गए रु. 17,000 लाख के अनुदान में से, केविविआ ने वर्ष 2023–24 के दौरान रु. 12,025.09 लाख (रु.7,236.18 लाख का राजस्व अनुदान और रु. 4,788.91 लाख का पूंजीगत अनुदान) का उपयोग किया जिससे 31 मार्च, 2024 को रु. 4,974.91 लाख की अव्ययित राशि का शेष बचा।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
ग	उन कमियों को, जिन्हें पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया, उन्हें उपचारात्मक / सुधार कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केविविआ की जानकारी में लाया जाएगा। v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में विचारणीय तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां एवं भुगतान लेखाए खाता बहियों के अनुरूप हैं। vi. हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त मामलों और इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में उल्लिखित अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। क) जहां तक तुलन–पत्र का संबंध है, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार हैय और ख) जहां तक आय तथा व्यय लेखा में व्यय से अधिक आय का संबंध है, यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध–I
(पैरा 4 (vi) में संदर्भित)

क्र.सं.	विषय	लेखा परीक्षा की टिप्पणियां/अवलोकन	की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई
1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा अभी की जानी है।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, एबी के आकार के अनुरूप है। तथापि कुछ कमियां पाई गईं और उस पर ठीक से टिप्पणियां की गई।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2023–24 के लिए अचल आस्तियों और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है। केविविआ ने जीएफआर (फॉर्म सं.22) के अनुसार अपना अचल आस्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया है।	अचल आस्ति रजिस्टर के लिए लेखापरीक्षा के आकलन को नोट कर लिया गया है।
4.	इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली		
5.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, केविविआ को आयकर से छूट प्राप्त है। केविविआ के डीम्ड न्यायिक कृत्यों के अनुसरण में प्राप्तियों के अलावा, प्राप्तियों पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में वित्त मंत्रालय से प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, केविविआ के विनियामक कृत्यों के शुल्कों/प्राप्तियों पर जीएसटी लागू है। हालांकि, इस संबंध में बिना कोई छूट प्राप्त किए, केविविआ ने उसके द्वारा संगृहीत शुल्क/प्राप्तियों पर वर्ष 2018–19 से 2023–24 के लिए रु. 6,441.75 लाख की जीएसटी राशि के कारण संगृहीत देयता का न तो संग्रहण किया और न ही भुगतान किया। केविविआ ने डीजीजीआई से प्राप्त शो–कॉस नोटिस को चुनौती देते हुए 22 जुलाई 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की। वर्तमान में, मामला न्यायालयीन विचाराधीन है।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
6..	लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण जोखिम	किसी महत्वपूर्ण जोखिम का बोध नहीं हुआ।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।
7.	वर्ष के दौरान नगदी या चोरी, दुर्विनियोजन, धोखा, गबन इत्यादि के कारण सरकारी संपत्ति की हानि के विवरण	प्रबंधन ने सत्यापित किया कि वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नोटिस/रिपोर्ट नहीं किया गया।	तथ्यात्मक कोई टिप्पणी नहीं।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029
दूरभाष : +91 11 26189709 | www.cercindia.gov.in